सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित:
राघवेन्द्र सिंह, निदेशक (आई.एस)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

(राजस्व विभाग – अप्रत्यक्ष कर – सीमाशुल्क)

2022 की संख्या 19

भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) और
मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के कार्यचालन
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)

2022 की संख्या 19

लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर दिनांक .....को प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	i
2	कार्यकारी सार	iii
3	शब्दावली	xv
4	अध्याय I : भारत में सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र: एक विहंगावलोकन	1
5	अध्याय II : लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और कार्यप्रणाली	17
6	अध्याय III : सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस	21
7	अध्याय IV : मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र	63
8	अनुलग्नक	87

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए थे और जिनमें अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि के संव्यवहारों को शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त हुए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (क) वेयरहाउसिंग विनियम, 2016 में राजस्व के हित को हानि पहुंचाए बिना सरलीकरण एवं स्व-निकासी तंत्र में सुधार करने के लिए किए गए परिवर्तनों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए, और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीबीडब्ल्यू के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता का भी निर्धारण करने के लिए की गई थी; तथा (ख) यह निर्धारण करने के लिए कि क्या एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना और परिचालन एफटीडब्ल्यूजेड की नीति के उद्देश्यों के साथ विधिवत रूप से संरेखित है और क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निगरानी एवं समन्वय तंत्र पर्याप्त है तथा ये राजस्व हानि के जोखिम को कम करने के लिए निर्मित किए गए हैं।

सीबीडब्ल्यू आयातकों को सीमा शुल्क के तत्काल भुगतान के बिना और इस प्रकार कार्यशील पूंजी को अवरूद्ध किए बिना आयातित माल को संचयित करने में सक्षम बनाता है। नए वेयरहाउसिंग विनियम 2016 के लागू होने के बाद सीबीडब्ल्यू में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नई उदारीकृत व्यवस्था के अंतर्गत, वेयरहाउसिंग स्टेशन की संकल्पना को हटा दिया गया है। इससे, किसी भी स्थान पर सीबीडब्ल्यू की स्थापना में मदद् मिली है, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो तो पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस अब ज्यादा समय तक सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में न रहकर, अभिलेख आधारित नियंत्रण में अंतरित हो रहे हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, 24 आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 219[1] वेयरहाउसों को, 1,035[2] वेयरहाउसों में से विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

[1] पब्लिक वेयरहाउस- 55, प्राइवेट वेयरहाउस- 64 और स्पेशल वेयरहाउस-100

[2] पब्लिक वेयरहाउस- 512, प्राइवेट वेयरहाउस- 343 और स्पेशल वेयरहाउस-180

एफटीडब्ल्यूजेड सेज़ की विशेष श्रेणियां हैं जिनमें व्यापार और वेयरहाउसिंग तथा उनसे संबंधित अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एफटीडब्ल्यूजेड नीति, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-2009 के एक भाग के रूप में भारत की सामरिक भौगोलिक अवस्थिति और लागत व कौशल अंतरपणन का लाभ उठाने के लिए सेज़ अधिनियम 2005 और सेज़ नियम 2006 द्वारा शासित है। एफटीडब्ल्यूजेड का उद्देश्य मुक्त मुद्रा में व्यापार संव्यवहारों करने की स्वतंत्रता के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार से संबंधित अवसरंचना का निर्माण करना है। कुल सात एफटीडब्ल्यूजेड अधिसूचित किए गए थे और इनमें से केवल चार एफटीडब्ल्यूजेड परिचालन में हैं। इसके अलावा, एफटीडब्ल्यूजेड को पांच औपचारिक अनुमोदन और पांच को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत, सात राज्यों में फैले हुए सात एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स के एफटीडब्ल्यूजेड की 222 इकाइयों में से, एफटीडब्ल्यूजेड की 44 इकाइयों के साथ के एक प्रतिनिधि नमूने का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में वेयरहाउस/ एफटीडब्ल्यूजेड के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए सीमा शुल्क कार्यालयों, विकास आयुक्तों के कार्यालय और निर्दिष्ट अधिकारी के पास अनुरक्षित प्रासंगिक अभिलेख की जांच की गई।

दिसंबर 2021 में जारी की गई ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर राजस्व विभाग (मार्च/अप्रैल 2022) और वाणिज्य विभाग (मार्च/अप्रैल 2022) से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय 2 इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्य-क्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। अध्याय 3 और 4 में

क्रमशः सीबीडब्ल्यू और एफटीडब्ल्यूजेड से संबंधित लेखापरीक्षा जांच परिणाम, निष्कर्षों और सिफारिशों को शामिल किया गया हैं।

इस प्रतिवेदन में उप-पैरा सहित 49 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और नौ सिफारिशें शामिल हैं। 41 अभ्युक्तियों के उत्तर प्राप्त हुए थे जिनमें से 26 को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है तथा 15 को स्वीकार नहीं किया गया है। आठ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार, नौ सिफारिशों में से पांच को स्वीकार कर लिया गया था और शेष चार सिफारिशों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा परिणामों का सार

अध्याय 3: सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस

वेयरहाउस के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को भौतिक नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण में अन्तरित कर दिया गया हैं। नमूना सीबीडब्ल्यू के संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वेयरहाउस रक्षक के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके मासिक रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग द्वारा डिजिटलीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है; अधिकांश नमूना चयनित सीबीडब्ल्यू में, अभिलेखों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में नहीं रखा गया था। वेयरहाउस से निकासी किए गए माल का उद्देश्य जैसे-घरेलू खपत/अन्य वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, क्या लाइसेंसधारक ने शुल्क और ब्याज का सही भुगतान किया हैं, और क्या लाइसेंसधारक ने बांड और बैंक गारंटी की सही राशि जमा की, इसका विभाग द्वारा सही आकलन नहीं किया जा सकता। यदि लाइसेंसधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से विस्तृत अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जाता है, तो मासिक रिटर्न के मिलान तथा निगरानी की प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन कार्य होगा।

(पैरा 3.2.1)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग पूर्ण रूप से प्रत्येक अनुबद्ध वेयरहाउस द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक तकनीकी प्रतिवेदनों और मासिक रिटर्न पर ही निर्भर था; मासिक रिपोर्टें स्वचालित नहीं हैं। वेयरहाउस द्वारा अनुरक्षित

आईटी प्रणालियों और आईसीईएस, जो सीमा शुल्क की मुख्य आईटी प्रणाली है, के बीच डेटा के संरचित और निर्बाध प्रवाह की कमी थी। इसके अलावा, वेयरहाउसों के लिए फॉर्म ए और बी में डेटा का रख रखान आवश्यक था जो आईसीईएस के साथ एकीकृत नहीं थे। जबकि आईसीईएस में घरेलू खपत के लिए माल की एक्स-बॉन्डिंग का अंकन किया जाता है, तो अन्य संव्यवहारों जैसे कि वेयरहाउस वाले माल का फिर से निर्यात, सेज़ में स्थानांतरण और एक अनुबद्ध वेयरहाउस से दूसरे अनुबद्ध वेयरहाउस में स्थानांतरण को आईसीईएस में दर्ज नहीं किया जाता था। सेज़ को कवर करने वाली सेज़ ऑनलाइन आईटी प्रणाली को (एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित) आईसीईएस के साथ एकीकृत नहीं किया गया था।

(पैरा 3.2.2)

प्राप्तियों के मासिक रिटर्न, भंडारण, परिचालन और वेयरहाउस से माल की निकासी (फार्म ए) के लिए निर्धारित किए गए फॉर्म में कमी थी क्योंकि निकासी के विवरण, एक्स-बांड विवरणों को दर्ज नहीं करते है।

(पैरा 3.2.3)

मासिक रिटर्न प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत करने में विलंब से वेयरहाउस की निगरानी पर गंभीर चिंता उत्पन्न होती हैं क्योंकि वेयरहाउस पर विभाग का नियंत्रण भौतिक नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण में अंतरित हो गया है। विभाग को माल निकासी का विवरण, निकासी तारिख सहित निकासी उद्देश्य (घरेलू खपत/अन्य वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि), निकासी संख्या, मुल्य, शुल्क, ब्याज, शेष संख्या आदि की जानकारी नहीं होगी। वेयरहाउस में संचयित माल का विवरण, मुल्य, शुल्क तथा संख्या सहित, की जानकारी नहीं होगी। इसके अलावा, मौजूद प्रणाली अलर्ट को तत्काल सृजित नहीं करेगा यदि ट्रिपल ड्युटी बांड और बैंक गारंटी वेयरहाउस में, आयतित माल के शुल्क कवर नहीं होते हैं।

(पैरा 3.2.4)

पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं थी और विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया गया था; इसके अलावा, लाइसेंस के लिए आवेदन के भाग IV में भरा जाने वाला अपेक्षित विवरण नमूना-जांच किए गए 36 वेयरहाउसों के संबंध में पूर्ण नहीं था।

(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)

नमूना-जांच किए गए 219 सीबीडब्ल्यू में से, 30 के लाइसेंस जारी करने में 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा से 7 दिनों से 440 दिनों तक का विलंब हुआ। यह विलंब सरकार की "व्यापार सुगमता की नीति" को प्रभावित करता हैं।

(पैरा 3.3.4)

सामान्य बांड में सीमा शुल्क की कम कटौती/कटौती न किए जाने और लाइसेंसों में निर्धारित अनुमेय सीमाओं से अधिक माल रखने के दृष्टांत पाए गए थे। अतिरिक्त स्टॉक, बीमा कवरेज द्वारा कवर नहीं किया जाएगा और विभाग आग, दुर्घटना और अन्य आपदाओं की स्थिति में सीमा शुल्क की हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

(पैरा 3.4.1 और 3.4.2)

14 वेयरहाउसों में मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) प्रभारों का कम/अनियमित भुगतान किया गया था, और 10 वेयरहाउसों में, सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभार, लागत वसूली प्रभार के आधार पर उद्ग्रहीत करने के बजाय एमओटी आधार पर गलत तरीके से उद्ग्रहीत गए थे, जिससे ₹ 10.29 करोड़ के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली हुई थी।

(पैरा 3.4.3 और 3.4.4)

129 वेयरहाउसों में, लाइसेंसधारक बोर्ड के उस विनियम का पालन करने में विफल रहे, जिसमें संचयित किए जाने के लिए प्रस्तावित शुल्क देय माल पर, लगाए गए शुल्क की राशि के बराबर राशि के लिए पूर्ण जोखिम बीमा पॉलिसी निर्धारित की गई है; इससे वेयरहाउस में किसी भी आपदा की स्थिति में वेयरहाउस के माल पर सीमा शुल्क की हानि होने का जोखिम होता है। 129 मामलों में से, 56 मामलों में बीमा कवर एक समय या एक अवधि के लिए ₹ 1,015.71 करोड़ कम था। 73 वेयरहाउस लाइसेंस मामलों मे, ऐसा सांख्यिक नहीं किया जा सका क्योंकि संचयन के लिए प्रस्तावित माल पर शुल्क के अभिलेख (लाइसेंस के अनुसार) उपलब्ध नहीं थें।

(पैरा 3.5.3)

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सीबीडब्ल्यू की नियमित लेखापरीक्षा और निरीक्षण नहीं किया गया था।

(पैरा 3.5.8)

अध्याय 4: मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड)

एफटीडब्ल्यूजेड विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-2009 के रूप में शुरू की गई, सेज़ की एक विशेष श्रेणी है। 14 वर्ष बाद भी, मार्च 2020 तक केवल सात एफटीडब्ल्यूजेड को ही अधिसूचित किया गया है। सात अधिसूचित एफटीडब्ल्यूजेड में से केवल चार ही परिचालन में हैं। यह देखा गया कि सेज़ अधिनियम, 2005 और सेज़ नियमावली, 2006 में एफटीडब्ल्यूजेड के संबंध में कोई अलग दिशा-निर्देश/नीतियां या कोई विशिष्ट नियम निहित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह निर्धारित करने के लिए इस योजना का कोई मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की है कि क्यों पर्याप्त प्राइवेट कंपनियां इस योजना में रुचि नहीं दिखा रही हैं, और तदनुसार, यदि आवश्यक हो, तो डेवलपर्स को आकर्षित करके अधिक एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन क्यों नहीं किए गए है।

(पैरा 4.2 और 4.3)

सरकार ने जुलाई 2010 में अनुदेश जारी किए थे, जिसमें एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों की ओर से माल रखने की अनुमति दी गई थी। तथापि, सेज़ नियमावली, 2006 में कोई संशोधन नहीं किया गया था जिसमें अभी भी यह निर्धारित किया गया है कि एक एफटीडब्ल्यूजेड इकाई केवल एक विदेशी आपूर्तिकर्ता से संबंधित माल ही रख सकती है।

(पैरा 4.5)

लेखापरीक्षा ने गलत टैरिफ मूल्य अपनाने के कारण घरेलू निकासी पर शुल्क के कम उद्ग्रहण; अन्य बर्हिगमन (जैसे रॉयल्टी भुगतान, कारबार सहायता शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क और विदेशी यात्रा व्यय) पर विचार न करने के कारण एनएफई की गलत गणना; शुल्क वापसी की अनियमित मंजूरी के दृष्टांत जहां

एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान नहीं किया गया था, के दृष्टांतो को देखा गया।

(पैरा 4.6, 4.8 और 4.9)

निर्यात/निवेश/रोजगार/एनएफई के अनुमानित लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धियों से तुलना करने पर डेवलेपर्स और इकाइयों के प्रदर्शन में कमी देखी गई। विभाग को एफटीडब्ल्यूजेड के प्रदर्शन की निगरानी के भाग के रूप में ऐसी कमियों के कारणों का विश्लेषण करने और इसमें सुधार करने के लिए संभावित कदम उठाने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.10)

सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 79 में सेज़ और सेज़ में इकाइयों में सभी प्राधिकृत परिचालनों और संबंधित संव्यवहारों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने का प्रावधान किया गया है। अहमदाबाद, बंगलुरू, हैदराबाद और मुम्बई में स्थित डीसी कार्यालयों द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

(पैरा 4.11)

एपीआर की समीक्षा करने पर एपीआर फाइल करने में विफलता, एपीआर प्रस्तुत करने में विलंब, अप्रमाणित एपीआर की स्वीकृति और विभिन्न एनएफई को दर्शाते हुए संशोधित एपीआर प्रस्तुत करने के दृष्टांतों का पता चला, हालांकि संशोधित एपीआर फाइल करने के लिए मौजूदा नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(पैरा 4.12)

सिफारिशें

सिफारिश 1: वेयरहाउसिंग विनियमन, 2016 के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित आईटी नियंत्रण में अंतरण होने के बाद विभाग को एक समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता है कि

क) आईसीईएस के साथ-साथ सेज़ ऑनलाइन के साथ वेयरहाउस डेटा के एकीकरण/मिलान और डिजिटलीकरण के लिए एक आईटी कार्यनीति तैयार करें।

ख) एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप निर्दिष्ट करें जिसमें वेयरहाउस से मासिक रिटर्न अनिवार्य रूप से डिजिटल रूप में प्रस्तुत (मैनुअली रिपोर्ट तैयार करना पूर्ण रूप से छोड़ दे) और आईसीईएस के साथ एकीकृत किया जाए तथा निगरानी एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह के एकीकृत डेटा का विश्लेषण करे।

ग) विस्तृत सत्यापन और लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, वेयरहाउसों की पहचान करने के लिए वेयरहाउसों द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक डेटा की विश्लेषणात्मक समीक्षा करे।

इस प्रकार के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव में, वेयरहाउस के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण में अंतरण के परिणामस्वरूप नियंत्रण का अभाव होता है, जिससे उदारीकृत विनियमों के दुरुपयोग और दुष्प्रयोग की संभावना रह जाती है।

(पैरा 3.2.2)

मंत्रालय ने सिफारिशों (मार्च 2022) को स्वीकार करते हुए कहा है कि सिफारिशें सर्वांगी सुधार के लिए हैं और इससे अधिक प्रभावी और आईटी संचालित अभिलेख आधारित नियंत्रण होगा। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा आगे जांचा जाएगा। इसके अलावा, धारा 65 के अंतर्गत वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालनों को कार्यान्वित करने हेतु अनुमति प्राप्त लाइसेंसधारकों द्वारा वेयरहाउस के माल के संबंध में अभिलेखों के रखरखाव के लिए महानिदेशक (सिस्टम्स) पहले से ही आइसगेट और आईसीईएस पर एक मॉड्यूल विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक मासिक रिटर्न का सृजन भी आरंभ किया गया है।

सिफारिश 2: मासिक रिटर्न (फॉर्म ए) को एक्स-बांड बीई/शिपिंग बिल के विवरण के साथ-साथ माल निकासी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की तारीख को दर्ज करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.2.1)

मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और उत्तर (मार्च 2022) दिया है कि परिपत्र संख्या 25/2016-सीमा शुल्क दिनांक 08 जून 2016 के फॉर्म ए में एक उपयुक्त संशोधन की जांच की जा रही है।

सिफारिश 3: आईसीईएस में बॉन्ड मॉड्यूल को सभी प्रकार के वेयरहाउस संव्यवहारों जैसे बॉन्ड टू बॉन्ड क्लीयरेंस, सेज़ इकाइयों को निकासी आदि को दर्ज करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बांडों और बैंक गारंटी के विस्तार को ऑनलाइन फाइल करने तथा बांड और बैंक गारंटी की सीमा समाप्त होने पर अलर्ट होना चाहिए। प्रणाली समय सीमा समाप्त माल का आयु-वार विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए।

(पैरा 3.2.4)

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि आईसीईएस आयातित और निर्यातित माल के प्रसंस्करण के लिए एक संव्यवहार संबंधी डेटाबेस है। घरेलू क्षेत्र में कार्गो की आवाजाही आईसीईएस संव्यवहार मंच का हिस्सा नहीं है। जहां तक सेज़ इकाइयों को शामिल करने का संबंध है, इसके कार्यान्वयन की घोषणा बजट 2022 में की गई है और इसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क नीति विंग द्वारा सीमा शुल्क बांडों और बैंक गारंटी के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुतीकरण के कार्यान्वयन के लिए उपायों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। यह पहल व्यापार करने में सुगमता के परिवेश को बढ़ावा देने और कागज के उपयोग को कम करने के लिए है। आरंभिक समय में, इस पहल के कार्यान्वयन से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, शुल्क की रियायती दरों के अंतर्गत आयात, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अनुसार माल की वेयरहाउसिंग, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के अनुसार प्राइवेट वेयरहाउस और स्पेशल वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं आदि के अंतर्गत किए गए आयात सहित विभिन्न परिदृश्यों को समाहित किया जाएगा।

सिफारिश 4: विभाग को आईटी प्रणाली विकसित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वेयरहाउस लाइसेंस, पूर्ववर्ती सत्यापन, लाइसेंस के समर्पण आदि आवेदनो के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावी और समयबद्ध तरीके से की जाती है। समान व सुसंगत प्रक्रियों का पालन अनुचित कमियों और विलंब को कम करने के लिए किया जाता है।

(पैरा 3.3)

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में कहा है कि लेखापरीक्षा की सिफारिशों की जांच की जा रही है और क्षेत्रीय संरचनाओं से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदान किया जाएगा।

सिफारिश 5: विभाग को दिवालिया प्रमाण पत्र, बैंक गारंटी और जोखिम बीमा नीति के नवीनीकरण तखा आई टी प्रणाली/मॉड्युल पर नजर रखने व निगरानी के लिए एक समयबद्ध तरीके से एक आई टी प्रणाली विकसित करना चाहिए। यह प्रणाली नियमों में निर्धारित बीमा के अंतर्गत 100 प्रतिशत शुल्क कवरेज पर नजर रखने तथा निगरानी करना चाहिए।

(पैरा 3.5.3)

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में कहा है कि सिफारिश को नोट कर लिया है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित हो जाने के बाद, प्रतिवेदन को सम्यक सतर्कता बरतने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को परिचालित कर दिया जाएगा।

सिफारिश 6: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों/एसओपी सहित, सीबीडब्ल्यु की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के लिए एक तंत्र तुरंत लागू कर दिया जाए।

(पैरा 3.5.8)

सिफारिश 7: विभाग को महानिदेशक सिस्टम्स द्वारा अनुरक्षित और प्रबंधित सीमा शुल्क पोर्टल आइसगेट/आईसीईएस के साथ सेज़ ऑनलाइन आईटी प्रणाली के एकीकरण की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.7)

वाणिज्य विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि वास्तविक समय में डेटा को साझा करने और सेज़ सीमा शुल्क को इनपुट प्रदान करने के लिए ईडीटी आरएमएस

के उपयोग के लिए आइसगेट के साथ सेज़ ऑनलाइन सिस्टम का एकीकरण चल रहा है और इस संबंध में महानिदेशक सिस्टम्स, सीबीआईसी से आवश्यक सहायता का अनुरोध किया गया है।

सिफारिश 8: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेज के नियम 79 के अनुसार, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेज इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा सभी सेज में आयोजित की जाए।

(पैरा 4.11)

सिफारिश 9: विभाग को इकाइयों के संबंध में वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों और डेवलपर्स के संबंध में एचपीआर/क्यूपीआर के 100 प्रतिशत डिजिटल प्रस्तुतीकरण को लागू करने और किसी भी मैन्युअल रूप से प्रस्तुति की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और प्रभावी निगरानी विकसित होगी।

(पैरा 4.12)

****

शब्दावली

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
ए एंड जी	विमानपत्तन और सामान्य
एसीसी	एयर कार्गो काम्प्लेक्स
एडीजी	अपर महानिदेशक
एपी एंड एसीसी	विमानपत्तन और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एपीआर	वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन
एआर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
बीजी	बैंक गारंटी
बीएलयूटी	बांड-सह-कानूनी शपथ-पत्र
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीई	प्रविष्टि बिल
सीए	सनदी लेखाकार
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीबीआईसी	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीडब्ल्यू	सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस
सीसीओ	मुख्य आयुक्तालय कार्यालय
सीएफएस	कंटेनर फ्रेट स्टेशन
सीएचए	कस्टम हाउस एजेंट
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीएसआईए	छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन
डीए	महंगाई भत्ता
डीसी	विकास आयुक्त
डीसी/ एसी	उपायुक्त/सहायक आयुक्त
डीएफएस	शुल्क मुक्त दुकान
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीसीआईएस	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	महानिदेशक विदेश व्यापार
डीजीजीएसटीआई	माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईडीपीएमएस	निर्यात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाईयां
एक्जिम	निर्यात-आयात
एफओबी	पोत पर्यत नि:शुल्क
फोरेक्स	विदेशी मुद्रा
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडब्ल्यूज़ेड	मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र
वि.व.	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
एचबीपी	क्रियाविधि पुस्तिका
एचपीआर	छमाही निष्पादन प्रतिवेदन
एचआरए	मकान किराया भत्ता
आईसीडी	इनलैंड कंटेनर डिपो
आइसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली
आईडीपीएमएस	आयात डेटा संसाधन और निगरानी प्रणाली
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवाकर
आईएनआर	भारतीय रुपये
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस
केएसेज़	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एलईएडीएस	लोजिस्टिक्स ईज एक्रोस डिफरेंट स्टेट्स
एलओपी	अनुमति पत्र
एलपीआई	रसद निष्पादन सूचकांक
एमईआईएस	मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणालियाँ
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओटी	मर्चेंट ओवरटाइम
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटीआर	मासिक तकनीकी प्रतिवेदन
एनसीएच	न्यू कस्टम्स हाउस
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
एनटी	गैर-टैरिफ
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीसीसी	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क
क्यूपीआर	त्रैमासिक निष्पादन प्रतिवेदन
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरडब्ल्यूसी	पुन: वेयरहाउसिंग प्रमाण पत्र
एसबी	लदान बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
सेज़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसओ	विशिष्ट अधिकारी
एसटीपीआई	भारत का सॉफ्टवेयर प्रोद्योगिकी पार्क
टीओआर	विचारार्थ विषय
टीआर	माल का अस्थायी रूप से हटाना
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएस	संयुक्त राज्य

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
यूएसडी	अमेरिकी डॉलर
वीसेज़	विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अध्याय 1

भारत में सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) और मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड): एक विहंगावलोकन

1.1 वेयरहाउसिंग

वेयरहाउसिंग मुख्य रूप से माल के संचयन, जिसे इन्बाउन्ड या आउटबाउन्ड परिवहन किया जाना है, को संदर्भित करता है, और जो तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है और परिवहन के विभिन्न चरणों के दौरान माल और वाणिज्य वस्तुओं के उत्कृष्ट संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ दशकों पहले तक, वेयरहाउस केवल 'अधिग्रहीत' क्षेत्र थे, जो अपर्याप्त रोशनी या वेंटिलेशन सुविधाओं वाली गंदी या पुरानी इमारतों में थे। तब से, भारत में एक क्षेत्र के रूप में वेयरहाउसिंग कई गुना विकसित हुआ है, जिसमें निम्न-श्रेणी के वेयरहाउस को पूर्व-इंजीनियरर्ड संरचनाओं से प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो इंसुलेटेड, वेंटीलेटड और जलवायु-नियंत्रित होने के साथ चौबीसों घंटे निगरानी तथा मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के साथ है और यह खंड न केवल माल के लिए अभिरक्षा प्रदान करने में विकसित हुआ है, बल्कि छंटाई, पैकिंग, सम्मिक्षण और प्रसंस्करण जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं को प्रदान करने में भी विकसित हुआ है।

भारत का आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 215 बिलियन[3] अमरीकी डालर का लॉजिस्टिक्स उद्योग है और जो 10.7 *प्रतिशत* के सीएजीआर से बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में इसे लगभग 3.4 बिलियन अमरीकी डालर की संस्थागत पूंजी प्राप्त हुई है। रियल एस्टेट में कुल निजी इक्विटी निवेश में से लगभग 26 *प्रतिशत* निवेश वेयरहाउसिंग क्षेत्र में है।

1.2 वेयरहाउस के प्रकार:

वेयरहाउस को, प्ररूप (सामान्य, विशिष्टता, प्रशीतित); स्वामित्व (पब्लिक, प्राइवेट, अनुबद्ध); क्षेत्र (औद्योगिक बनाम कृषि); उपयोग पद्धति (एकल बनाम सह-वेयरहाउसिंग); अवसरंचना (एक मंजिला बनाम बहुमंजिला) या अंतिम उपयोगकर्ता

[3] इंडिया एक्सपो 2020

उद्योग (ऑटोमोटिव, खाद्य और पेय, रासायनिक, उपभोक्ता वस्तुएं और रिटेल, कपड़ा, औषधि, अन्य) के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वेयरहाउस को व्यापक तौर पर पब्लिक-प्राइवेट, अनुबद्ध, सरकारी और सहकारी वेयरहाउस में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 'ग्रेड ए' वेयरहाउस को सामान्यत: उनकी उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता, स्थान, क्षेत्र, सुविधाओं और ग्राहकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

1.2.1 सीमा शुल्क परिप्रेक्ष्य से वेयरहाउसिंग क्षेत्र

1.2.1.1 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस के प्रकार

पब्लिक वेयरहाउस

- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57 के अनुसार प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा प्रदान किया गया लाइसेंस, जिसमें शुल्क योग्य माल जमा किया जा सकता है।

प्राइवेट वेयरहाउस

- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 58 के अनुसार प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा प्रदान किया गया लाइसेंस जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा या उसकी ओर से आयातित शुल्क योग्य माल जमा किया जा सकता है।

स्पेशल वेयरहाउस

- अधिनियम की धारा 58 ए के अनुसार, प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क स्पेशल वेयरहाउस के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं।

1.2.1.2 इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन

इनलैंड कंटेनर डिपो

- इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), गेटवे पोर्ट से आयातित और निर्यातित माल की निकासी के लिइ आंतरिक प्रदेश में स्थित सीमा शुल्क स्टेशन है। इनलैंड कंटेनर डिपो को कभी-कभी ड्राई पोर्ट भी कहा जाता हैं।

कंटेनर फ्रेट स्टेशन

- कंटेनर फ्रेट स्टेशन(सीएफएस) एक सीमा शुल्क क्षेत्र जो समीप में स्थित गेटवे पोर्ट से जोडा जाता है ताकि कार्गो को स्थानांतरित करके और पोर्ट से दूर सीमा शुल्क निकासी गतिविधियों को पूरा करके पोर्ट पर भीड-भाड को कम किया जा सके।

1.2.1.3 मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड)

एफटीडब्ल्यूजेड

- मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेष श्रेणियां हैं जिनमें व्यापार और वेयरहाउसिंग तथा उनसे संबंधित अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इससे पहले, आईसीडी और सीएफएस के कार्यचालन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16 में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अंतर्गत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा प्रशासित सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) के साथ-साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) द्वारा प्रशासित मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के कार्यचालन को वेयरहाउसिंग क्षेत्र के कार्यचालन के व्यापक कवरेज के लिए लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु लिया गया था।

1.3 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) आयातकों को सीमा शुल्क के तत्काल भुगतान के बिना और इस प्रकार कार्यशील पूंजी के अवरोध के बिना आयातित माल को संचरित करने में सक्षम बनाता है। भारत में, एक आयातक जो माल को वेयरहाउस में रखना चाहता है, वह एक 'इन्टू-बॉन्ड' बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, जिसका आयात पोर्ट पर सीमा शुल्क के लिए निर्धारण किया जाता है। आयातक को सीमा शुल्क के जोखिम को सुरक्षित करने के लिए एक बांड प्रस्तुत करना पड़ता है; बांड प्रस्तुत होने पर, आयात पत्तन पर तैनात निर्धारण अधिकारी माल को सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस में शुल्क के भुगतान के बिना जमा करने की अनुमति देता है, जिसकी सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के तहत अनुमति है। सीमा शुल्क अधिनियम और वेयरहाउसिंग विनियमों में पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयरहाउस के लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें आयातकों द्वारा शुल्क योग्य माल को जमा किया जा सकता है।

नए वेयरहाउसिंग विनियमन 2016 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 और 61, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था, में भी वेयरहाउसिंग बांड के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया और उस समय-अवधि को निर्धारित किया गया है जब तक माल वेयरहाउस में ब्याज देयता के साथ या बिना ब्याज देयता के साथ रखा जा सकता है। अधिनियम उन प्रक्रियाओं और शर्तों को भी निर्धारित करता है जिनके तहत वेयरहाउस में रखे गए किसी माल का मालिक वेयरहाउस में ऐसे माल से संबंधित किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य परिचालन को चालू कर सकता

है। वेयरहाउसिंग के सांविधिक प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 से 73क में निर्दिष्ट हैं।

भारत में सीमा शुल्क वेयरहाउसिंग से संबंधित कानून को 14 मई 2016 से काफी उदार बना दिया गया है। महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- वेयरहाउसिंग स्टेशन की अवधारणा को हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस को लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने पर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।
- सहायक /उप आयुक्त के स्थान पर आयुक्त को उस अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो सभी प्रकार के वेयरहाउस लाइसेंस जारी करेगा।
- वेयरहाउस के अभिगमन के लिए सीमा शुल्क अधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता को अधिकांश वस्तुओं के लिए हटा दिया गया है। यह जिम्मेदारी वेयरहाउस रक्षक और आयातक को हस्तांतरित कर दी गई है। केवल कुछ संवेदनशील माल, यथा अधिसूचित वेयरहाउस की एक अलग श्रेणी में प्रत्यक्ष सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा। (स्पेशल वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और रख-रखाव) विनियमन 2016)।
- वेयरहाउसिंग बांड की राशि में वृद्धि की गई है, और नकद प्रतिभूति को एक सांविधिक आवश्यकता बना दिया गया है। (सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59)।
- वेयरहाउसिंग की अवधि ईओयू पर लागू नहीं होगी। वे शुल्क या शुल्क पर ब्याज के भुगतान के बिना आयातित माल रख सकते हैं, जब तक कि इन्हें विनिर्माण में उपयोग के लिए जारी नहीं किया जाता है।
- आयुक्त/प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए वेयरहाउसिंग अवधि का विस्तार दिया जा सकता है। (सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61)।
- माल के वेयरहाउस, अंतर-वेयरहाउस और वेयरहाउस से निर्यात के लिए आवाजाही सीमा शुल्क वन-टाइम लॉक के तहत होगी। (वेयरहाउस (माल

की अभिरक्षा और रख-रखाव) विनियमन 2016 और वेयरहाउस्ड माल (निकासी) विनियमन 2016)।

- सीमा शुल्क विभाग का वेयरहाउस रक्षक को दिये जाने वाले किराए और अन्य बकाया राशि से कोई संबंध नहीं होगा।
- पहले की स्थिति जहां लाइसेंस और विनिर्माण अनुमतियां अलग-अलग जारी की जाती थीं, उसकी तुलना में अब लाइसेंस और विनिर्माण अनुमति दोनों के लिए एक एकल एकीकृत आवेदन प्रपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2019 के परिपत्र संख्या 34/2019 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसे वेयरहाउस में विनिर्माण या अन्य परिचालन (संख्या 2) विनियमन 2019 के साथ जारी किया गया है।

1.3.1 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस की वृद्धि:

नए वेयरहाउसिंग विनियमन 2016 के लागू होने के बाद इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मार्च 2020 तक 1,035 वेयरहाउस थे (पब्लिक -512, प्राइवेट -343 और स्पेशल -180), जबकि मई 2016 तक पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयरहाउस की कुल संख्या केवल 88 थी।

चार्ट 1: सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस की वृद्धि

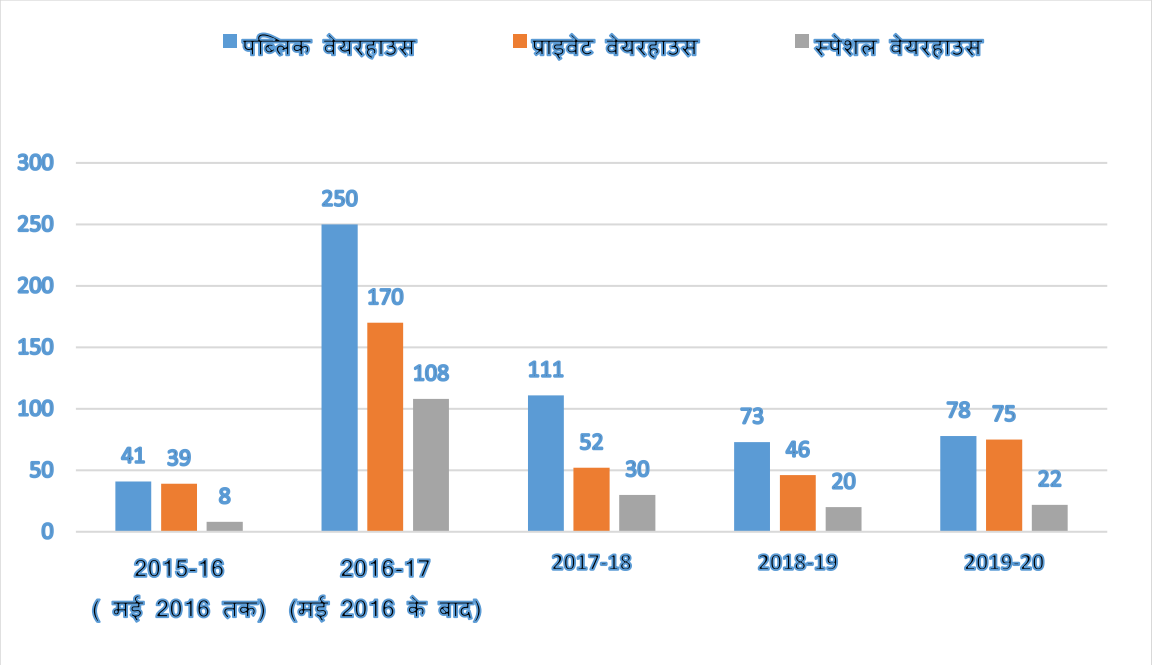

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस में संव्यवहार के कुल आंकडों को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस में संव्यवहार के आंकडें

(₹करोड़ में)

वर्ष	इन्टू बांड बीई की कुल संख्या	इन्टू बांड निर्धारणीय मूल्य	इन्टू बांड निर्धारित शुल्क	एक्स-बांड बीई की कुल संख्या	एक्स-बांड निर्धारणीय मूल्य	एक्स बांड निर्धारित शुल्क
2015-16	2,66,920	3,10,000.80	30,749.31	2,75,705	2,36,018.42	15,983.83
2016-17	1,83,222	3,13,050.81	34,016.04	3,97,249	2,70,742.08	17,618.97
2017-18	1,17,632	3,68,732.15	45,251.28	4,05,014	3,46,929.46	24,577.37
2018-19	1,16,871	3,42,263.19	61,732.81	3,70,892	3,25,398.81	31,437.18
2019-20	1,13,205	2,98,136.12	58,879.28	3,72,254	2,78,098.99	26,342.12

स्रोत: महानिदेशक सिस्टम्स एवं डेटा प्रबंधन, सीबीआईसी

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस में संव्यवहारों पर अखिल भारतीय मुख्य आयुक्तालय वार आंकडों को ***अनुलग्नक 1.1*** में दिया गया है।

1.3.2 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउसिंग प्रक्रिया

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस का कार्यचालन एक त्रि-स्तरीय प्रशासनिक संरचना - लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी; सीमा शुल्क स्टेशन पर उचित अधिकारी; और वेयरहाउस का बांड अधिकारी द्वारा शासित होता है।

लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी: - प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी होता है और आवेदक से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करता है। वह प्राइवेट वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालनों को करने के लिए अनुमति प्रदान

करने वाले प्राधिकारी भी होता है। वह पर्याप्त कारण दिए जाने पर उस अवधि का विस्तार कर सकता है जिसके लिए माल वेयरहाउस में रखा जा सकता है।

उचित अधिकारी: - सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त/सहायक आयुक्त को अधिनियम की धारा 59, 60, 61, 67, 72 और 73 से संबंधित कार्यों के लिए उचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक या मूल्यांकनकर्ता को अधिनियम की धारा 64, 68 और धारा 69 से संबंधित कार्यों के लिए उचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बांड अधिकारी: बांड अधिकारी, वेयरहाउस का एक प्रभारी सीमा शुल्क अधिकारी होता है। बांड अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के बाद एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में माल का स्थानांतरण, घरेलू खपत और निर्यात के लिए माल को हटाया जाता है। बांड अधिकारी वेयरहाउस में रखे गए माल के संबंध में अनुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण और मासिक रिटर्न की प्राप्ति/जांच करने के लिए भी उत्तरदायी है।

1.3.3 सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस के लाभ

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- शुल्क तब तक नहीं वसूला जाता है जब तक कि माल उपभोग के लिए वापस नहीं ले लिया जाता है। इसलिए, एक आयातक के पास अपने धन के उपयोग पर तब तक नियंत्रण होता है जब तक कि माल की निकासी पर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।
- यदि आयातित वस्तुओं के लिए कोई घरेलू खरीदार नहीं मिलता है, तो आयातक निर्यात के लिए माल बेच सकता है, जिससे वह शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है।
- परिचालित वस्तुओं के बकाया शुल्क को अनुबद्ध वेयरहाउस से निकासी के समय निर्धारित किया जाता है।

1.3.4 माल के वेयरहाउसिंग के लिए मापदंड

- पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल सीमा शुल्क वेयरहाउसों में केवल शुल्क योग्य माल को ही रखा जा सकता है। पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयरहाउस में, माल उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक रखा जा सकता है जिस पर उपयुक्त अधिकारी ने माल को सीमा शुल्क स्टेशन से हटाकर वेयरहाउस में रखने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
- आयातक को उस माल पर, जिसके संबंध में वेयरहाउसिंग के लिए प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित किए गए शुल्क की राशि के तीन गुना के बराबर राशि के लिए एक बांड प्रस्तुत करना होता है।
- ब्याज तब देय होगा जब माल उस तिथि से नब्बे दिनों की अवधि से अधिक वेयरहाउस में रहता है, जब माल को सीमा शुल्क स्टेशन से हटाकर वेयरहाउस में जमा करने की अनुमति देने का आदेश दिया गया था।
- आयात शुल्क का भुगतान तब किया जाना चाहिए जब वेयरहाउस में रखे गए माल को घरेलू खपत के लिए निकासी दे दी हो।
- वेयरहाउस में रखे गए किसी भी माल को आयात शुल्क के भुगतान के बिना भारत के बाहर किसी भी स्थान पर निर्यात किया जा सकता है, , यदि लदान बिल / निर्यात बिल प्रस्तुत किया हो और निर्यात शुल्क, जुर्माना और शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया हो।
- यदि वेयरहाउस में रखे गए माल को धारा 71 का उल्लंघन करते हुए निकाला जाता है या वेयरहाउसिंग अवधि की समाप्ति पर घरेलू खपत या निर्यात के लिए नहीं निकाला जाता है या उचित अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार माल का विधिवत लेखा नहीं रखा जाता है, तो उपयुक्त अधिकारी ब्याज, जुर्माना और शास्ति के साथ-साथ प्रभार्य शुल्क की संपूर्ण राशि की मांग कर सकता है और माल के मालिक को उसका भुगतान करना पड़ेगा।

1.4 मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड)

मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेष श्रेणियां हैं जिनमें व्यापार और वेयरहाउसिंग और उनसे संबंधित अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एफटीडब्ल्यूजेड नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-2009 के एक भाग के रूप में भारत की सामरिक भौगोलिक

स्थिति और लागत व कौसल अंतरपणन का लाभ उठाने के लिए सेज़ अधिनियम 2005 और सेज़ नियम 2006 द्वारा शासित है।

एफटीडब्ल्यूजेड का उद्देश्य मुक्त मुद्रा में व्यापार संव्यवहार करने की स्वतंत्रता के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार से संबंधित अवसरंचना का निर्माण करना है। इस नीति में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों' के रूप में एकीकृत क्षेत्रों की सहायता करने के लिए आयात और निर्यात औपचारिकताओं की एक साथ मंजूरी के साथ विभिन्न उत्पादों के वेयरहाउसिंग के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना, अत्याधुनिक उपस्कर, परिवहन और रख-रखाव सुविधाएं, वाणिज्यिक कार्यालय-स्थान, जल, बिजली, संचार और कनेक्टिविटी के सृजन की परिकल्पना की गई है।

इन क्षेत्रों को समुद्र पत्तनों, हवाई पत्तनों या ड्राई पोर्ट्स के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित करने की योजना बनाई गई है ताकि रेल और सड़क द्वारा आसान पहुंच प्रदान की जा सके। मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) को एक्जिम व्यापार हेतु सुविधाजनक बनाने और भारत में एक्जिम कार्गो के संचलन और मूल्यवर्धन से जुड़ी अक्षमताओं को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है।

एफटीडब्ल्यूजेड शुल्क मुक्त क्षेत्र हैं जो व्यापार, पोतांतरण और पुनर्निर्यात परिचालनों के लिए वेयरहाउसिंग, संचयन और वितरण सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ आद्योपांत आपूर्ति श्रृंखला सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में वर्गीकृत और तापमान-नियंत्रित वेयरहाउस, ब्रेक बल्क कार्गो वितरण, आयात और निर्यात के लिए सीमा शुल्क की एक साथ शीघ्र मंजूरी, एफटीडब्ल्यूजेड के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर छूट, स्थानीय करों से छूट और परेशानी रहित पुनर्निर्यात जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

एफटीडब्ल्यूजेड कारबार की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के संव्यवहार करने की नम्यता प्रदान करते हैं। वे पोतांतरण के लिए उपयोग किए जा सकते है,

- एफटीडब्ल्यूजेड में विदेश से आयात करने के लिए और मूल्य वर्धन के साथ या इसके बिना पुनर्निर्यात करने के लिए;

- एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से विदेश से घरेलू टैरिफ क्षेत्रों (डीटीए) में ऐसे मूल्य वर्धन के साथ या इसके बिना आयात, जो विक्रेता माल सूची प्रबंधन और समय पर सुपुर्दगी की अनुमति देता है;
- एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से डीटीए/निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू)/अन्य सेज़ों से विदेश में मूल्य वर्धन के साथ या उसके बिना निर्यात;
- विदेशों और डीटीए से एफटीडब्ल्यूजेड में निर्यात और एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से विदेश में पुनर्निर्यात; और
- एफटीडब्ल्यूजेड में आंतरिक इनपुटों के वर्धन के साथ एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से विदेश से डीटीए को आयात।

1.4.1 भारत में एफटीडब्ल्यूजेड की वृद्धि

वर्ष 2006 से 2020 की अवधि के दौरान अधिसूचित एफटीडब्ल्यूजेड की विकास दर इस प्रकार है:

चार्ट 2: वर्ष 2006-2020 की अवधि के दौरान अधिसूचित एफटीडब्ल्यूजेड

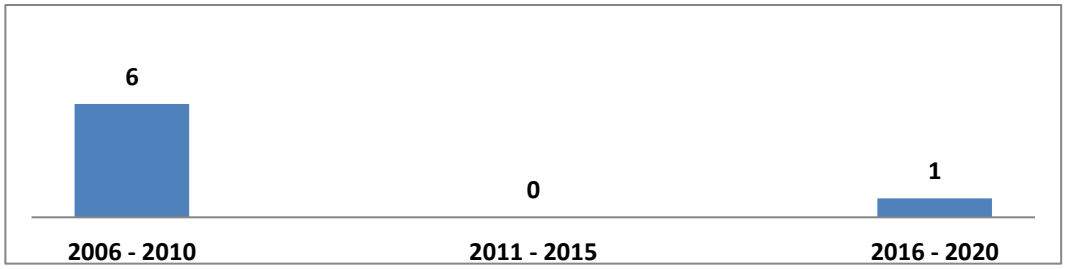

स्त्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

एफटीडब्ल्यूजेड नीति के लागू होने के पहले चार वर्षों के दौरान, छह एफटीडब्ल्यूजेड को अधिसूचित किया गया था। अगले पांच वर्षों में एक भी एफटीडब्ल्यूजेड को अधिसूचित नहीं किया गया और 2016-2020 के दौरान केवल एक एफटीडब्ल्यूजेड को अधिसूचित किया गया था। इसलिए, मार्च 2020 तक केवल सात एफटीडब्ल्यूजेड को अधिसूचित किया गया है।

1.4.2 संव्यवहारों की मात्रा/ एफटीडब्ल्यूजेड की वृद्धि

1.4.2.1 एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से संचालित किए गए आयात और निर्यात का मूल्य

चार्ट 3: एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा कुल आयात और निर्यात (₹ करोड़ में)

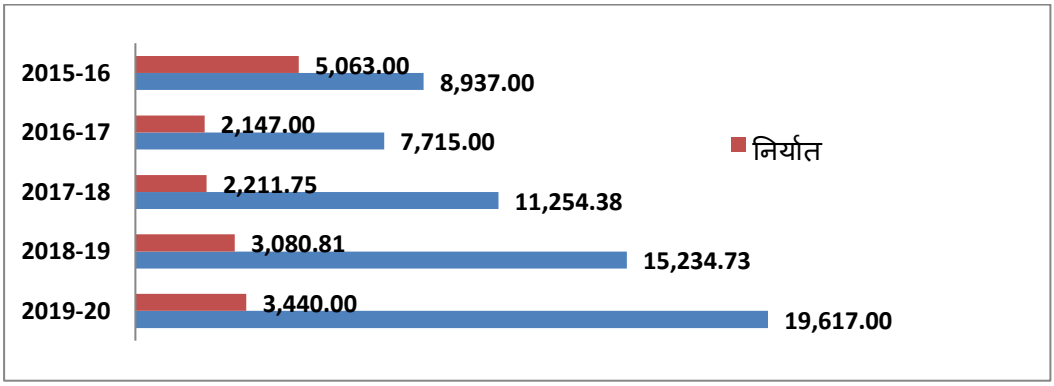

स्त्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

समग्र रुपये के संदर्भ में, एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से हुए वर्ष-दर-वर्ष आयात का मूल्य वि.व. 2015-16 में ₹ 8,937 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹19,617 करोड़ हो गया है। वि.व. 2016-17 में मामूली गिरावट के बाद आयात की वार्षिक वृद्धि दर में वि.व. 2017-18 के दौरान 46 *प्रतिशत* और वि.व. 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: 35 *प्रतिशत* और 29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

दूसरी तरफ, एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से निर्यात के मूल्य में वि.व. 2016-17 में *58 प्रतिशत* की गिरावट आई, वि.व. 2017-18 में 3 *प्रतिशत* की मामूली वृद्धि हुई, इसके बाद वि.व. 2018-19 में 39 *प्रतिशत* और वि.व. 2019-20 में 11 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यात वि.व. 2015-16 में ₹5,063 करोड़ से घटकर वि.व. 2019-20 में ₹3,440 करोड़ हो गया अर्थात् 32 *प्रतिशत* की गिरावट आई।

1.4.2.2 वस्तुवार निर्यात और आयात

वर्ष 2015-20 के दौरान एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा आयातों के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा से पता चलता है कि शीर्षतम आयातित उत्पाद श्रेणियां इलेक्ट्रिकल्स/मशीनरी/ऑटोमोबाइल और उपकरण थें, जिसके बाद रसायन/खनिज और मूल धातुएं/धातुओं की वस्तुएं आती है, जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 4 : वर्ष 2015-20 के दौरान एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा आयात (₹ करोड़ में)

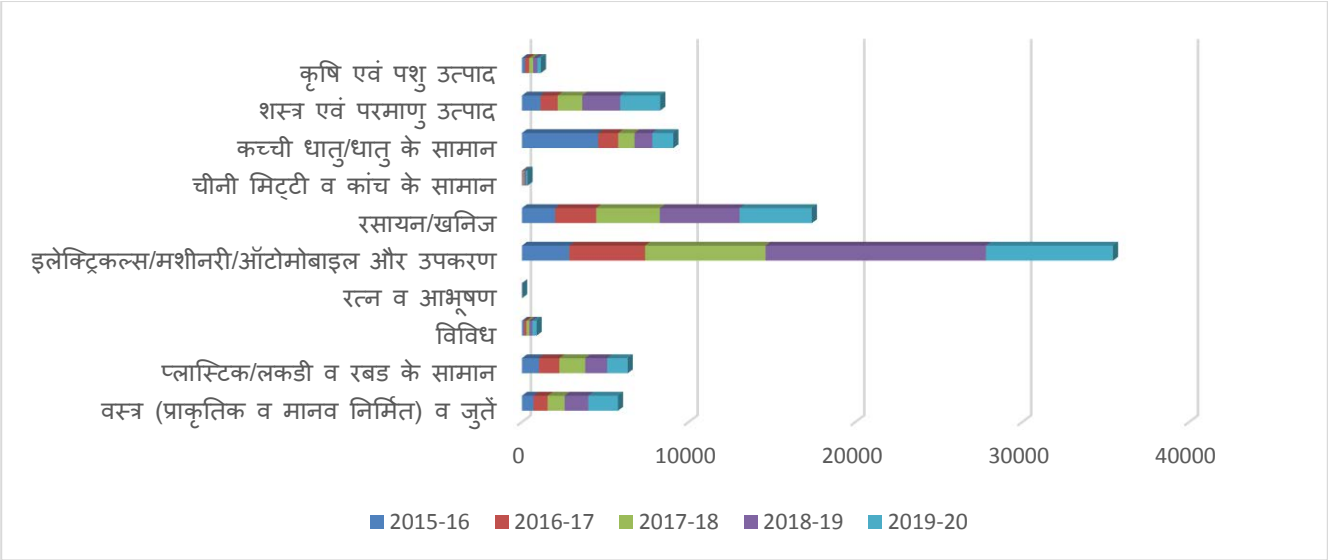

स्त्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वर्ष 2015-20 के दौरान एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यातित शीर्षतम उत्पाद श्रेणियां मूल धातुएं/धातुओं की वस्तुएं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स/मशीनरी/ऑटोमोबाइल और उपकरण और रसायन/खनिज थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 5: 2015-20 के दौरान एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों द्वारा निर्यात (₹ करोड़ में)

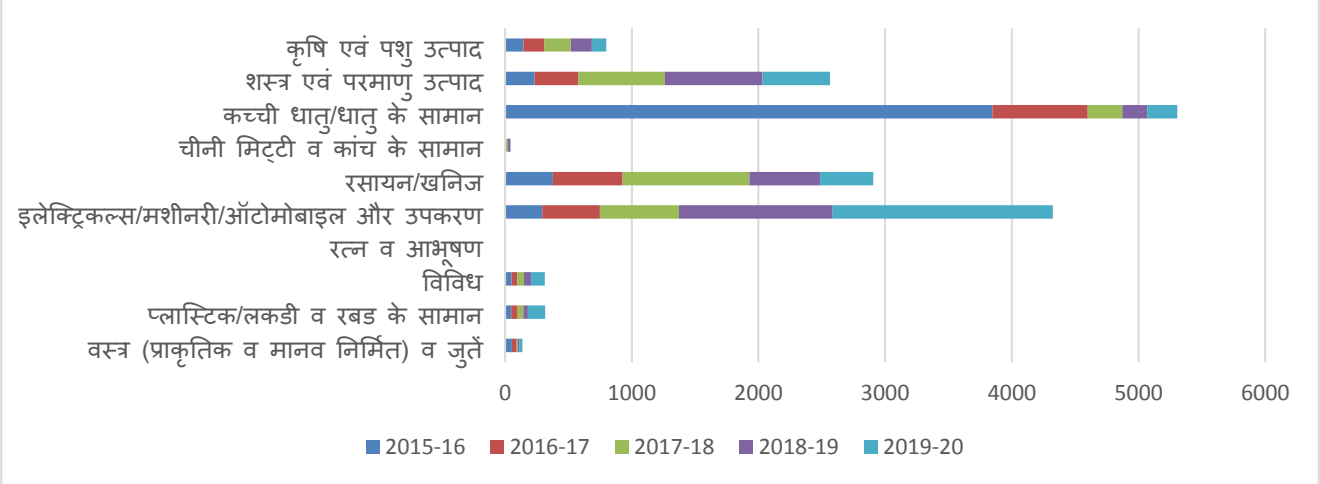

स्त्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

एफटीडब्ल्यूजेड के माध्यम से आयात और निर्यात की तुलना से पता चलता है कि निर्यात की तुलना में आयात 4 से 5 गुना अधिक था, वर्ष 2015-16 को छोड़कर, जिसमें यह निर्यात का 2.5 गुना था।

चार्ट 6: एफटीडब्ल्यूजेड से आयात और निर्यात का सार (वर्ष 2015-16 से 2019-20) (₹ करोड़ में)

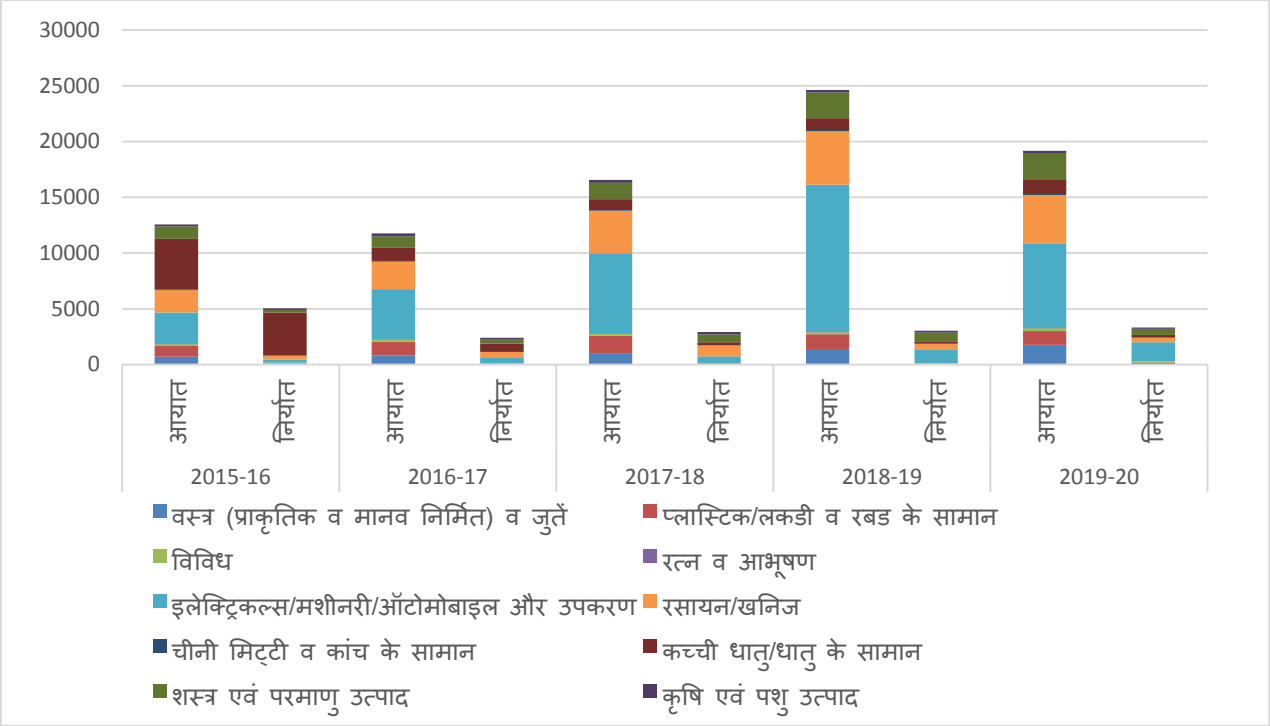

स्त्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

इसका तात्पर्य यह है कि एफटीडब्ल्यूजेड में आयातित माल के प्रमुख भाग की निकासी घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में होती है।

1.4.3 कार्यान्वयन में शामिल प्राधिकारी

एफटीडब्ल्यूजेड का कार्यचालन एक त्रि-स्तरीय प्रशासन - अनुमोदन बोर्ड, अनुमोदन समिति और विकास आयुक्त द्वारा शासित होता है।

- **अनुमोदन बोर्ड:** - अनुमोदन बोर्ड शीर्ष निकाय है और इसकी अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है। एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के बाद बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एक 19 सदस्यीय निकाय है, और अंतिम अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है;
- **अनुमोदन समिति:** - एफटीडब्ल्यूजेड की इकाइयों और अन्य संबंधित मामलों के अनुमोदन पर कार्य करती है।
- **डेवलपर:** - इसका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति, या किसी राज्य सरकार से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है;

- **सह-डेवलपर:** - इसका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति, या किसी राज्य सरकार से है जिसे निर्धारित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है;
- **विकास आयुक्त:** - प्रत्येक क्षेत्र की अध्यक्षता एक विकास आयुक्त द्वारा की जाती है, जो अनुमोदन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

1.4.4 मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लाभ

- सीमा शुल्क, यदि लागू हो, का भुगतान तब किया जाता है, जब व्यापारिक माल को उपभोग के लिए क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाता है। क्षेत्र में रखा गया व्यापारिक माल सीमा शुल्क के अधीन नहीं आता। माल अनिश्चित काल तक एक क्षेत्र में रखा सकता है, चाहे वह शुल्क के अधीन हो या न हो।
- माल को क्षेत्र से सीमा शुल्क के बिना निर्यात किया जा सकता है।
- क्षेत्र के डेवलपर सुरक्षा आवश्यकताओं और चोरी से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

1.4.5 एफटीडब्ल्यूजेड के लिए मानक

- मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में चालीस हेक्टेयर या उससे अधिक का क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1,00,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। 17 दिसंबर 2019 से, एफटीडब्ल्यूजेड में पचास हेक्टेयर (अर्थात 500,000 वर्ग मीटर) का न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र होना चाहिए। मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र बनाने के लिए, प्रस्ताव में न्यूनतम परिव्यय ₹100 करोड़ का होना चाहिए।
- एक एकल मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में, प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए कम से कम 50 *प्रतिशत* क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र, बहु-उत्पादों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के भाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।
- पांच सौ हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र में, मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग ज़ोन को बिना किसी न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता के अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है, कि ऐसे मुक्त व्यापार और

वेयरहाउसिंग क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्र प्रसंस्करण क्षेत्र के 20 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा।

- 17 दिसंबर 2019 से, सभी मौजूदा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र माना जाएगा;
- मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में एक इकाई द्वारा सभी संव्यवहार केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होने चाहिए।
- व्यापार या वेयरहाउसिंग में लगी इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया के उप-संविदा की सुविधा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- एफटीडब्ल्यूजेड में इकाइयों को मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग गतिविधि के प्रारंभ से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जाने वाली निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी चाहिए।
- डेवलपर विशेष आर्थिक क्षेत्र की भूमि को नहीं बेचेगा। हालांकि, पट्टे पर देने की अनुमति है।
- एक इकाई विकास आयुक्त के अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकल सकती है और इस प्रकार का प्रस्थान पूंजीगत माल, अप्रयुक्त कच्चे माल और स्टॉक में पड़े तैयार माल के संबंध में लागू शुल्कों के भुगतान के विषयाधीन होगा।

अध्याय 2
लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड और कार्यप्रणाली

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे:

- वेयरहाउसिंग विनियमन, 2016 में राजस्व हित को हानि पहुंचाए बिना सरलीकरण और स्व-निकासी तंत्र में सुधार करने के लिए किए गए परिवर्तनों की प्रभावशीलता का निर्धारण करना, और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता का भी निर्धारण करना;
- यह निर्धारण करना कि क्या एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना और परिचालन एफटीडब्ल्यूजेड की नीति के उद्देश्यों के साथ विधिवत रूप से संरेखित थे;
- यह जांच करना कि क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निगरानी और समन्वय तंत्र पर्याप्त है और राजस्व हानि के जोखिम को कम करने के लिए निर्मित किए गए हैं।

2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा में वेयरहाउस/एफटीडब्ल्यूजेड के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था और वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए सीमा शुल्क कार्यालयों, विकास आयुक्तों के कार्यालयों और निर्दिष्ट अधिकारी के पास अनुरक्षित प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की गई थी।

2.3 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में सीबीडब्ल्यू (संबंधित सीमा शुल्क कार्यालयों में लाइसेंस रिकॉर्ड, वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री, वेयरहाउसिंग आदेश, बांड रजिस्टर, वेयरहाउस रक्षक द्वारा प्रस्तुत वेयरहाउस परिचालनों से संबंधित मासिक रिटर्न, बांड अधिकारी द्वारा दी गई

अनुमतियां, वेयरहाउस में रखे गए माल की निकासी के आदेश, शिपिंग बिल आदि) से संबंधित अभिलेखों का डेटा विश्लेषण और नमूना जांच शामिल थे।

एफटीडब्ल्यूजेड के मामले में, लेखापरीक्षा जांच में संबंधित विकास आयुक्त के कार्यालय में विभिन्न अभिलेखों जैसे डेवलपर्स/इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/रिटर्न, त्रैमासिक और वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों, सीमा शुल्क से संबंधित दस्तावेजों जैसे बिल ऑफ एंट्री (बीई), शिपिंग बिल, संबंधित इनवॉइस आदि का अध्ययन और जांच शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रवेश/समापन सम्मेलन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/राजस्व विभाग के साथ क्रमशः 07 अक्टुबर 2020 और 30 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। दिनांक 24 दिसंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/राजस्व विभाग को प्रतिवेदन का प्रथम प्रारूप भेजा गया था, जिसका जवाब मार्च/अप्रैल 2022 को प्राप्त हुआ।

2.4 नमूना चयन

सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू)

चूंकि सीबीडब्ल्यू के माध्यम से संचालित आयात और निर्यात की मात्रा/मूल्य के अखिल भारतीय आकडें उपलब्ध नहीं थे, इसलिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वेयरहाउसों के एक नमूने का चयन किया।

- कार्गो की मात्रा/मूल्य, संचालित किया गया निर्यात/आयात, पिछली लेखापरीक्षा आपत्तियां यदि कोई हो, और कार्गो की प्रकृति विशेष रूप से खतरनाक और संवेदनशील वस्तुएं, और अन्य प्रासंगिक जानकारी।
- लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल नमूना संख्या पब्लिक/प्राइवेट अनुबद्ध वेयरहाउसों की कुल संख्या का 50 *प्रतिशत* था, जो प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों (परिचालनात्मक/बंद/बहिर्गमन/वापस ले लिए गए) के तहत अधिकतम 10 वेयरहाउसों के अध्यधीन था।
- विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए स्पेशल वेयरहाउसों के 100 *प्रतिशत* को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, 1,035[4] सीबीडब्ल्यू में से, 24 आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 219 सीबीडब्ल्यू को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड)

मार्च 2020 तक कुल सात एफटीडब्ल्यूजेड अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से केवल चार एफटीडब्ल्यूजेड परिचालन में हैं। इसके अलावा, एफटीडब्ल्यूजेड को पांच औपचारिक अनुमोदन और पांच सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। सात एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स के एक प्रतिनिधि नमूने को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। 222 एफटीडब्ल्यूजेड[5] इकाइयों में से सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में फैली 44 इकाइयों को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

2.5 कुछ लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड मौजूदा विधान, निर्धारित नियम पुस्तिका और नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, सरकारी सूचनाओं और परिपत्रों से प्राप्त किए गए हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;
- सीमा शुल्क मैनुअल 2018;
- वेयरहाउसिंग के संबंध में सीबीआईसी द्वारा जारी की गयी सीमा शुल्क अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम आदि;
- अद्यतित विदेश व्यापार नीति 2015-20;
- सेज़ अधिनियम 2005;
- सेज़ नियम 2006;
- आईजीएसटी अधिनियम और नियम;
- प्रक्रियाओं की हैंडबुक और इसके परिशिष्टों;

[4] पब्लिक वेयरहाउस - 512, प्राइवेट वेयरहाउस - 343 और स्पेशल वेयरहाउस - 180

[5] मैसर्स एफ एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में इकाइयों की संख्या उपलब्ध नहीं है

- डीजीएफटी (महानिदेशक विदेश व्यापार) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाएं/परिपत्र आदि;
- विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

अध्याय 3
सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस

3.1 प्रस्तावना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क के भुगतान के बिना सीमा शुल्क अनुबद्ध वेयरहाउस (सीबीडब्ल्यू) में आयातित माल के संचयन की सुविधा की अनुमति दी गई है। सीमा शुल्क अधिनियम और वेयरहाउस विनियमों में सार्वजनिक, निजी और विशेष वेयरहाउस को लाइसेंस देने का प्रावधान है, जिसमें आयातकों द्वारा सीमा शुल्क योग्य वस्तुओं को जमा किया जा सकता है। यह अधिनियम उन प्रक्रियाओं और शर्तों का भी प्रावधान करता है जिनके अंतर्गत किसी भी संचयित माल का मालिक उस माल के संबंध में वेयरहाउस में ही कोई विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य परिचालन कर सकता है। वेयरहाउस के सांविधिक उपबंध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 से 73ए में निहित हैं।

भारत में सीमा शुल्क वेयरहाउस से संबंधित कानून को 14 मई 2016 से काफी उदार बना दिया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत, वेयरहाउस स्टेशन की अवधारणा को हटा दिया गया है। इससे किसी भी स्थान पर सीबीडब्ल्यू की स्थापना हुई है, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो और सार्वजनिक तथा निजी वेयरहाउस अब सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहकर, अभिलेख आधारित नियंत्रण की और अग्रसर है। सीमा शुल्क स्टेशनों से वेयरहाउस तक, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक अथवा वेयरहाउस से सीमा शुल्क स्टेशनों तक माल की ढुलाई के लिए प्रत्यक्ष अनुरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अन्य सुविधाएं जैसे आयातों के वेयरहाउसिंग की ऑनलाइन अनुमति; वेयरहाउस रक्षक और आयातक को माल के संचयन, सुरक्षा और निकासी की जिम्मेदारी का स्थानांतरण; और माल निकासी के लिए एक्स-बांड बीई की ऑनलाइन मंजूरी, व्यापार के लिए सीमा शुल्क मंजूरी और प्रवास समय की लागत को कम करने के लाभ जोडे है। **चार्ट 7** में उदारीकृत प्रक्रिया हेतु एक प्रक्रिया चार्ट दर्शाया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य राजस्वहित को हानि पहुंचाए बिना सुविधा और स्व-निकासी तंत्र में सुधार के लिए वेयरहाउसिंग विनियम 2016 में किए गए परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन करना और सीमा शुल्क

अधिनियम 1962 के अंतर्गत वेयरहाउसों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्र, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं आदि की पर्याप्तता का आकलन करना भी है। 1,035 सीबीडब्ल्यू में से, हमने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 219 सीबीडब्ल्यू[6] का चयन किया।

[6] पब्लिक वेयरहाउस-55, प्राइवेट वेयरहाउस-64 तथा स्पेशल वेयरहाउस-100

चार्ट 7: नए वेयरहाउस विनियमों की शुरूआत के बाद माल के संचयन के लिए प्रक्रिया चार्ट

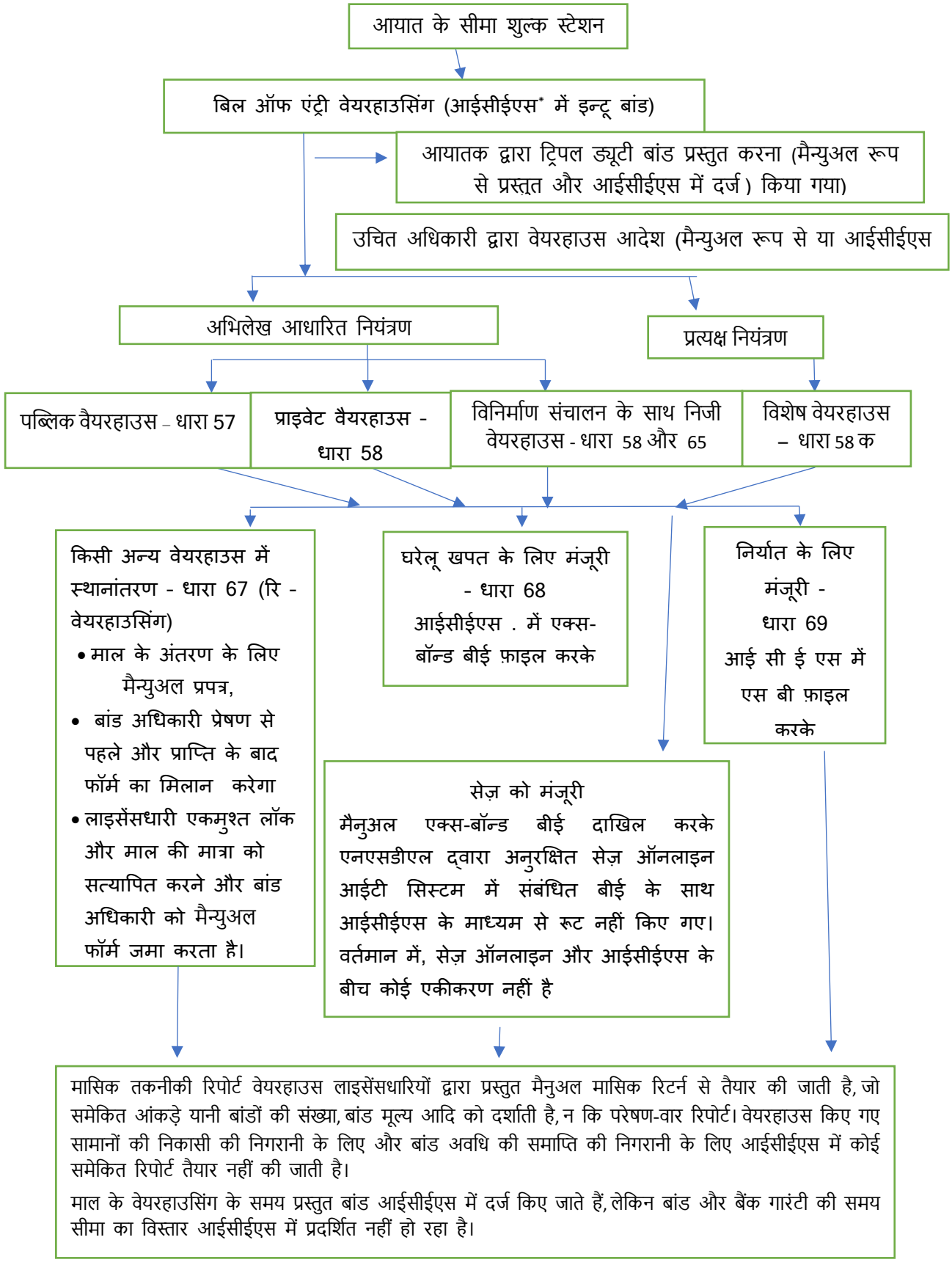

* *भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली*

3.2 डिजिटाइजेशन की सीमा

3.2.1 अलग-अलग वेयरहाउस के अभिलेखों के डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन

वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और रख-रखाव) विनियम, 2016 का विनियम 11 यह निर्धारित करता है कि लाइसेंसधारक को वेयरहाउस में आने जाने वाले माल की प्राप्ति, रख-रखाव, संचयन और निकासी के विस्तृत अभिलेख बनाए रखने चाहिए और इसके बारे में मासिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

सीबीआईसी ने अपने 8 जून 2016 के परिपत्र[7] में वह फॉर्म निर्धारित किया है जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा आंकडों के रख-रखाव की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म में निर्धारित आंकडों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किया जाएगा और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अद्यतन, सटीक और पूर्ण रखा जाना चाहिए और यह आंकडें हर समय वेयरहाउस में उपलब्ध होने चाहिए तथा सत्यापन के लिए बांड अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के लिए सुलभ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रखरखाव के लिए सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का एक विशेष प्रावधान भी शामिल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक सुरक्षित, कंप्यूटर जेनरेटेड, समय-मुद्रांकित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो घटनाक्रम के पुनर्निर्माण हेतु सुलभ हो सके।

मासिक रिटर्न के लिए निर्धारित प्रारूप, बीई विवरण सहित माल प्राप्ति का विवरण, माल का विवरण, मूल्य, आकलित शुल्क, मात्रा आदि दर्ज हो; रख रखाव और संचयन में बैंक गारंटी व बांड के विवरण शामिल हो, निकासी में निकासी दिनांक, निकासी उद्देश्य(घरेलू खपत/एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि), निकासी की मात्रा, मूल्य, शुल्क, ब्याज, शेष मात्रा आदि; वेयरहाउस में संचयित माल का विवरण जहां समय-अवधि समाप्त हो रही हो में बीई का विवरण, बांड विवरण, समाप्ति/बांड विस्तार, बैंक गारंटी आदि शामिल हों। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि लाइसेंसधारक को निर्धारित प्रारूप में सही अभिलेखों का रख-रखाव करना चाहिए।

वेयरहाउस का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण की ओर अंतरित हो गया हैं। यदि लाइसेंसधारक द्वारा अभिलेखों का सही

[7] परिपत्र संख्या 25/2016-सीमा शुल्क दिनांक 8 जून 2016

रख-रखाव नहीं किया जाता तो वेयरहाउस से माल निकासी का विवरण तथा निकासी का उद्देश्य जैसे घरेलू खपत/एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि का आकलन नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, यदि उपरोक्त अभिलेखों का रख-रखाव सही से नहीं किया जाता तो संचयित माल का राशि, मूल्य, शुल्क व मात्रा का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए, क्या लाइसेंसधारक ने सही धनराशि का बांड व बैंक गारंटी प्रस्तुत किए है कि नही, का विभाग द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। बांड व बैंक गारंटी जिसके लिए विस्तार की आवश्यकता है, की निगरानी नहीं की जा सकती। ह्रास, कम रिपोर्टिंग, ब्याज का गलत लगाना आदि की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

और, यदि लाइसेंसधारक ने अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रख-रखाव नहीं किया तो, मासिक रिटर्न के मिलान व निगरानी की प्रक्रिया एक कठिन कार्य होगा। क्या लाइसेंसधारक द्वारा ट्रिपल ड्युटी बांड और बैंक गारंटी सही रूप से प्रस्तुत की जा रही है, की जांच भी एक कठिन कार्य हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रखरखाव के लिए सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का एक विशेष प्रावधान भी शामिल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक सुरक्षित, कंप्यूटर जेनरेटेड, समय-मुद्रांकित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो घटनाक्रम के पुनर्निर्माण हेतु सुलभ हो सके। इसके अभाव में, प्रस्तुत अभिलेखों की यथार्तता पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जा सकता।

लाइसेंसधारक द्वारा रक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपने आप में एक अलग सिस्टम है और जो आईसीईएस या सेज ऑनलाइन सिस्टम से कोई संबंध नहीं रखता हैं। इन्टू-बांड बीई विवरण, वांड विवरण तथा बैंक गारंटी विवरण प्राथमिक रूप से आईसीईएस में दर्ज होते है। किन्तु संचयन तथा निकासी विवरण आईसीईएस में दर्ज नहीं होते हैं। इसीलिए, फिर भी लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत आंकडों को इन्टू बांड आईसीईएस आंकडों के साथ मैन्युअली मिलान करना हैं।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में वेयरहाउस अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की समीक्षा की गई थी और 17 आयुक्तालयों में यह पता चला कि उपर्युक्त अनुदेशों का 121 लाइसेंसधारियों द्वारा पालन नहीं किया गया था। इन लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था और उनका रख-रखाव मैन्युअल रूप से ही किया जा रहा था। (***अनुलग्नक 3.1***)

लेखापरीक्षा में यह भी पता चला कि वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और रख-रखाव) विनियम 2016 के नियम 3 (2) में परिकल्पित वेयरहाउस रक्षक के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके मासिक रिटर्न को ऑनलाइन फाइलिंग के माध्यम से डिजिटलीकरण को अभी तक भी नहीं प्राप्त किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 50 वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की, जबकि 39 वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर (मई 2022) अभी भी प्रतीक्षित है।

मंत्रालय ने 32 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा शामिल की गई अवधि के दौरान पांच वेयरहाउस या तो परिचालन में नहीं थे या उन्होंने किसी भी माल का आयात नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि शेष 27 वेयरहाउसों द्वारा अपने अभिलेखों का रखरखाव डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर पूर्णतया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेन-देन न होने पर भी रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, बहुत वेयरहाउस डिजिटल माध्यम से अभिलेखों का रख-रखाव कर रहे थे, लेकिन अभिलेख सीबीआईसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं थे और लेखापरीक्षा नमूने में दो वेयरहाउसों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर भी प्राप्त नहीं किए थे।

3.2.2 आईसीई प्रणाली के साथ वेयरहाउस अभिलेखों के एकीकरण की सीमा

मई 2016 के उदारीकरण के साथ, वेयरहाउस के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण में निदर्शी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के लिए वेयरहाउस लाइसेंसधारक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों के आधार पर विशुद्ध रूप से वेयरहाउस से संबंधित संचालन की निगरानी की आवश्यकता थी। 8 जून 2016 के परिपत्र में यह परिकल्पित है कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अद्यतन, सटीक और पूर्ण रखा जाना चाहिए और हमेशा वेयरहाउस में उपलब्ध होना चाहिए और ये अभिलेख सत्यापन के लिए बांड अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के लिए सुलभ होने चाहिए।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान, 20 आयुक्तालयों के लिए इन्टू बांड बीई, इन्टू बांड निर्धारण मूल्य, इन्टू बांड आकलित शुल्क क्रमशः 7,97,850, ₹16,32,183 करोड तथा ₹2,30,629 करोड था। एक्स बांड बीई, एक्स बांड निर्धारण

मूल्य, एक्स बांड आकलित शुल्क क्रमशः 18,21,114, ₹14,57,188 करोड तथा ₹1,15,959 करोड था। दी गई संव्यवहारों की बडी मात्रा, सांविधिक प्रावधानों के साथ प्रभावात्मक नियंत्रण करने के अनुपालन में कमी का परिणाम शुल्क, ब्याज आदि की हानि हो सकती थी, जिसको हालाकि आंकलित नहीं किया जा सकता।

तथापि, लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विभाग द्वारा अभिलेख के वेयरहाउस स्तर का ऐसा कोई व्यवस्थित सत्यापन नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष नियंत्रण के बदले अभिलेख आधारित नियंत्रण द्वारा वेयरहाउसिंग प्रावधानों के आवधिक मूल्यांकन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है और किसी भी कमी के मामले में मध्यावधि सुधार के लिए गुंजाइश भी रहेगी। वर्ष 2016 में उदारीकृत विनियमन के लागू होने के बाद से इस तरह के किसी भी मध्यावधि मूल्यांकन/समीक्षा का प्रयास नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा वेयरहाउस में डिजिटाइजेशन की सीमा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के साथ इसके एकीकरण का भी आकलन किया गया और निम्नलिखित कमियां पाई गई:

i. विभाग पूरी तरह से प्रत्येक अनुबद्ध वेयरहाउस द्वारा प्रस्तुत की जा रही मासिक तकनीकी रिपोर्टों और मासिक रिटर्न पर निर्भर था। **मासिक रिपोर्ट मैन्युअल थी और स्वचालित भी नहीं की गई थी।**

ii. वेयरहाउस द्वारा अनुरक्षित आईटी सिस्टम और आईसीईएस जो सीमा शुल्क की मुख्य आईटी प्रणाली है के बीच आंकडों के संरचित और निर्बाध प्रवाह की अनुपस्थिति थी।

iii. जून 2016 के परिपत्र के अनुसार, वेरहाउसिंग आंकडों का रखरखाव सीबीडब्ल्यू द्वारा फॉर्म ए और बी में करने की आवश्यकता थी। यह जानकारी आईसीईएस के साथ एकीकृत नहीं की गई थी।

iv. वेयरहाउस में रखे माल की निकासी की निगरानी करने और बांड अवधि की समाप्ति या माल के शेल्फ जीवन की निगरानी करने के लिए आईसीईएस में कोई समेकित रिपोर्ट नहीं तैयार की जाती थी।

v. चूंकि बड़ी संख्या में बांड (जैसे ट्रिपल ड्यूटी बांड, स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित बांड, छूट आदि) दैनिक आधार पर और वेयरहाउस रक्षकों द्वारा

फ़ाइल किए जा रहे मासिक रिटर्न, द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सभी लेन-देन का मैन्युअल मिलान करना एक कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त, बहुत सारे मैनुअल अभिलेखों को जोड़ने से, आईसीईएस के साथ स्वचालन/ एकीकरण की अनुपस्थिति में बांड रजिस्टरों को मैन्युअल रूप से बनाए रखने/सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

vi. एक बार वेयरहाउस बीई को आईसीईएस में फ़ाइल करने के बाद, घरेलू खपत के लिए माल की एक्स-बॉन्डिंग केवल आईसीईएस में ही दर्ज की जाएगी। हालांकि, अन्य लेन-देन जैसे कि वेयरहाउस किए गए सामानों का पुन: निर्यात, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज़) में स्थानांतरण, और एक अनुबद्ध वेयरहाउस से दूसरे अनुबद्ध वेयरहाउस में स्थानांतरण पूरी तरह से मैनुअल हैं और आईसीईएस में इसका कोई हिसाब नहीं है।

vii. एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित सेज़ ऑनलाइन आईटी सिस्टम जो सेज़ को शामिल करता है, आईसीईएस के साथ एकीकृत नहीं किया गया था।

प्रथमतः जब माल वेयरहाउस में प्रवेश करता है तो एक इन्टू बांड बीई आईसीईएस में फाइल की जाती है। जब माल घरेलू खपत के लिए निकाला जाता है तो एक एक्स बांड बीई आईसीएस में फाइल की जाती है। जो इन्टू बांड बीई ले संलग्नित होती है। इसलिए देयता शुल्क और भारित ब्याज सही रूप से दर्ज हो सकता है। किंतु जब माल को दूसरे वेयरहाउस में जमा करने/निर्यात/नष्ट करने आदि के लिए निकाला जाता है तो यह इन्टू बांड बीई जो प्रथमतः आईसीईएस में फाइल की जाती है, से संलग्नित नहीं होता। जब माल वेयरहाउस से पुनर्निर्यात किया जाता है, आईसीईएस में एक एसबी फाइल की जाती है किंतु इसका प्राथमिक इन्टू बांड बीई से कोई संबंध नहीं होता। एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में माल का स्थानांतरण मैन्युअल है और आईसीईएस में दर्ज नहीं होता। जब माल सेज से स्थानांतरित होता है, एसबी सेज ऑनलाइन में फाइल की जाती है जो आईसीईएस से संलग्न नहीं है।

परिणामत:, महत्वपूर्ण रिकॉर्डों जैसे लाइसेंस फाइल, फॉर्म ए और बी, चयनित वेयरहाउसों के लिए वेयरहाउस अवधि का विस्तार, सांख्यिकीय जानकारी आदि की अनुपस्थिति में, आईसीईएस के साथ वेयरहाउस लेनदेन का एकीकरण न करना, अभिलेखों का मैन्युअल रखरखाव और विभाग द्वारा मासिक रिटर्न का सत्यापन

न करना, लेखा परीक्षा, सीमा शुल्क की नई अभिलेख-आधारित नियंत्रण व्यवस्था में, विभाग में मौजूद नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के लिए पूर्ण आश्वासन नहीं दे सकता।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2022) में कहा कि आज तक का ऑटोमेशन केवल आईसीईएस को प्रदत्त लेन-देन संबंधी आंकड़ों के लिए किया जा रहा था और यद्यपि वेयरहाउस रक्षकों द्वारा वेयरहाउस आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने की आवश्यकता थी, विभाग द्वारा सीबीआईसी को रिटर्न का रख-रखाव मैन्युअल किया जा रहा था।

आपत्ति और संबंधित सिफारिश को स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने कहा (अप्रैल 2022) कि रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्राप्ति की बेहतर निगरानी, जारी करने, वेयरहाउस से फिर से निर्यात करने हेतु एक पोर्टल विकसित किया जाएगा और यह ऑटोमेशन पर रोडमैप का हिस्सा होगा।

सिफारिश 1: वेयरहाउसिंग विनियमन, 2016 के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित आईटी नियंत्रण में अंतरण होने के बाद विभाग को एक समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता है कि

क) आईसीईएस के साथ-साथ सेज़ ऑनलाइन के साथ वेयरहाउस डेटा के एकीकरण/मिलान और डिजिटलीकरण के लिए एक आईटी कार्यनीति तैयार करें।

ख) एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप निर्दिष्ट करें जिसमें वेयरहाउस से मासिक रिटर्न अनिवार्य रूप से डिजिटल रूप में प्रस्तुत (मैनुअली रिपोर्ट तैयार करना पूर्ण रूप से छोड़ दे) और आईसीईएस के साथ एकीकृत किया जाए तथा निगरानी एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह के एकीकृत डेटा का विश्लेषण करे।

ग) विस्तृत सत्यापन और लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, वेयरहाउसों की पहचान करने के लिए वेयरहाउसों द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक डेटा की विश्लेषणात्मक समीक्षा करे।

इस प्रकार के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव में, वेयरहाउस के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अभिलेख आधारित नियंत्रण में अंतरण के परिणामस्वरूप नियंत्रण का अभाव

होता है, जिससे उदारीकृत विनियमों के दुरुपयोग और दुष्प्रयोग की संभावना रह जाती है।

मंत्रालय ने सिफारिशों (मार्च 2022) को स्वीकार करते हुए कहा है कि सिफारिशें सर्वांगी सुधार के लिए हैं और इससे अधिक प्रभावी और आईटी संचालित अभिलेख आधारित नियंत्रण होगा। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा आगे जांचा जाएगा। इसके अलावा, धारा 65 के अंतर्गत वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालनों को कार्यान्वित करने हेतु अनुमति प्राप्त लाइसेंसधारकों द्वारा वेयरहाउस के माल के संबंध में अभिलेखों के रखरखाव के लिए महानिदेशक (सिस्टम्स) पहले से ही आइसगेट और आईसीईएस पर एक मॉड्यूल विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक मासिक रिटर्न का सृजन भी आरंभ किया गया है।

3.2.3 मासिक रिटर्न के लिए निर्धारित प्रारूपों में कमी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 8 जून 2016 के अपने परिपत्र में लाइसेंसधारक द्वारा आंकडों के रख रखान की आवश्यकता हेतु एक फॉर्म निर्धारित किया है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वेयरहाउसों में माल की प्राप्ति, संचयन, परिचालन और निकासी के मासिक रिटर्न के लिए निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म ए) त्रुटिपूर्ण था क्योंकि निकासी के विवरणों में एक्स बांड विवरण जैसे बीई संख्या, और घरेलू खपत की तिथि को दर्ज नहीं करता था। ऐसे ब्यौरे के अभाव में, लेखापरीक्षा, निर्धारित अवधि के अंतर्गत माल की निकासी और लगाए गए ब्याज की सटीकता को सत्यापित नहीं कर सका, जहां माल को नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक वेयरहाउस में रखा जाता है।

सिफारिश 2: मासिक रिटर्न (फॉर्म ए) को एक्स-बांड बीई/शिपिंग बिल के विवरण के साथ-साथ माल निकासी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की तारीख को दर्ज करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और उत्तर (मार्च 2022) दिया है कि परिपत्र संख्या 25/2016-सीमा शुल्क दिनांक 08 जून 2016 के फॉर्म ए में एक उपयुक्त संशोधन विचाराधीन है।

3.2.4 मासिक रिटर्न जमा करने की निगरानी

वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और रख रखाव) विनियमन, 2016 के विनियम 11 (4) के अनुसार, एक लाइसेंसधारक बांड अधिकारी के पास, उस महीने के समापन के दस दिनों के भीतर वेयरहाउस में माल की प्राप्ति, संचयन, परिचालन और निकासी के लिए फॉर्म-ए में मासिक रिटर्न फाइल करेगा, जिससे ये रिटर्न संबंधित है। इसके अतिरिक्त, विनियम 11 (5) यह निर्धारित करता है कि लाइसेंसधारक धारा 61 में निर्दिष्ट वेयरहाउस माल की समाप्ति अवधि से संबंधित जानकारी फॉर्म-बी में किसी विशेष महीने में इसकी समाप्ति के महीने से ठीक पहले के महीने के 10वें दिन या उससे पहले बांड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों की लेखापरीक्षा से पता चला है कि 12 आयुक्तालयों के अंतर्गत, 59 वेयरहाउस लाइसेंसधारको ने अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी या इन मासिक रिटर्न को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में विलंब किया था। (***अनुलग्नक 3.2***)

चूंकि वेयरहाउसों पर विभाग का नियंत्रण, वेयरहाउस कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के बजाय अभिलेख आधारित नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था, मासिक रिटर्न प्रस्तुत न करने/विलंब से प्रस्तुत करने से वेयरहाउस की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभाग, निकासी वाले माल का विवरण, निकासी दिनांक, निकासी उद्देश्य (घरेलू खपत/एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि), निकासी की मात्रा, मूल्य, शुल्क, ब्याज, शेष मात्रा आदि का विवरण नहीं जान पाएगा। वेयरहाउस में संचयित माल, मूल्य, शुल्क तथा मात्रा सहित का विवरण भी नहीं जान पाएगा। विभाग यह भी नहीं जान पाएगा कि क्या लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तत ट्रिपल ड्युटी बांड व बैंक गारंटी सही है। ह्रास, कम रिपोर्टिंग, ब्याज का गलत लगाना आदि की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, यह वेयरहाउस डेटा, मासिक रिटर्न और आईसीईएस के साथ-साथ सेज़ ऑनलाइन के डिजिटलीकरण और एकीकरण के लिए एक व्यापक आईटी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर पुन: बल देता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 48 वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है, जबकि एक वेयरहाउस के संबंध में मंत्रालय का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)।

10 वेयरहाउसों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि दो वेयरहाउसों में कोई लेनदेन नहीं हुआ और एक वेयरहाउस में, माल से संबंधित जानकारी ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध है। शेष सात वेयरहाउसों के संबंध में उत्तर दिया गया कि उनके द्वारा मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत की गए थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के परिपत्र में परिकल्पित मासिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है, भले ही लेनदेन शून्य हो या लेनदेन न हो। इसके अतिरिक्त, सात वेयरहाउसों से संबंधित मासिक रिटर्न लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वर्तमान सिस्टम तत्काल कोई अलर्ट जारी नहीं कर सकता यदि वेयरहाउस में आयतित माल के लिए शुल्क को ट्रिपल बांड व गारंटी कवर नहीं करते है तो। आईसीईएस द्वारा भी कोई रिपोर्ट सृजित नहीं होती जो अपने आप यह चेतावनी दे कि बांड अवधि समाप्त हो रही है या स्टॉक, बांड मूल्य से ज्यादा हो गया है। इसलिए, विभाग द्वारा अवधि समाप्ति माल पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और भी, आईसीईएस में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्वंय से अवधि सीमा समाप्त बांड के गैर-निष्पादित माल पर कोई आयु-वार विश्लेषण कर दे। और, यह भी जांच करना संभव नहीं है कि वेयरहाउस में आयतित माल पर कुल शुल्क लाइसेंसधारक को अनुमत से ज्यादा तो नहीं है। यह सब मासिक रिटर्न के द्वारा मैन्युअली देखा जा रहा है।

सिफारिश 3: आईसीईएस में बॉन्ड मॉड्यूल को सभी प्रकार के वेयरहाउस संव्यवहारों जैसे बॉन्ड टू बॉन्ड क्लीयरेंस, सेज़ इकाइयों को निकासी आदि को दर्ज करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बांडों और बैंक गारंटी के विस्तार को ऑनलाइन फाइल करने तथा बांड और बैंक गारंटी की सीमा समाप्त होने पर अलर्ट होना चाहिए। प्रणाली समय सीमा समाप्त माल का आयु-वार विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि आईसीईएस आयातित और निर्यातित माल के प्रसंस्करण के लिए एक संव्यवहार संबंधी डेटाबेस है। घरेलू क्षेत्र में कार्गो की आवाजाही आईसीईएस संव्यवहार मंच का हिस्सा नहीं है। जहां तक सेज़ इकाइयों को शामिल करने का संबंध है, इसके कार्यान्वयन की घोषणा बजट 2022 में की गई है और इसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क नीति विंग द्वारा सीमा शुल्क बांडों और बैंक गारंटी के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुतीकरण के कार्यान्वयन के लिए उपायों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। यह पहल व्यापार करने में सुगमता के परिवेश को बढ़ावा देने और कागज के उपयोग को कम करने के लिए है। आरंभिक समय में, इस पहल के कार्यान्वयन से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, शुल्क की रियायती दरों के अंतर्गत आयात, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अनुसार माल की वेयरहाउसिंग, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के अनुसार प्राइवेट वेयरहाउस और स्पेशल वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं आदि के अंतर्गत किए गए आयात सहित विभिन्न परिदृश्यों को समाहित किया जाएगा।

3.2.5 बीई में वेयरहाउस कोड उदघोषणा का कार्यान्वयन न किया जाना

सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 19/2016 दिनांक 20 मई 2016 में निर्दिष्ट किया गया था कि सभी वेयरहाउस को आईसीईएस के माध्यम से एक अद्वितीय कोड के साथ आवंटित किया जाना था और 20 जून 2016 से, यह घोषणा की गई कि बीई में वेयरहाउसिंग कोड इन्टू-बांड और एक्स-बांड बीई फाइल करने के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

यह पाया गया कि सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर कार्गो एक्सपोर्ट्स), नई दिल्ली के अंतर्गत वेयरहाउस कोड की घोषणा को लागू नहीं किया गया था। बीई में वेयरहाउस कोड की घोषणा से बीई के प्रति वेयरहाउस की आसानी से पहचान करने और किसी भी समय उनके स्थान को ट्रैक करने में सुविधा होगी।

मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2022)।

3.3 वेयरहाउस लाइसेंस को जारी करने के लिए आवेदनों की प्रक्रिया

3.3.1 पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपस्थिति

सार्वजनिक, निजी और विशेष वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम 2016 के विनियम 5 के अनुसार, एक वेयरहाउस लाइसेंस कुछ शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा, उदाहरण के लिए, आवेदक दिवालिया या धन चुकाने में असमर्थ न हो, वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधिनियमों और वित्त अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया हो।. इस संबंध में, बोर्ड ने परिपत्र संख्या 26/2016 दिनांक 9 जून 2016 के माध्यम से प्रस्ताव किया कि सभी संरचनाओं का उल्लेख करने के स्थान पर, सत्यापन की एक केंद्रीकृत प्रणाली का पालन किया जाए, जिसमें आवेदक और निदेशकों/साझेदारों/मालिकों के नाम को डीआरआई[8] और डीजीजीएसटीआई[9] को पूर्ववृत्त और किसी भी पिछले मामलों के अस्तिव की जांच के लिए संदर्भित किया जाए।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में इस पहलू की समीक्षा की गई थी और नौ आयुक्तालयों में यह पाया गया था कि पूर्व सत्यापन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं थी और विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन किया गया (***अनुलग्नक 3.3***)

बॉक्स संख्या 3.1 - पूर्ववर्ती सत्यापन

पाँच सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, 25 वेयरहाउस में पूर्ववृत्त सत्यापन को पूरा करने में लिया गया समय 63 दिनों से 4 वर्ष तक था। सात सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अंतर्गत 31 वेयरहाउसों का लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववृत्त सत्यापन 5 वर्षा से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था। इसके अतिरक्त, एक सीमा शुल्क आयुक्तालय में दो मामलों के संबंध में, डीआरआई की प्रतिकूल पूर्ववृत्त रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 12 वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की, जबकि 11 वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)। अन्य 32 मामलों के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि परिपत्र

[8] डीआरआई : राजस्व आसूचना निदेशालय

[9] डीजीजीएसटीआई : वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

26/2016 दिनांक 9 जून 2016 के अनुसार, बोर्ड ने पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली प्रस्तावित की है और सत्यापन के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 25 मामलों में पूर्ववृत्त सत्यापन को पूरा करने में लिया गया समय 63 दिनों से 4 वर्ष के बीच था और 33 मामलों में पूर्ववृत्त सत्यापन अभी भी लंबित था। यद्यपि उक्त परिपत्र में पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और विलंब से लाइसेंस जारी किए जाने को प्रभावित नहीं किया, विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों के बीच एकरूपता रखने के लिए पूर्ववृत्त सत्यापन को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए।

3.3.2 लाइसेंस के लिए आवेदन में कुछ विवरणों को दर्ज न किया जाना

आवेदकों द्वारा सूचना प्रदान करने में निश्चितता और आवेदनों के प्रसंस्करण के संबंध में प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने सार्वजनिक, निजी और विशेष वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 की अधिसूचना के अनुरूप परिपत्र संख्या 26/2016-सीमा शुल्क दिनांक 09 जून 2016 के अंतर्गत अनुबद्ध वेयरहाउसों के लिए लाइसेंस आवेदक द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को निर्धारित किया है। प्रपत्र को एक बार में आवेदक के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध माल की सुरक्षा के लिए सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक जांच सूची तैयार की गयी है। इस जानकारी से लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदक और उसके परिसर के व्यापक मूल्यांकन में सहायता मिलने की उम्मीद है।

आवेदन के भाग IV में वेयरहाउस रक्षक, डिजिटल हस्ताक्षर, आईटी आधारित अभिलेख, शोध क्षमता प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी आदि के संबंध में विवरण शामिल हैं, जिन्हें बांड अधिकारी के हस्ताक्षर के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा भरा जाना है और लाइसेंस के लिए अंतिम जांच और अनुमोदन के रूप में शामिल किया गया है।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में इस पहलू की समीक्षा की गई और लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान, यह पाया गया कि पांच आयुक्तालयों में 36 वेयरहाउसों के संबंध में, आवेदन पत्र के भाग IV में विवरण अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त, भाग II में पांच वेयरहाउसों के संबंध में संपत्ति रखने के अधिकार भी लाइसेंस प्रदान करते समय सत्यापित नहीं किए गए थे। ***(अनुलग्नक 3.4)***

चूंकि आवेदन में यह विवरण अनुमोदन से पहले एक अंतिम जांच के अधीन वाले हैं, इन विवरणों को दर्ज न करना वेयरहाउसों को अनुमोदन प्रदान करते समय प्रणाली में एक कमी और बोर्ड के निदेशों की अवहेलना को दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 18 वेयरहाउसों के संबंध में भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया है, जबकि 15 वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर (मई 2022) अभी भी प्रतीक्षित है।

तीन वेयरहाउसों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एक मामले में लीज डीड वर्ष 2018 तक वैध थी और दूसरे मामले में संपत्ति लाइसेंसधारक के स्वामित्व में थी। तीसरे मामले के संबंध में, मंत्रालय द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि लीज डीड को पट्टेदार द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से रोल ओवर किया हुआ था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले मामले में करार अगस्त 2016 तक वैध था और लाइसेंस अक्टूबर 2016 में जारी किया गया था। अन्य दो मामलों में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच कोई करार नहीं हुआ और पट्टेदारों द्वारा जारी पत्रों के माध्यम से लीज का विस्तार किया गया।

3.3.3 आवश्यक विवरण के बिना लाइसेंस प्रदान करना

विनियमन 3 और विनियमन 4 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर पब्लिक/प्राइवेट वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम 2016 के अनुसार, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी शर्तों के अधीन आवश्यकता के अनुसार पब्लिक/प्राइवेट वेयरहाउस के संबंध में लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला है कि सीमा शुल्क आयुक्तालय आईसीडी पटपड़गंज दिल्ली के अंतर्गत मैसर्स ए लिमिटेड (प्राइवेट वेयरहाउस-सरेंडर) और मैसर्स बी लिमिटेड (पब्लिक वेयरहाउस) के मामले में, वेयरहाउस के लिए प्रस्तावित माल के लाइसेंस मूल्य का लाइसेंस में उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए लाइसेंस से वेयरहाउस की क्षमता का पता नहीं चल सका।

इस तरह के विवरणों की अनुपस्थिति में, वेयरहाउसिंग विनियमों की शर्तों की पूर्ति अर्थात किसी अनुसूचित बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और जोखिम बीमा पॉलिसी दोनों को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी समय प्राइवेट वेयरहाउस में संचयित करने

के लिए प्रस्तावित शुल्क योग्य माल पर लगने वाले शुल्क की राशि के बराबर राशि प्रमाणित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से होने वाली हानि के मामले में, वेयरहाउस में संचयित माल के संबंध में सीमा शुल्क की हानि का भी जोखिम होता है।

मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2022)।

3.3.4 वेयरहाउस लाइसेंस जारी करने में विलंब

बोर्ड का परिपत्र दिनांक 9 जून 2016 निर्धारित करता है कि आयुक्तालय को आवेदन प्राप्त होने पर उसे 30 दिनों के भीतर जांच करके लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। बांड अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन की जांच करके लाइसेंस प्रदान करने के लिए परिसर का दौरा करने की प्रक्रिया पूरी करके प्रधान आयुक्त/आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी (प्रधान आयुक्त/आयुक्त) द्वारा अगले 15 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में वेयरहाउस लाइसेंस जारी करने में विलंब की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि 12 आयुक्तालयों में यह विलंब 7 दिनों से 440 दिनों के बीच था तथा 41 वेयरहाउसों के संबंध में यह विलंब 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा से अधिक था (***अनुबंध 3.5***)। सीबीडब्ल्यू आयातकों को बिना सीमा शुल्क भुगतान के आयातित माल को संचयित करने के योग्य बनाता है तथा बिना किसी कार्यशील पूँजी को अवरूद्ध करे। यह विलंब सरकार की "व्यापार करने की सुगमता" नीति को प्रभावित करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 17 वेयरहाउसों के संबंध में भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया है, जबकि पांच वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का जवाब अभी भी प्रतीक्षित (मई 2022) है।

मंत्रालय ने 19 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार किया है और उत्तर दिया है कि अधिकांश मामलों में यह विलंब, कमी ज्ञापन और अन्य दस्तावेजों के अनुपालन को विलंब से प्रस्तुत करने के कारण हुआ था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग की ओर से कमी ज्ञापन को प्रसंस्कृत और जारी करने तथा लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण में भी देरी हुई थी।

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स संख्या 3.2 - लाइसेंस जारी करने में विलंब

चेन्नई III आयुक्तालय के अंतर्गत मैसर्स सी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2019 में वेयरहाउसिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और मई 2020 में लाइसेंस जारी किया गया था, अर्थात 15 महीने विलंब से। विलंब अवधि के दौरान आवेदक को एक कंटेनर जहाज से 'बेस ऑयल' के ऑफलोडिंग की अनुमति देने के लिए विभाग की अनुमति लेनी पड़ी, जो अप्रैल 2020 में चेन्नई हार्बर में मैसर्स डी के एक अनधिकृत टैंक में पहुंचा था, जिसके पास न तो वेयरहाउस लाइसेंस था और न ही इसके लिए आवेदन किया था। आवेदक ने पोर्ट अथॉरिटी को प्रति दिन लगभग 20,000 अमरीकी डालर के अवरोध/डैमटेज शुल्क का भुगतान और नेशनल लॉकडाउन को इस तरह की अनुमति प्राप्त न करने का कारण बताया।

यद्यपि विभाग द्वारा दी गई अनुमति ने समस्याओं को दूर कर दिया, लेकिन यह तथ्य फिर भी वही रहता है कि इस तरह की अनुमति प्राधिकृत नहीं थी, क्योंकि न तो आवेदक और न ही टैंक के धारक के पास वेयरहाउस लाइसेंस था। इसके परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा आवेदन के समय ली गई बीमा पॉलिसी को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

मंत्रालय ने लाइसेंस जारी करने की घटनाओं का कालक्रम देते हुए कहा (मार्च 2022) कि लाइसेंस जारी करने में विभाग की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवंबर 2019 में दस्तावेज जमा करने और डीआरआई से मंजूरी मिलने के बाद विभाग द्वारा जनवरी 2020 में ही साइट का निरीक्षण किया गया था, जो निर्धारित समय सीमा के बाद किया गया था।

3.3.5 वैध लाइसेंस के बिना वेयरहाउसिंग परिचालन

धारा 57 के अंतर्गत नियुक्त एक पब्लिक वेयरहाउस या धारा 58 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एक प्राईवेट वेयरहाउस जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के प्रारंभ से ठीक पहले था, इन विनियमों के लागू होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए धारा 58 ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित माल के संबंध में परिचालन जारी रख सकता है।

तीन आयुक्तालयों[10] में अभिलेख की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि तीन वेयरहाउसों[11] ने पूर्वोक्त विनियमों का अनुपालन नहीं किया था और अनुपालन में अत्याधिक विलंब हुआ है।

मंत्रालय ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), कोलकाता के अंतर्गत मैसर्स एफ लिमिटेड, कोलकाता के मामले में अवलोकन को अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि नवंबर 2016 से लाइसेंसधारी द्वारा कोई परिचालन/स्टॉक नहीं रखा गया था और न ही कोई वेयरहाउसिंग परिचालन हुआ था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारक द्वारा फरवरी 2017 में नया विशेष वेयरहाउस लाइसेंस जारी होने तक परिचालन जारी रखा और संबंधित महीनों के मासिक खपत विवरण से स्पष्ट होता है कि धारा 58ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित माल का स्टॉक रखा था।

आयुक्तालय, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली के अधीन मैसर्स ई लिमिटेड, नई दिल्ली के मामले में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मई, 2022)

एक मामले को उदाहरणात्मक नीचे दिया गया है:

जेएनसीएच, मुम्बई में, एक प्राइवेट वेयरहाउस मैसर्स जी लिमिटेड की लाइसेंस फाइल की संवीक्षा से पता चला कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाने के बावजूद भी यह वेयरहाउस बिना किसी लाइसेंस के परिचालन कर रहा था। लाइसेंस के बिना वेयरहाउस के परिचालन की अनुमति देने के कारणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अंतर्गत बारह टैंकों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए थे और उक्त अस्थाई लाइसेंस समय-समय पर विस्तारित किए गए थे। तथापि, अप्रैल 2021 में, मैसर्स जी लिमिटेड ने धारा 57 के अंतर्गत पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस के लिए आवेदन

[10] आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), कोलकाता एवं जेएनसीएच, मुंबई

[11] मैसर्स ई लिमिटेड, नई दिल्ली, मैसर्स एफ लिमिटेड, कोलकाता तथा मैसर्स जी प्राइवेट लिमिटेड

किया था और उसे अगस्त 2021 में पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस जारी किया गया था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विनियमों में अस्थाई लाइसेंस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और तथ्य यह है कि ईकाई द्वारा नए वेयहाउसिंग विनियमों का पालन नहीं किया गया और अपना परिचालन उचित लाइसेंस के बिना जुलाई 2021 तक जारी रखा।

3.3.6 पब्लिक अनुबद्ध वेयरहाउस लाइसेंस के अभ्यर्पण/रद्द करने में विलंब

पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 के विनियम 8 के अनुसार, एक लाइसेंसधारक सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को लिखित में अनुरोध करके उसे दिए गए लाइसेंस को अभ्यर्पित कर सकता है जैसा कि मामला विशिष्ट शर्तों के विषयाधीन हो सकता है।

लाइसेंस फाइलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, यह पता चला कि सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली के अंतर्गत मैसर्स एच लिमिटेड को एक पब्लिक अनुबद्ध वेयरहाउस लाइसेंस संख्या 2/2009-10 जारी किया गया था, जो अगस्त 2016 तक वैध था। चूंकि विनियम 2016 के अंतर्गत शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए फरवरी 2017 में विभाग द्वारा लाइसेंस रद्द करने की दिशा में अग्रसर होने का निर्णय लिया गया था।

चूंकि अनुबद्ध माल अर्थात एस्केलेटर का एक सेट वेयरहाउस में पड़ा था, इसलिए माल निकासी से पहले लाइसेंस के अभ्यर्पण पर विचार नहीं किया जा सकता था। इसके आगे कोई प्रगति नहीं हुई और मामला आज तक लंबित है।

इसके अतिरिक्त, वेयरहाउस में पड़े माल के निपटान में अत्यधिक विलम्ब के कारण ब्याज की राशि के साथ ₹14.24 लाख (शुल्क, जुर्माना और शास्ति) के साथ-साथ उन वस्तुओं का जिनका वेयरहाउस बांड समाप्त हो गया था निपटान न किए जाने के कारण सरकारी राजस्व में अवरोध उत्पन्न हुआ।

इसी प्रकार, बेंगलुरु शहर सीमा शुल्क आयुक्तालय में, अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन[12] लाइसेंस रद्द नहीं किए गए थे और रद्द न होने के कारण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2022)।

सिफारिश 4: विभाग को आईटी प्रणाली विकसित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वेयरहाउस लाइसेंस, पूर्ववर्ती सत्यापन, लाइसेंस के समर्पण आदि आवेदनो के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावी और समयबद्ध तरीके से की जाती है। समान व सुसंगत प्रक्रियों का पालन अनुचित कमियों और विलंब को कम करने के लिए किया जाता है।

3.4 वेयरहाउस परिचालनों में गैर-अनुपालन के उदाहरण

3.4.1 जनरल बांड में सीमा शुल्क की कम कटौती/कटौती न करना

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 (1) के अनुसार, किसी भी माल के आयातक, जिसे वेयरहाउसिंग के लिए धारा 46 के अंतर्गत बीई प्रस्तुत किया गया है और धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है, को ऐसे माल के निर्धारण हेतु शुल्क की राशि के तीन गुना के बराबर राशि का एक बांड प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59(2) के अनुसार, सहायक आयुक्त/ उपायुक्त सीमा शुल्क किसी आयातक को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा आयात किए जाने वाले माल की वेयरहाउसिंग के संबंध में एक सामान्य बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद में दो स्पेशल वेयरहाउस[13] के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बांड अधिकारी ने सामान्य बांड से अपेक्षित तिगुनी मूल्यांकित शुल्क राशि अर्थात ₹0.55 करोड़ व ₹483.77 करोड़ की बजाय ₹0.18 करोड़ व ₹161.26 करोड़ को डेबिट कर दिया। एक अन्य मामले[14] में, नए प्रस्तुत सामान्य बांड में समापन स्टॉक के तीन गुना शुल्क को डेबिट करते समय, नए बांड से डेबिट करने की ₹3 करोड़ की एक प्रविष्टि को हटा दिया गया। इसके

[12] मैसर्स आई लिमिटेड, मैसर्स जे लिमिटेड एवं मैसर्स के लिमिटेड।

[13] मैसर्स एल लिमिटेड तथा मैसर्स एम लिमिटेड

[14] मैसर्स एन लिमिटेड

परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर सीमा शुल्क बांड में ₹325.88 करोड़ की कम कटौती हुई।

मंत्रालय ने इस आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि दोनों पक्षों ने दिनांक 14 मई 2016 के परिपत्र संख्या 18/2016-सीमा शुल्क के अनुसार तीन गुना शुल्क संबंधी बांड प्रस्तुत किया है, जबकि उन्होंने निर्धारित वास्तविक शुल्क का क्रेडिट ले लिया है और परिपत्र में निर्दिष्ट तिगुने शुल्क को क्रेडिट और डेबिट करने के बजाय वास्तविक शुल्क के साथ इसे डेबिट किया है। तीन गुना शुल्क क्रेडिट करने और तीन गुना शुल्क डेबिट करने की सही प्रक्रिया सितंबर 2018 से कार्यान्वित की गई थी।

दो अन्य मामलों अर्थात् मैसर्स ओ लिमिटेड[15], अहमदाबाद आयुक्तालय के अंतर्गत एक स्पेशल वेयरहाउस और मैसर्स पी लिमिटेड[16], सीमा शुल्क आयुक्त, न्यू कस्टम हाउस, मंगलुरु के अधीन एक स्पेशल वेयरहाउस में उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वेयरहाउस में पड़े माल को बांड के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था।

अहमदाबाद आयुक्तालय के अंतर्गत मैसर्स ओ लिमिटेड के मामले में, मंत्रालय ने इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया कि दिसंबर 2021 में निर्धारित शुल्क राशि के तीन गुना के बराबर बांड जमा नहीं करने के लिए शास्ति लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सीमा शुल्क आयुक्त, न्यू कस्टम हाउस, मंगलुरु के अंतर्गत मैसर्स पी लिमिटेड के मामले में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

3.4.2 वेयरहाउस में माल की अतिरिक्त वेयरहाउसिंग

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57, 58 या 58ए के तहत वेयरहाउस को लाइसेंस प्रदान करते समय, माल और शुल्क के मूल्य के संदर्भ में अधिकतम स्टॉक जो वेयरहाउस में संचयित किया जा सकता है, सीमा शुल्क विभाग द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि वेयरहाउस में स्टॉक किए गए माल का मूल्य और उस पर शुल्क किसी भी समय निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2016 की सीमा

[15] 24.05.2017 से 07.08.2017 और 20.12.2018 से 31.05.2019 तक

[16] 24.04.2019 के बाद से

शुल्क अधिसूचना संख्या 72/2016 - सीमा शुल्क (एनटी) के पैरा 4(ए) के अनुसार, वेयरहाउस लाइसेंसधारक को किसी भी समय वेयरहाउस में संचयित किए जाने के लिए प्रस्तावित शुल्क योग्य माल पर लगाई गई शुल्क की राशि के बराबर राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक संपूर्ण जोखिम बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, आग, चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध भी शामिल हो।

24 आयुक्तालयों के तहत 219 वेयरहाउसों में इस पहलू की समीक्षा की गई थी और मासिक अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि छह आयुक्तालयों के तहत आठ वेयरहाउसों के मामले में, वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान वेयरहाउस लाइसेंसधारकों द्वारा ₹2 लाख से ₹68.89 करोड़ की शुल्क राशि के साथ अतिरिक्त स्टॉक रखा गया था। चूँकि, अतिरिक्त स्टॉक को बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया था अत: किसी भी आपदा जैसे आगजनी, दुर्घटना व अन्य घटनाओं की स्थिति में सीमा शुल्क की हानि होने का उत्तरदायित्व विभाग का होता । ***(अनुलग्नक 3.6)***

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और पांच वेयरहाउसों के संबंध में भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया है, जबकि दो वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)। मंत्रालय ने एक मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार किया और उत्तर दिया कि इसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी और यह एक प्रक्रियात्मक विसंगति थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वेयरहाउस में माल का अधिक संचयन लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन था।

एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स नंबर 3.3 - स्टॉक की अतिरिक्त वेयरहाउसिंग

एनसीएच आयुक्तालय, मुम्बई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मैसर्स आर लिमिटेड को जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार धारित किया जाने वाला स्टॉक ₹27 करोड़ की शुल्क राशि से अधिक नहीं होगा। शुल्क राशि को 17 अप्रैल 2017 से ₹27 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया था। लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सितंबर 2016 से मार्च 2020 के दौरान वेयरहाउस में मूल्य के संदर्भ में ₹4 करोड़ से ₹380 करोड़ तक और शुल्क के संदर्भ में ₹42 लाख से ₹68.89 करोड़ तक के माल का अतिरिक्त संचयन किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि स्टॉक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया था लेकिन अतिरिक्त स्टॉक कुछ अवधि के लिए ही बना रहा। मांग की तात्कालिकता और उत्पाद कीमत में परिवर्तन के अनुसार, अगस्त-2019 से दिसंबर-2020 की अवधि के लिए बीमा कवरेज राशि को बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया था। संशोधित कवरेज में उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान बीमा कवरेज ₹90 करोड़ के लिए है।

मंत्रालय का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचयित जाने वाले कार्गो पर अधिकतम शुल्क लाइसेंस में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.4.3 एमओटी प्रभारों का भुगतान न करना/अतिरिक्त भुगतान करना

मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) प्रभार सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियमन, 1998 इसमें दरों और ऐसे शुल्क के संग्रहण के तरीके को निर्धारित किया गया है, के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 36 के अनुसार संग्रहीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष वेयरहाउस विनियमन 2016 के विनियम 3(ई) और परिपत्र संख्या 20/2016-सीमा शुल्क दिनांक 20 मई 2016 के साथ पठित दिनांक 13 जुलाई 2016 के परिपत्र संख्या 32/2016 यह प्रावधान करता है कि एक स्पेशल वेयरहाउस का लाइसेंसधारक एमओटी आधार पर या लागत वसूली (सीआरसी) आधार पर सीमा शुल्क पर्यवेक्षण लागतों को वहन करेगा।

सीमा शुल्क मैनुअल के अध्याय 12 के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ओवरटाइम शुल्क की निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं:

तालिका 3.1

अधिकारियों की श्रेणी	कार्य दिवसों पर प्रति घंटा या उसके भाग पर शुल्क (₹ में)		अवकाशों पर प्रति घंटा या उसके हिस्से पर शुल्क (₹ में)	
	प्रात: 6 बजे से शाम 8 बजे तक	शाम 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक	प्रात: 6 बजे से शाम 8 बजे तक	शाम 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक
मूल्यांकनकर्ता, अधीक्षक (सीमा शुल्क निवारक)	85	125	140	180
हवाई सीमा शुल्क अधिकारी, परीक्षक और निवारक अधिकारी	75	100	105	145
स्टाफ	35	45	55	60

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच आयुक्तालयों में, 14 वेयरहाउसों के संबंध में एमओटी प्रभारों का कम/अनियमित भुगतान किया गया था (***अनुलग्नक 3.7***) एमओटी प्रभारों के कम/अनियमित भुगतान के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। एमओटी प्रभारों की अधिक वसूली के मामले भी देखे गए।

एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है:

छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आयुक्तालय (सीएसआईए), मुम्बई द्वारा चार[17] वेयरहाउसों से एकत्र किए गए एमओटी प्रभारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एमओटी प्रभारों की गणना कार्य दिवसों और छुट्टियों पर लागू दरों के बजाय उच्चतम दरों पर या प्रति दिन 24 घंटे से अधिक समय पर गणना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप तीन वेयरहाउसों के मामले में ₹4.08 लाख का अधिक संग्रहण हुआ। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि एक इकाई में, एमओटी लागू दर की तुलना में कम दर पर एकत्र किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹0.25 लाख का कम संग्रह हुआ था। इस प्रकार, विभाग द्वारा समान रूप से एमओटी प्रभार संग्रहीत नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और एक वेयरहाउस के संबंध में ₹ 65,790 के एमओटी प्रभारी की वसूली की और दो वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई की, जबकि चार वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)।

मंत्रालय ने सात वेयरहाउसों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार किया और उत्तर दिया कि एमओटी प्रभारों में कोई कमी नहीं आई थी। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन लाइसेंसधारकों ने घंटों की कुल संख्या का संदर्भ लिए बिना ही एक ही दर पर एमओटी प्रभारों का भुगतान किया है। इसके अलावा, ब्लॉक, अवधि और अवकाशों पर बिना विचार किए बिना दरों को अपनाया जाना सही नहीं था।

3.4.4 लागत वसूली प्रभारों के स्थान पर एमओटी प्रभारों का संग्रहण

लागत वसूली प्रभार (सीआरसी) अनुबद्ध वेयरहाउसों से वसूली योग्य वह राशि है जो सरकार द्वारा इनके परिसरों में उनके परिचालनों की निगरानी के लिए सीमा

[17] मैसर्स एस लिमिटेड, मैसर्स टी लिमिटेड, मैसर्स यू लिमिटेड तथा मैसर्स वी लिमिटेड

शुल्क विभाग के कार्मिकों की तैनाती पर किए गए व्यय पर आधारित है। सृजित पदों की लागत का निर्धारण तैनात कर्मचारियों के वास्तविक वेतन और परिलब्धियों के बराबर राशि अर्थात् डीए, एचआरए आदि सहित औसत वेतन और भत्तों के बराबर राशि पर किया गया है। जब एक सीमा शुल्क अधिकारी चार से पांच इकाइयों के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करता है, तो लागत वसूली प्रभार उनके बीच साझा किए जाते हैं।

स्पेशल वेयरहाउस विनियमन 2016 के विनियम 3 के खंड (ई) और परिपत्र संख्या 20/2016 - सीमा शुल्क दिनांक 20 मई 2016 के साथ पठित परिपत्र संख्या 32/2016 दिनांक 13 जुलाई 2016 में प्रावधान है कि एक स्पेशल वेयरहाउस का लाइसेंसधारक एमओटी आधार पर या लागत वसूली के आधार पर सीमा शुल्क पर्यवेक्षण की लागत को वहन करेगा। परिपत्र में इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि लाइसेंसधारक को सप्ताह में एक बार या दिन में एक बार वेयरहाउस के परिचालन की आवश्यकता होती है, तो पर्यवेक्षण की लागत एमओटी आधार पर ली जाएगी। तथापि, यदि वेयरहाउस निकटतम सीमा शुल्क कार्यालय से इतनी दूरी पर है या कार्य की प्रकृति और अवधि ऐसी है कि, बांड अधिकारी पूरे दिन या काफी समय के लिए अपने कार्यालय से अनुपस्थित होकर दैनिक आधार पर दौरा कर रहा है, तो लाइसेंसधारक को लागत वसूली के आधार पर सेवाएं लेनी होंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां लाइसेंसधारक को एक दिन में एक से अधिक बार सीमा शुल्क अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे लागत वसूली के आधार पर पर्यवेक्षण कराना होगा। इसी प्रकार, यदि चौबीसो घंटे सेवाओं का अनुरोध किया जाता है, तो लाइसेंसधारक को लागत वसूली के आधार पर प्रभारों को वहन करना होगा।

तीन आयुक्तालयों के अंतर्गत, 10 स्पेशल वेयरहाउसों के संबंध में सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभार, सीआरसी आधार की अपेक्षा एमओटी आधार पर लगाए गए थे। वसूली के गलत तरीके को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹10.29 करोड़ के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली हुई।

कुछ निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स नंबर 3.4 - सीआरसी के स्थान पर एमओटी प्रभार

i) सीएसआईए आयुक्तालय, मुम्बई में, यद्यपि सीमा शुल्क अधिकारियों को चौबीस घंटे तैनात किया गया था, फिर भी सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों को छह वेयरहाउसों के संबंध में सीआरसी आधार की अपेक्षा एमओटी आधार पर वसूला गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹6 करोड़ के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की कम वसूली हुई है।

ii) सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमानपत्तन), कोलकाता में दो स्पेशल वेयरहाउसों अर्थात् मैसर्स डब्ल्यू लिमिटेड और मैसर्स एक्स लिमिटेड में नियमित रूप से छह घंटे से अधिक समय तक सीमा शुल्क पर्यवेक्षण का लाभ उठाया। विभाग ने सीआरसी आधार के बजाय एमओटी आधार पर सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली की जिसके परिणामस्वरूप ₹2.93 करोड़ की कम वसूली हुई।

iii) कोचीन निवारक आयुक्तालय के अंतर्गत मैसर्स वाई लिमिटेड और मैसर्स जेड लिमिटेड के संबंध में, ₹1.36 करोड़ की कम वसूली हुई क्योंकि विभाग ने मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली के लिए सीआरसी के स्थान पर एमओटी प्रभारों को अपनाया था।

मंत्रालय ने आयुक्तालय (विमानपत्तन), कोलकाता के अंतर्गत मैसर्स डब्ल्यू लिमिटेड के मामले में अभ्युक्ति (मार्च 2022) को स्वीकार किया और कहा कि विभाग ने लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क पर्यवेक्षणों की आवृत्ति का मूल्यांकन किया और फरवरी 2019 में सीआरसी आधार पर पर्यवेक्षण लागत की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एक्स लिमिटेड के मामले में सीआरसी/एमओटी प्रभारों की वसूली जांच के अधीन है और की गई कार्रवाई की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। सीएसआईए आयुक्तालय, मुम्बई और आयुक्तालय (निवारक), कोचीन के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

3.5 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

3.5.1 अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण ऋण शोधन प्रमाणपत्र

परिपत्र संख्या 24/2016-सीमा शुल्क दिनांक 02 जून 2016 और परिपत्र संख्या 32/2016-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 2016 के साथ पठित पब्लिक/प्राईवेट/स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियमन, 2016 के विनियम 3(1) के अनुसार वेयरहाउस के लिए आवेदक को अनुसूचित बैंक से ऋण शोधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(i) पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस के संबंध में दो करोड़ रुपये के लिए

(ii) प्राइवेट/स्पेशल अनुबद्ध वेयरहाउस लाइसेंसधारक के संबंध में किसी भी समय संग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित माल पर शामिल अधिकतम शुल्क के बराबर राशि के लिए।

24 आयुक्तालयों के तहत 219 वेयरहाउसों में इस पहलू की समीक्षा की गई और अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच आयुक्तालयों[18] के अंतर्गत सात वेयरहाउसों में, ऋण शोधन प्रमाण-पत्र या तो प्रस्तुत नहीं किए गए थे या वेयरहाउस रक्षक द्वारा प्रस्तुत ऋण शोधन प्रमाण-पत्र वेयरहाउस लाइसेंस विनियमन, 2016 के अंतर्गत निर्धारित राशि से कम राशि के लिए था ***(अनुलग्नक 3.8)*** ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च, 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और तीन वेयरहाउसों के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी, जबकि एक वेयरहाउस के संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)।

मंत्रालय ने तीन वेयरहाउसों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया है और उत्तर दिया कि ऋण शोधन प्रमाणपत्र की सत्यता को सत्यापित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य वेयरहाउस के संबंध में, मंत्रालय द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि सीमा शुल्क को बांड और बैंक गारंटी द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत ऋण शोधन प्रमाण-पत्रों की सत्यता की पुष्टि करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और ऋण शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था।

निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- एसीसी निर्यात आयुक्तालय, नई दिल्ली में मई 2018 में एक पब्लिक वेयरहाउस संचालित करने के लिए मैसर्स एए लिमिटेड को एक लाइसेंस जारी किया गया था। अभिलेखो की जांच से पता चला कि मई 2018 में बैंक को प्रमाण पत्र की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था जिस पर उन्होने उत्तर दिया कि लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत ऋण शोधन प्रमाण पत्र ,जो जून 2020 में प्राप्त हुआ था, वास्तविक नहीं था। मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है और कहा कि लाइसेंस अक्टूबर 2020 में रद्द कर दिए गए हैं। फिर भी, बैंक के साथ अनुवर्ती कारवाई करने में देरी के परिणामस्वरूप एक अयोग्य आवेदक को लाइसेंस जारी किया गया।

[18] एसीसी निर्यात, दिल्ली, एसीसी जोन-III, मुंबई, सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद, सीमा शुल्क आयुक्तालय, भुवनेश्वर और सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद

- सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद के एक अन्य मामले में, हमने पाया कि मैसर्स एबी लिमिटेड ने अनुसूचित बैंक के बजाय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म मैसर्स एसी एंड कंपनी द्वारा जारी ऋण शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3.5.2 ऋण शोधन प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण

सीबीआईसी द्वारा जारी 9 जून 2016 के परिपत्र 26/2016 के खंड 8 में कहा गया है कि लाइसेंसधारक को वार्षिक रूप से बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करना होगा और ऋण शोधन शर्तों (जैसा लागू हो) का पालन करना जारी रखना होगा और इसे हर वर्ष प्रस्तुत करना आवश्यकता होगा।

वेयरहाउस द्वारा ऋण शोधन प्रमाण पत्र के नवीकरण के पहलू की 24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में समीक्षा की गई थी और आठ आयुक्तालयों[19] में यह पाया गया था कि 52 वेयरहाउस लाइसेंसधारक नियमित रूप से ऋण शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे थे **(अनुलग्नक *3.9*)**।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और 48 वेयरहाउसों के संबंध में कार्रवाई शुरू की। चार वेयरहाउसों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अस्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया कि ऋण शोधन प्रमाण पत्र दो वेयरहाउसों द्वारा प्रस्तुत किया गया था; यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऋण शोधन प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए था और उसके बाद हर वर्ष नवीनीकृत किया जाना चाहिए था।

शेष दो मामलों में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एक वेयरहाउस के पास जोखिम बीमा पॉलिसी थी और दूसरे लाइसेंसधारक ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। मंत्रालय का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को अनुसूचित बैंक

[19] एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय (ए एंड जी), दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय (बंदरगाह), कोलकाता, सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), विजयवाड़ा, सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद, सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी पटपड़गंज और अन्य आईसीडी, दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

से लाइसेंस जारी होने से पहले ऋण शोधन प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था और प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

3.5.3 जोखिम बीमा पॉलिसी

पब्लिक/प्राइवेट/स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियमन, 2016 के विनियम 4 के अनुसार, आवेदक को समग्र जोखिम बीमा पॉलिसी प्रदान करनी होगी जिसमे किसी भी समय संचयित किए जाने वाले, प्रस्तावित शुल्क योग्य माल पर शामिल शुल्क की राशि के बराबर राशि के लिए जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में हो, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, आग, चोरी और वाणिज्यिक अपराध शामिल हो। इसके अलावा, 9 जून 2016 के परिपत्र 26/2016 के अनुसार, लाइसेंसधारक को वार्षिक रूप से बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करना आवश्यक है।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में इसकी समीक्षा की गई और 13 आयुक्तालयों[20] में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 129 वेयरहाउसों के संबंध में लाइसेंसधारक बोर्ड द्वारा जारी विनियमों और अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहे। इससे वेयरहाउस में आग, चोरी आदि जैसी किसी भी आपदा की स्थिति में वेयरहाउसों में रखे माल पर सीमा शुल्क की हानि का जोखिम था ***(अनुलग्नक 3.10)***।

129 मामलों में से, 56 मामलों में बीमा कवर एक समय या एक अवधि के लिए ₹ 1,015.71 करोड़ कम था। 73 वेयरहाउस लाइसेंस मामलों मे, ऐसा सांख्यिक नहीं किया जा सका क्योंकि संचयन के लिए प्रस्तावित माल पर शुल्क के अभिलेख (लाइसेंस के अनुसार) उपलब्ध नहीं थें।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और 63 वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि 66 वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (मई 2022)।

[20] एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली, एसीसी जोन-III, मुंबई, बेंगलुरु सिटी आयुक्तालय, बेंगलुरु, सीमा शुल्क आयुक्तालय, चेन्नई-III, कोचीन सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क आयुक्तालय (बंदरगाह), कोलकाता, सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, लखनऊ, सीमा शुल्क आयुक्तालय (ए एंड जी), दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर, सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी पटपड़गंज और अन्य आईसीडी, दिल्ली, जेएनसीएच, जोन-II, मुंबई, एनसीएच मंगलुरु और एनसीएच, जोन-I, मुंबई,

मंत्रालय ने 17 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया है और उनका उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सात मामलों में, बीमा पॉलिसी दस्तावेज अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अन्य सात मामलों में, बीमा पॉलिसियों को नियमित रूप से नवीनीकृत नहीं किया गया था। शेष तीन मामलों में से, एक वेयरहाउस के संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि लाइसेंसधारक ने अक्टूबर 2017 में लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया था, जबकि अभिलेखो से पता चला कि अभ्यर्पण के लिए आवेदन मार्च 2021 में ही पेश किया गया था। इसके अलावा, एक मामले में बीमा कवरेज की निरंतरता भंग हुई थी।

सिफारिश 5: विभाग को दिवालिया प्रमाण पत्र, बैंक गारंटी और जोखिम बीमा नीति के नवीनीकरण तखा आई टी प्रणाली/मॉड्युल पर नजर रखने व निगरानी के लिए एक समयबद्ध तरीके से एक आई टी प्रणाली विकसित करना चाहिए। यह प्रणाली नियमों में निर्धारित बीमा के अंतर्गत 100 *प्रतिशत* शुल्क कवरेज पर नजर रखने तथा निगरानी करना चाहिए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में कहा है कि सिफारिश को नोट कर लिया है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित हो जाने के बाद, प्रतिवेदन को सम्यक सतर्कता बरतने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को परिचालित कर दिया जाएगा।

3.5.4 वेयरहाउसिंग अवधि के विस्तार के लिए बैंक गारंटी का कम प्रस्तुतीकरण

31 मई 2016 के परिपत्र संख्या 21/2016-सीमा शुल्क के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59 (3) के अनुसार, आयातक को एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष से अधिक के विस्तार के लिए शुल्क राशि सहित उस पर अर्जित ब्याज के क्रमशः 25 *प्रतिशत*, 50 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* की दर से बैंक गारंटी के माध्यम से एक प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

बंगलौर सिटी आयुक्तलाय में, मैसर्स एडी लिमिटेड, एक प्राइवेट वेयरहाउस ने तीन बीई के तहत किए गए आयातों के संबंध में ₹3.09 लाख की तुलना में ₹1.59 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप बैंक गारंटी को कम प्रस्तुत किया गया और सरकारी राजस्व का जोखिम पैदा हुआ।

मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2022)।

3.5.5 बांड समाप्त हो चुके माल का निस्तारण न होना

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72 की उप-धारा 1 (बी) के अनुसार, जहां किसी भी वेयरहाउस में रखे गए माल को उस अवधि की समाप्ति पर किसी वेयरहाउस से नहीं हटाया गया है, जिस अवधि के लिए धारा 61 के तहत ऐसे माल को वेयरहाउस में रखने की अनुमति दी गई है, तब उचित अधिकारी ऐसे माल के संबंध में देय ब्याज, जुर्माना और शास्ति सहित ऐसे माल के आधार पर प्रभार्य शुल्क की पूरी राशि की मांग कर सकता है और ऐसे माल का मालिक तुरंत इसका भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, उपधारा (2) के अनुसार, यदि कोई मालिक उप-धारा (1) के अंतर्गत मांगी गई किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना मालिक को नोटिस देने के बाद, वेयरहाउस में रखे उसके माल के पर्याप्त हिस्से, यदि कोई हो, को कब्जे में ले सकता है और बेच सकता है, जैसा कि उक्त अधिकारी उपयुक्त समझे।

24 आयुक्तालयों के अंतर्गत 219 वेयरहाउसों में इसकी समीक्षा की गई और आंकडों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि नौ आयुक्तालयों[21] के तहत 35 वेयरहाउसों में ₹75.75 करोड़ के शुल्क वाले, 525 समय समाप्त हो चुके बांड/बीई बिना निस्तारण के पड़े थे ***(अनुलग्नक 3.11)***।

पहल न करने और अनुवर्ती कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन हुआ। इसके अलावा, इससे वेयरहाउस में आग, चोरी आदि जैसी किसी भी आपदा के मामले में सीमा शुल्क हानि का जोखिम था, क्योंकि उस माल के संबंध में बीमा कवरेज नहीं होगा जिनके बांड की समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और 25 वेयरहाउसों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि आठ वेयरहाउसों के संबंध में मंत्रालय के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2022)।

[21] एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली, सीमा शुल्क आयुक्तालय, आईसीडी पटपड़गंज और अन्य, बेंगलुरु सिटी आयुक्तालय, बेंगलुरु, सीमा शुल्क आयुक्तालय चेन्नई-III, सीमा शुल्क आयुक्तालय चेन्नई-VII, कोचीन सीमा शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क आयुक्तालय (बंदरगाह) कोलकाता, सीमा शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना और जेएनसीएच, जोन-II, मुंबई

दो मामलों में मंत्रालय का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि रिपोर्टें मासिक आधार पर सीमा शुल्क को भेजी गई थीं और ऐसा कोई मामला नहीं था जहां विस्तार लेने की आवश्यकता थी क्योंकि उत्तर अभ्युक्ति से संबन्धित नहीं है और मार्च 2020 के महीने की मासिक तकनीकी रिपोर्ट से पता चला कि सात बांडों के तहत ₹ 5.50 लाख का माल कालातीत हो गया था।

एक निदर्शी मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

मैसर्स एई लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57 के तहत 14 अक्टूबर 2016 के सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन के माध्यम से वेयरहाउस के संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया गया था।

लाइसेंसधारक ने विभाग को सूचित किया कि 17 अप्रैल 2018 को अनुबद्ध वेयरहाउस में भीषण आग लगी थी। आग लगने के समय वेयरहाउस में रखा गया स्टॉक ₹1.79 करोड़ की देयता शुल्क के साथ ₹3.93 करोड़ का था, जिसमें ₹1.06 करोड़ की देयता शुल्क वाला ₹1.68 करोड़ का वह माल शामिल था, जिनके बांड समाप्त हो गए थे।

हालांकि पर्यवेक्षक ने ₹1.60 करोड़ के शुल्क की हानि का आकलन किया, बीमा कंपनी ने माल के संबंध में ₹1.06 करोड़ के दावे को कम कर दिया क्योंकि बांड समाप्त हो चुके थे। बीमा पॉलिसी से जुड़ी शर्तों के आगे के सत्यापन से पता चला कि पॉलिसी में माल को कवर नहीं किया गया था, क्योंकि ये माल 365 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुबद्ध वेयरहाउस में रहे और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा कोई समय विस्तार नहीं दिया गया था। जहां बांड समाप्त हो चुके थे वहाँ बांडों के नवीनीकरण/स्टॉक की निकासी सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप बीमा एजेंसी द्वारा बीमा दावे से इनकार कर दिया गया और ₹1.06 करोड़ तक के सीमा शुल्क की हानि हुई।

मंत्रालय से कोई उत्तर नहीं मिला (मई 2022)।

3.5.6 वेयरहाउस मे रखे माल की देरी से निकासी पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61(2) के अनुसार, धारा 60 के तहत किसी भी सौ प्रतिशत ईओयू[22] या ईएचटीपी इकाई या एसटीपीआई इकाई में उपयोग के लिए अभिप्रेत पूंजीगत या गैर-पूंजीगत माल के अलावा वेयरहाउस में रखे गए किसी भी माल और नब्बे दिनों की अवधि के बाद वेयरहाउस में रखे शेष माल के संबंध में, उक्त नब्बे दिनों की समाप्ति से लेकर वेयरहाउस में रखे माल पर शुल्क के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए माल की निकासी के समय देय शुल्क की राशि पर ब्याज ऐसी दर पर देय होगा जो धारा 47 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो

एनसीएच आयुक्तालय, मुम्बई में 40 एक्स-बांड बीई के विश्लेषण से पता चला कि आईसीईएस आईटी सिस्टम द्वारा 90 दिनों की अवधि से अधिक समय के बाद वेयरहाउसों में रखे गए माल की निकासी पर देय ₹5.41 लाख के ब्याज की गणना नहीं की गई थी। विभाग से सिस्टम की इस त्रुटि का कारण मांगा गया था और विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि माल को एमईआईएस के लाभ के तहत एक्स-बांड किया गया था और ऐसे माल पर शुल्क से छूट दी जाती है जो एमईआईएस के तहत डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के प्रति आयात किए जाते हैं। चूंकि कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए सिस्टम में कोई ब्याज नहीं लगाया गया था।

मंत्रालय का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल को शुल्क के भुगतान के बिना नहीं बल्कि शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स को डेबिट करने के बाद मंजूरी दी गई थी। ऐसे मामलों में, जहां एक्स-बांड अवधि नब्बे दिनों की अवधि से अधिक थी, वहाँ एक्स-बांड शुल्क छुट पर ब्याज उद्ग्रहीत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि इसी तरह के मामलों में ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था जहां वेयरहाउसिंग अवधि नब्बे दिनों से अधिक थी।

---

[22] वस्तुओं और सेवाओं के अपने संपूर्ण उत्पादन (डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने वाली इकाइयों को मरम्मत, पुन: निर्माण, सुधार, पुन: इंजीनियरिंग और सेवाओं के प्रतिपादन सहित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना के तहत स्थापित किया जा सकता है।

3.5.7 वेयरहाउसिंग बांड प्रबंधन में अनियमितताएं

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 73 के अनुसार, जब धारा 59 के तहत प्रस्तुत किसी भी बांड द्वारा कवर किए गए पूरे माल की घरेलू खपत के लिए निकासी की गई है या निर्यात या स्थानांतरित कर दिया गया है या अन्यथा विधिवत रूप से हिसाब में लिया गया है, और जब ऐसे माल पर देय सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है, तो उचित अधिकारी बांड को पूरी तरह से संपादित करके रद्द कर देगा और उस व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर इस रद्द बांड को उसे देगा जिसने इसे प्रस्तुत किया है या इसे प्राप्त करने का हकदार है। किसी भी माल के आयातकर्ता को, ऐसे माल के संबंध में अधिनियम, नियम व विनियमों के सभी प्रावधानों का पता लगाकर धारा 59 के तहत एक वेयरहाउसिंग बांड प्रस्तुत करना है। सभी शुल्कों तथा देय ब्याज को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर सभी शास्तियों को वहन करना होगा।

चार आयुक्तालयों[23] में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 59 के तहत प्रस्तुत किए गए 14,144 वेयरहाउसिंग बांडों को विभाग द्वारा उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए रद्द नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा कोई समान निर्धारित प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गई थीं। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सिस्टम ने निर्यात, अन्य वेयरहाउसों और सेज़ को स्थानांतरित करने जैसे विवरणों का दर्ज नहीं किया है। माल की वेयरहाउस से निकासी के बाद तथा शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो तो, बांड आईसीईएस सिस्टम में रद्द हो जाना चाहिए। आईसीईएस में ऐसे बांडों को रद्द न करना, जीवंत बांडों की गलत स्थिति देते है।

निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

एसीसी, मुम्बई में, बोर्ड के परिपत्र संख्या 18/2016 दिनांक 14 मई 2016 के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य) मुम्बई के कार्यालय द्वारा एक स्थानीय स्थायी आदेश जारी किया गया था जिसमें स्पेशल वेयरहाउस जैसे एयरलाइन कैटरर्स और शुल्क मुक्त दुकानों में आयातों की वेयरहाउसिंग की अनुमति देने के लिए बांड

[23] प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, आईसीडी तुगलकाबाद, सीमा शुल्क आयुक्त, आईसीडी पटपड़गंज और अन्य आईसीडी, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, एनसीएच, दिल्ली और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई

सेक्शन में बांड को स्वीकार करने की प्रक्रिया, स्पेशल वेयरहाउस के प्रभारी बॉन्ड अधिकारी से तीस दिनों के भीतर पुन: वेयरहाउसिंग प्रमाणपत्र (आरडब्ल्यूसी)[24] की प्राप्ति का पर्यवेक्षण एवं सभी माल की निकासी के बाद समाप्त होने वाले बांड के संबंध में समेकित एक्स बॉन्ड बीई की फाइलिंग की निगरानी को निर्दिष्ट किया गया था। इस प्रकार, आयात का सीमा शुल्क पत्तन बांडों की वेयरहाउसिंग अवधियों की निगरानी और बांडों की समाप्ति के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के लिए एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

एसीसी मुम्बई के तहत बांड सेक्शन में एमटीआर के विश्लेषण से पता चला कि स्पेशल वेयरहाउस, पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस तथा अन्य लाइसेंसधारकों के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए मैन्युअल बांड को रद्द करने के लिए विभिन्न तरीकों का पता चला:

- ₹55.73 लाख के शुल्क घटक वाले 32 बांडों में आरडब्ल्यूसी प्राप्त नहीं किया गया था, हालांकि छह बांड एक वर्ष से अधिक पुराने थे। 13 बांडों के मामले में, आरडब्ल्यूसी 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए थे, जबकि 12 मामलों में बांड समाप्त होने के तथ्य के बावजूद रजिस्टर में कोई आरडब्ल्यूसी उपलब्ध नहीं था।
- दो स्पेशल वेयरहाउस अर्थात् मैसर्स एएफ लिमिटेड और मैसर्स एजी लिमिटेड के मामले में आरडब्ल्यूसी की प्राप्ति के पर्यवेक्षण हेतु कोई व्यवस्था और प्रक्रियाएं नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा में आगे पता चला है कि हालांकि वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि से संबंधित 6,438 बांड अभी भी आईसीईएस में जीवंत हैं, लेकिन उन्हें रद्द करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउसों को माल की आवाजाही के लिए स्वीकृत बांडों के संबंध में, बांडों को एक्स-बांड बीई के आधार पर बांड रजिस्टरों में मैन्युअल रूप से बंद किया जा रहा था। वर्ष 2015-18 के दौरान 3,712

[24] एक कारखाने या वेयरहाउस से दूसरे कारखाने में उत्पाद शूल्क योग्य माल को हटाने को री-वेयरहाउसिंग कहा जाता है और गंतव्य के वेयरहाउस में माल के आगमन पर पुन: भंडारण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बोर्ड ने आरडब्ल्यूसी जमा करने लिए अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र (पीसी) जारी करने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि निर्धारित की थी।

मामलों में जहां परेषण-वार ईडीआई बांड स्वीकार किए गए थे, उनके संबंध में, उन्हें रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद और सीमा शुल्क आयुक्तालय आईसीडी पटपड़गंज तथा अन्य आईसीडी में 2,733 और 4,194 बांड रद्द करने के लिए लंबित थे। बांड रद्द करने में देरी एक महीने से लेकर तीन साल से अधिक तक थी।

मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला (मई 2022)।

3.5.8 अनुबद्ध वेयरहाउस की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण

परिपत्र सं 52/98-सीमा शुल्क दिनांक 27 जुलाई, 1998 में यह परिकल्पना की गई है कि वरिष्ठ अधिकारियों और कस्टम हाउस लेखापरीक्षा दलों द्वारा सीबीडब्ल्यू की नियमित लेखापरीक्षा और निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित दस्तावेजों से संबंधित स्वरूप, मात्रा, संख्या और अन्य प्रासंगिक ब्यौरे सत्यापित किए जा सकें। यह अभ्यास छह महीने में एक बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच द्वारा समर्थित लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा किया जा सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान, उन सभी परेषणों को संवीक्षा के लिए लिया जाना चाहिए जो वेयरहाउसिंग अवधि की समाप्ति के बाद भी वेयरहाउस में पड़े हैं, ताकि मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन या अन्य गैरकानूनी निस्तारण से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा सीबीडब्ल्यू की नियमित लेखापरीक्षा और निरीक्षण नहीं किया गया था।

विभागीय प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षण न किए जाने से विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी का पता चला। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह आश्वासन भी नहीं दे सकता कि वेयरहाउसिंग अवधि बीत जाने के पश्चात् वेयरहाउस में पड़े परेषणों की स्थिति में उचित कार्रवाई की गई थी या नहीं, जिसमें माल के मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन या अन्य गैर-कानूनी रूप से निस्तारण का जोखिम होता है।

मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार (मार्च 2022) कर लिया है और जवाब दिया है कि महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के तहत एडीजी (मुख्यालय) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जनवरी 2022 में किया गया है, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57, 58, 58ए और 65 के तहत वेयरहाउसों की

लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों /एसओपी का मसौदा तैयार करने का अधिदेश है। समिति के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में मौजूदा कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट लेखापरीक्षा मापदंड परिभाषित करना और लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के चयन मानदंडों का निर्धारण, योजना क्षेत्र, ऐसी लेखापरीक्षा की आवधिकता, जोखिम मानदंडों पर निर्भर लेखापरीक्षा की अलग-अलग सीमा, लेखापरीक्षा के चरण और संबंधित कार्यप्रवाह/जांच सूची/प्रपत्र आदि शामिल हैं।

सिफारिश 6: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों/एसओपी सहित, सीबीडब्ल्यु की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के लिए एक तंत्र तुरंत लागू कर दिया जाए।

3.5.9 पब्लिक /प्राइवेट अनुबद्ध वेयरहाउस में माल का अनियमित संचयन

परिपत्र संख्या 26/2016 दिनांक 09 जून 2016 के अनुसार, एक पब्लिक बोंडेड वेयरहाउस वास्तव में तीसरे पक्ष से संबंधित माल के वेयरहाउस के लिए है और आवेदक घोषणा करेगा कि उसके द्वारा आयातित माल को पब्लिक अनुबद्ध वेयरहाउस में संचयित नहीं किया जाएगा जिसके लिए आवेदन किया गया है। वहीं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के अनुसार, प्राइवेट वेयरहाउसों में, लाइसेंसधारक द्वारा या उसकी ओर से आयातित केवल शुल्क योग्य वस्तुओं को ही जमा किया जा सकता है।

अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन से माल के अनियमित संचयन के दो उदाहरणों का पता चला है।

- एसीसी निर्यात आयुक्तालय, नई दिल्ली, मैसर्स एएच लिमिटेड, एक सार्वजनिक वेयरहाउस में, लाइसेंसधारक ने ₹78.63 लाख मूल्य के माल का आयात किया था और माल आयातक के पब्लिक वेयरहाउस में संचयित किया था। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक पब्लिक अनुबद्ध वेयरहाउस वास्तव में तीसरे पक्ष से संबंधित माल के संचयन के लिए है।

  मंत्रालय से काई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2022)।

- जेएनसीएच आयुक्तालय, मुम्बई में अगस्त और सितंबर 2020 के एमटीआर की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि मैसर्स. एआई लिमिटेड, एक प्राइवेट अनुबद्ध वेयरहाउस, ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 के

प्रावधानों के विपरीत अपने अनुबद्ध टैंकों में तीसरे पक्ष के ₹37 करोड़ के 7,691 मीट्रिक टन माल को संचयन की अनुमति दी थी।

मंत्रालय ने अभियुक्ति (मार्च 2022) को स्वीकार कर लिया है और जवाब दिया कि कुछ मामलों में तीसरे पक्ष के माल को भी अस्थायी रूप से लाइसेंस प्राप्त प्राइवेट अनुबद्ध वेयरहाउसों में जमा किया गया था। हालांकि, संचयित माल तरल थोक के माल के समान हैं। सीमा शुल्क को कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी, फिर भी प्रक्रियात्मक/तकनीकी उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, लाइसेंसधारक को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 57 के तहत एक पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था और लाइसेंसधारक को पब्लिक वेयरहाउस लाइसेंस जारी किया गया था।

3.6 अन्य अनियमितताओं के उदाहरण

3.6.1 एक्स-बॉन्ड के समय मूल्यांकन योग्य मूल्य में अंतर

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 46/2017-सीमा शुल्क दिनांक 24 नवंबर 2017, निर्धारित करता है कि सीमा शुल्क वसूलने के प्रयोजनों के लिए आयातित माल का मूल्य आयात के समय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अनुसार निर्धारित किया जाना है, अर्थात् इन-बॉन्ड बीई फाइल करते समय। इस प्रकार, एक्स-बांड चरण में माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य को अलग-अलग करने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि वे ऐसा माल न हों जिन पर टैरिफ मूल्यांकन लागू होता है।

लेखापरीक्षा में जेएनसीएच आयुक्तालय, मुंबई के अंतर्गत मैसर्स एजे प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 30 उदाहरण देखे गए जहां एक्स-बॉन्ड के समय ₹0.76 लाख से लेकर ₹12.46 लाख तक के संचयित माल के आकलन योग्य मूल्य में भिन्नताएं थीं। हालांकि, एक्स-बॉन्डिंग के समय संचयन वाले माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य में इस तरह की विभिन्नता नियमानुसार नहीं थी।

मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2022)।

3.7 निष्कर्ष

भारत में सीमा शुल्क वेयरहाउसिंग से संबंधित कानून को मई 2016 से काफी उदार बना दिया गया है और वेयरहाउसिंग स्टेशन की अवधारणा को हटा दिया गया है जिसके कारण किसी भी स्थान पर सीबीडब्ल्यू की स्थापना हुई है। वेयरहाउस अब सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं और अभिलेख आधारित नियंत्रण में अंतरित हो गए हैं। वेयरहाउस से निकासी किए गए माल का उद्देश्य जैसे-घरेलू खपत/अन्य वेयरहाउस में जमा/निर्यात/बिक्री/नष्ट करना आदि का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, क्या लाइसेंसधारक ने शुल्क और ब्याज का सही भुगतान किया हैं, और क्या लाइसेंसधारक ने बांड और बैंक गारंटी की सही राशि जमा की, इसका विभाग द्वारा सही आकलन नहीं किया जा सकता। यदि लाइसेंसधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से विस्तृत अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जाता है, तो मासिक रिटर्न के मिलान तथा निगरानी की प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन कार्य होगा।

लेखापरीक्षा में पता चलाकि विभाग पूरी तरह से मैन्युअल था, गैर-स्वचालित मासिक तकनीकी रिपोर्टों और प्रत्येक अनुबद्ध वेयरहाउस द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न पर निर्भर था। प्राइवेट वेयरहाउस और आईसीईएस द्वारा बनाए गए आईटी प्रणालियों के बीच आंकडों के संरचित और निर्बाध प्रवाह की अनुपस्थिति थी। इसके अलावा, वेयरहाउसों को फॉर्म ए और बी में आंकडें तैयार करने की आवश्यकता थी जो आईसीईएस के साथ एकीकृत नहीं थे। संचयित माल की निकासी की निगरानी करने और बांड अवधि की समाप्ति या माल के उपयोगी समय की निगरानी करने के लिए आईसीईएस में कोई समेकित रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

जबकि आईसीईएस में घरेलु खपत के लिए माल के एक्स-बांड को अंकित किया जाता है, अन्य लेनदेन जैसे कि संचयिक माल का फिर से निर्यात, सेज़ में स्थानांतरण, और एक अनुबद्ध वेयरहाउस से दूसरे अनुबद्ध वेयरहाउस में स्थानांतरित करना पूरी तरह से मैन्युअल थे और आईसीईएस में दर्ज नहीं किये गये थे। सेज़ ऑनलाइन आईटी सिस्टम (एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित) को आइसीईएस के साथ एकीकृत नहीं किया गया था।

प्रारंभिक समय-सीमा समाप्त होने के बाद आईसीईएस में बांडों और बैंक गारंटी की समय-सीमा के विस्तार को दर्ज करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं किया गया

था। इसके अलावा, वेयरहाउस से माल की पूरी तरह से निकासी के बाद सिस्टम में वेयरहाउस बांड भी रद्द नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पता चलाकि 59 वेयरहाउस लाइसेंसधारियों ने अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी या निर्धारित प्रारूप में इन मासिक विवरणियों को जमा करने में विलंब किया था। 121 लाइसेंसधारियों ने या तो डिजिटल प्रारूप में रिकॉर्ड नहीं रखा था, या निर्धारित फॉर्मों में रिकॉर्ड तैयार नहीं किए थे।

लाइसेंस जारी करने के दौरान, पूर्ववर्ती सत्यापन में विलंब के उदाहरण थे और 31 मामलों में पूर्ववर्ती सत्यापन अभी भी लंबित था। 36 वेयरहाउसों के संबंध में, आवेदन पत्र के भाग IV में ब्यौरे अपूर्ण थे और भाग II में पांच वेयरहाउसों के संबंध में संपत्ति रखने वाले अधिकारों को भी लाइसेंस प्रदान करते समय सत्यापित नहीं किया गया था। 41 वेयरहाउस से संबंधित लाइसेंस जारी करने में 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा से अधिक, 7 दिनों से 440 दिनों तक का विलंब हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन वेयरहाउस वैध लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे।

यह देखा गया कि आठ वेयरहाउसों के मामले में, माल की अतिरिक्त धारण क्षमता थी, जिसमें माल के अतिरिक्त संचयन पर शुल्क ₹2 लाख से ₹68.89 करोड़ तक था।

लेखापरीक्षा में पता चलाकि 14 वेयरहाउसों में एमओटी (मर्चेंट ओवरटाइम) प्रभारों का कम/अनियमित भुगतान किया गया था। 10 विशेष वेयरहाउसों में, सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों को लागत वसूली प्रभार के आधार के बजाय एमओटी आधार पर गलत तरीके से लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.29 करोड़ के सीमा शुल्क पर्यवेक्षण प्रभारों की अल्प वसूली हुई थी।

129 वेयरहाउसों में, लाइसेंसधारक बोर्ड द्वारा जारी जोखिम बीमा पॉलिसी के बारे में नियमों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। 129 मामलों में से, 56 मामलों में बीमा कवर एक समय या एक अवधि के लिए ₹ 1,015.71 करोड़ कम था। 73 वेयरहाउस लाइसेंस मामलों मे, ऐसा सांख्यिक नहीं किया जा सका क्योंकि संचयन के लिए प्रस्तावित माल पर शुल्क के अभिलेख (लाइसेंस के अनुसार) उपलब्ध नहीं थें। इससे वेयरहाउस में आग, चोरी आदि जैसी किसी भी आपदा की स्थिति में वेयरहाउस पर सीमा शुल्क के नुकसान का खतरा था। इसके अलावा,

35 वेयरहाउसों में, ₹75.75 करोड़ के शुल्क तत्व वाले 525 अवैध हो चुके बांड/बीई रुके पड़े थे। साथ ही विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान सीबीडब्ल्यू की नियमित लेखापरीक्षा और निरीक्षण नहीं किया गया।

अध्याय 4
मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड)

4.1 प्रस्तावना

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना और संचालन को एफटीडब्ल्यूजेड की नीति के उद्देश्यों के साथ विधिवत रूप से संरेखित किया गया था और साथ ही नियंत्रण प्रणाली, निगरानी और समन्वय तंत्र का आकलन पर्याप्त और प्रभावी था।

निष्पादन लेखापरीक्षा, विकास आयुक्त (डीसी) (सेज़) कार्यालयों के परिसरों में की गई थी, जो परियोजना से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड और उसमें रखी गई निगरानी फाइलों के आधार पर, एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स और उसमें इकाइयों की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी।

एफटीडब्ल्यूजेड में इकाइयों के कार्ये और प्रदर्शन पर वार्षिक निगरानी ईकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा की जाती है। एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों/डेवलपर्स के प्रदर्शन की वार्षिक रूप से निगरानी इकाइयों के मामले में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्टों (एपीआर) और डेवलपर्स के मामले में छमाही/त्रैमासिक रिटर्न के माध्यम से की जा रही है, जिन्हें डिजिटल रूप से फाइल किया जाना अपेक्षित है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, डीसी सेज़ अधिनियम/नियमों के अनुसार चूककर्ता इकाइयों को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। किसी भी उल्लंघन के लिए, डीसी को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना, जुर्माना लगाना, अनुमति पत्र (एलओपी) को रद्द करना आदि शामिल हैं। ऐसे उल्लंघनों पर लागू सीमा शुल्क की वसूली विभाग द्वारा की जानी है।

सात एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स के एक प्रतिनिधि नमूने (चार परिचालन और तीन गैर-परिचालन) का चयन किया गया था । 222 एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में फैली 44 इकाइयों को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

4.2 एफटीडब्ल्यूज़ेड के लिए दिशानिर्देश/नीतियां

एफटीडब्ल्यूज़ेड नीति, विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2004-2009 के एक भाग के रूप में सेज़ अधिनियम 2005 और सेज़ नियम 2006 द्वारा शासित है ताकि भारत की सामरिक भौगोलिक स्थिति और लागत तथा कौशल अंतरपणन का लाभ उठाया जा सके। यह देखा गया कि सेज़ अधिनियम 2005 और सेज़ नियम 2006 में एफटीडब्ल्यूज़ेड संबंधित कोई अलग से दिशानिर्देश/नीतियां और विशिष्ट नियम शामिल नहीं हैं।

विभाग ने अवलोकन से सहमति व्यक्त की और उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि सेज़ अधिनियम 2005 में एफटीडब्ल्यूज़ेड के संबंध में ऐसे कोई विशिष्ट अध्याय दिशानिर्देश/नियम शामिल नहीं किए गए थे। हालांकि, सेज़ अधिनियम 2005 के संदर्भ में एफटीडब्ल्यूज़ेड की स्थापना के लिए आवश्यक विवरण /दस्तावेज 07 जनवरी 2019 के एक पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके अलावा, डीओसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि सेज़ अधिनियम 2005 में, एक एफटीडब्ल्यूज़ेड को सेज़ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से व्यापार, वेअरहाउस और उससे संबंधित अन्य गतिविधियां की जाती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हाल ही में सेज़ नियमों के नियम 24 (3) में कमी या किसी अन्य समान योजना की स्वीकार्यता पर एक परंतुक जोड़ा गया था जो एफटीडब्ल्यूज़ेड के प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि एफटीडब्ल्यूज़ेड एक योजना नहीं है। सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 2(एन) के तहत परिभाषित एफटीडब्ल्यूज़ेड का अर्थ एक सेज़ है जिसमें मुख्य रूप से व्यापार/वेअरहाउसिंग और अन्य संबंधित गतिविधियां जारी रखी जाती हैं। इस प्रकार, एफटीडब्ल्यूज़ेड सेज़ की एक श्रेणी है। नतीजतन, सेज़ कानून के सभी प्रावधान एफटीडब्ल्यूज़ेड पर यथोचित परिवर्तन करके लागू होते हैं और जहां आवश्यक हो, सेज़ कानून के तहत एफटीडब्ल्यूज़ेड को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट प्रावधान भी प्रदान किए गए हैं। इसलिए, विशिष्ट दिशानिर्देशों/नीतियों/नियमों का एक अलग सेट तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि एफटीडब्ल्यूज़ेड की स्थापना के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों/नीतियों/नियमों का एक अलग सेट तैयार करने की आवश्यकता हो

सकती है, जो संभावित डेवलपर्स को अधिक सुसंगत तरीके से नीति को समझने में सक्षम बनाएगा।

माननीया वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2022 में इंगित किया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नये कानून के साथ बदल दिया जाएगा जो राज्यों को उद्धम और सेवा केन्द्र के विकास में साझीदार बनानें के सक्षम बनाएगा। जो सभी बडे मौजूद और नये औद्योगिक अन्तःक्षेत्र को बेहतर उपयोग के उपलब्ध अवसंरचना तथा निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बढाने, को शामिल करेगा।

4.3 एफटीडब्ल्यूजेड नीति की समीक्षा/मूल्यांकन

मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई नीतिगत परिवर्तन, मूल्यांकन/समीक्षा की गई थी। वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने (दिसंबर 2020) में उत्तर दिया कि सेज़ नियम, 2006 के नियम 5 (दिनांक 17.12.2019 की अधिसूचना) में संशोधन किया गया है और अब सभी मौजूदा अधिसूचित सेज़ (एफटीडब्ल्यूजेड सहित) जिनमें 50 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि क्षेत्र है, को बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र माना जाएगा।

इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को योजना का मूल्यांकन/समीक्षा करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पर्याप्त निजी पार्टियां इस योजना में रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं और यदि आवश्यक हो, तो अधिक एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए डेवलपर को आकर्षित करने के लिए तदनुसार उचित नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं।

4.4 एफटीडब्ल्यूजेड के लिए अनुमोदन प्रदान करने में अनियमितता के उदाहरण

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों में अनुमोदन प्रदान करना या प्रस्तावों को अस्वीकार करना या सेज की स्थापना के लिए ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करना और डेवलपर द्वारा सेज में किए जाने वाले प्राधिकृत परिचालनों का अनुमोदन करना भी शामिल होगा।

इसके अलावा सेज़ नियम, 2006 के नियम 5 के उप-नियम 2 (डी) के अनुसार, यदि कोई डेवलपर, सेज के अनुमोदन या अधिसूचना के बाद, अधिक सन्निहित और खाली भूमि का अधिग्रहण करता है जो पहले से अधिसूचित क्षेत्र सहित कुल

क्षेत्र उपलब्ध कराता है, सेज़ के रूप में, सेज़ के किसी अन्य वर्ग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से अधिक, अनुमोदन बोर्ड ऐसे मामलों पर पहले से ही अनुमोदित या अधिसूचित सेज़ को शामिल करके सेज़ के दूसरे वर्ग में रूपांतरण की अनुमति देने के लिए मामले के आधार पर विचार कर सकता है।

डीसी वीसेज़, तेलंगाना में, यह देखा गया कि मेसर्स ए लिमिटेड (डेवलपर) ने मौजूदा सेज़ के भीतर एक एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए डीसी से संपर्क किया। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को प्रस्ताव अग्रेषित किए बिना सेज अधिनियम, 2005 की धारा 9 और सेज़ नियम, 2006 के नियम 5 का उल्लंघन कर डीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि डीसी को सुधारात्मक उपायों के लिए उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है।

4.5 सेज़ नियम 2006 के नियम 18(5) में संशोधन न करना

सेज़ अधिनियम 2005 की धारा 55(1) केंद्र सरकार को सेज़ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। ऐसे नियम बनाने की प्रक्रिया सेज़ अधिनियम की धारा 55(3) के तहत निर्धारित की गई है। सेज़ नियम 2006 के नियम 18(5) के अनुसार, एक एफटीडब्ल्यूजेड इकाई केवल एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के एवज में माल रख सकती है। सरकार ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों की ओर से एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों को माल रखने की अनुमति देने के निर्देश[25] (जुलाई 2010) जारी किए। हालांकि, उपरोक्त निर्देश जारी होने के 10 साल बाद भी, इस प्रावधान को शामिल करने के लिए सेज़ नियम, 2006 में संशोधन नहीं किया गया था।

डीओसी ने कहा (मार्च 2022) कि भारत में सेज़ से संबंधित नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सेज़ नियमों में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इस मुद्दे पर राजस्व विभाग (डीओआर) के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[25] एफ.सं. डी.12/4/2010- सेज़ (निर्देश संख्या 60) दिनांक 06.07.2010

4.6 गलत टैरिफ मूल्यों को अपनाने के कारण शुल्क के कम आरोपण का उदाहरण

सेज़ अधिनियम 2005 की धारा 30, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इकाइयों द्वारा घरेलू मंजूरी प्रदान करती है,

(क) सेज़ से डीटीए के लिए निकासी वाले किसी भी सामान पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा, जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत प्रतिपाटन, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल हैं, जहां लागू हो, ऐसे सामानों पर लगाने योग्य है जब आयात किए जाते हो; तथा

(ख) सेज़ से निकासी वाले माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, की दर इस तरह की निकासी की तारीख पर लागू दर और टैरिफ मूल्यांकन पर होनी चाहिए, और जहां ऐसी सुनिश्चित नहीं है, तारीख शुल्क की भुगतान तिथि होनी चाहिए।

इसके अलावा, सेज़ अधिनियम 2005 की धारा 51 के अनुसार, सेज़ अधिनियम 2005 के प्रावधान अधिभावी प्रभाव डालते हैं। सेज़ अधिनियम 2005 के प्रावधान ही प्रभावी होंगे, भले ही किसी भी अन्य कानून में असंगत कुछ भी शामिल हो या सेज़ अधिनियम 2005 के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर किसी भी दस्तावेज में प्रभावी हो।

मैसर्स. बी लिमिटेड के मामले में, मैसर्स बी1 सेज़ , आंध्र प्रदेश, में एक एफटीडब्ल्यूजेड इकाई है, बिल ऑफ एंट्री (बीई) की परीक्षण जांच के दौरान पाया गया था कि अपने ग्राहकों की ओर से किए गए डीटीए बिक्री के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, विभाग ने सोने और चांदी के लिए सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ मूल्यों को लागू करके शुल्कों का सेज़ अधिनियम, 2005 में यथा निर्धारित शुल्कों के भुगतान की तारीख का आकलन किया जो माल निकासी की तारीख के बजाय डीटीए बिक्री के लिए बीई फाइल करने की तारीख तक प्रभावी थे। ऑउट ऑफ चार्ज की तारीख/शुल्क के भुगतान की तारीख के बजाय बीई फाइल करने की तारीख पर प्रचलित गलत टैरिफ मूल्य को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹6.03 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि मैसर्स बी1 सेज़ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के नियम 53(2) के अनुसार और सेज़ नियम 2006 के नियम 47 (4) और

48 (2) के अनुसार एक बंदरगाह है, जो सेज़ अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत तैयार किए गए हैं, सेज़/एफटीडब्ल्यूजेड से मंजूरी प्राप्त वस्तुओं के लिए शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत होना चाहिए, और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार, बिल्स ऑफ एंट्री प्रस्तुत करने की तारीख शुल्क दर और टैरिफ मूल्यांकन के निर्धारण की तारीख है, जिसका पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, यह प्रत्यक्ष आयातकों की तुलना में सेज़ आयातकों के लिए एक समान अवसर प्रदान नहीं करेगा जहां बिल ऑफ एंट्री (घरेलू खपत) की प्रस्तुति की तारीख मूल्यांकन की तारीख है।

डीओसी का उत्तर व्यवहार्य नहीं है क्योंकि सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 30 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन उन वस्तुओं के निकासी की तारीख पर प्रचलित होनी चाहिए और जहां ऐसी तारीखों का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां शुल्क के भुगतान की तारीखों पर।

इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15(1) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि आयातित माल के अंदर प्रवेश की तारीख से पहले कोई बिल्स ऑफ एंट्री प्रस्तुत की जाती है, तो माल के प्रवेश की तारिख को ही, बिल्स ऑफ एंट्री को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो। इसलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 30 में यथा निर्धारित माल को प्रत्यक्ष रूप से निकासी की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा।

4.7 वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) और सेज़ ऑनलाइन आंकडो के अनुसार आंकडों में असंगतता

डीसी कार्यालयों, में कर्नाटक और महाराष्ट्र, यह देखा गया कि आयात व निर्यात और इकाइयों के एपीआर में रिपोर्ट किए गए बिक्री के आंकड़े एनएसडीएल द्वारा रखे गए सेज़ ऑनलाइन डेटा के साथ मेल नहीं खाते हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 44 एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से, सात मामलों में, एपीआर निर्यात आंकड़े सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से कम थे, जबकि आठ मामलों में, एपीआर निर्यात आंकड़े सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से अधिक थे। यूनिट के एनएफई प्रदर्शन की निगरानी के दौरान विभाग द्वारा आंकड़ों का कोई मिलान नहीं किया गया था **(अनुलग्नक *4.1)***।

- 44 एफटीडब्ल्यूजेड/सेज़ इकाइयों में से, बारह मामलों में एपीआर आयात आंकड़े सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से कम थे, जबकि चार मामलों में, एपीआर आयात आंकड़े सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से अधिक थे। इकाई के एनएफई प्रदर्शन की निगरानी के दौरान विभाग द्वारा आंकड़ों का कोई मिलान नहीं किया गया था ***(अनुलग्नक 4.2)***।

- 44 एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से, हालांकि पांच मामलों में एपीआर आंकड़ों ने शून्य डीटीए बिक्री का संकेत दिया, सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों ने डीटीए बिक्री को प्रतिबिंबित किया। शेष छः मामलों में, एपीआर के अनुसार डीटीए बिक्री आंकड़ें डीटीए बिक्री के सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से कम थे। इकाई के एनएफई प्रदर्शन की निगरानी के दौरान विभाग द्वारा आंकड़ों का कोई मिलान नहीं किया गया था ***(अनुलग्नक 4.3)***।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि सेज़ ऑनलाइन से आयात और निर्यात के संबंध में डेटा में उनके विदेशी और घरेलू ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन शामिल हैं। एमओसीआई के अनुदेश (जुलाई, 2010) के अनुसार सेवा प्रदाता इकाइयों के ग्राहकों से संबंधित निर्यात और आयात के आंकड़ों पर एनएफई की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। सेवा प्रदाता इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक एपीआर आंकड़ों में वेयरहाउस सेवाएं, सीएचए सेवाएं, अन्य समान सुविधाएं आदि प्रदान करके उत्पन्न आय शामिल है। इसलिए, एपीआर आंकड़े सेज़ ऑनलाइन आंकड़ों से मेल नहीं खाएंगे।

लेखापरीक्षा आंकड़ों में असंगतता के संभावित कारणों से अवगत है और उसको नोट कर लिया है। तथापि, एपीआर और सेज़ ऑनलाइन के आंकड़ों को विभाग द्वारा मिलान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इकाइयों द्वारा परिकलित एनएफई की सटीकता के रूप में आश्वासन प्राप्त किया जा सके; तत्काल मामले में इस तरह का एनएफई मिलान सेवा प्रदाता इकाइयों के ग्राहकों के निर्यात और आयात के आंकड़ों को पृथक करने के बाद हो सकता है।

सिफारिश 7: विभाग को महानिदेशक सिस्टम्स द्वारा अनुरक्षित और प्रबंधित सीमा शुल्क पोर्टल आइसगेट/आईसीईएस के साथ सेज़ ऑनलाइन आईटी प्रणाली के एकीकरण की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है।

वाणिज्य विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि वास्तविक समय में डेटा को साझा करने और सेज़ सीमा शुल्क को इनपुट प्रदान करने के लिए ईडीटी आरएमएस के उपयोग के लिए आइसगेट के साथ सेज़ ऑनलाइन सिस्टम का एकीकरण चल रहा है और इस संबंध में महानिदेशक सिस्टम्स, सीबीआईसी से आवश्यक सहायता का अनुरोध किया गया है।

4.8 निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गलत परिकलन के उदाहरण

सेज़ नियम, 2006 के नियम 53 में यह निर्धारित किया गया है कि इकाई निम्नलिखित सूत्र के अनुसार उत्पादन शुरू होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जाने वाली सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी:

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा = ए - बी > 0

जहां ए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य है और बी सभी आयातित पूंजीगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य तथा सभी आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य का योग, और निर्यात कमीशन, रॉयल्टी, शुल्क, लाभांश, पहले पांच साल की अवधि के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधार पर ब्याज या किसी अन्य शुल्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतानों का मूल्य है.

नीचे उल्लिखित तीन मामलों (डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में दो मामले और डीसी वीसेज़ तेलंगाना में एक मामला) में यह देखा गया था कि उपरोक्त नियम के अनुसार एनएफई की सही गणना नहीं की गई थी।

तालिका: 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड / सेज़	इकाई का नाम	अवधि	एपीआर के अनुसार एनएफई	सही एनएफई	अंतर
1	महाराष्ट्र	मैसर्स सी1 पनवेल	मैसर्स. सी लिमिटेड,	2016-17 से 2019-20	568.28	180.49	387.80
2		मैसर्स सी1 पनवेल	मैसर्स डी लिमिटेड,	2014-15 से 2018-19	33.60	16.19	17.41
3	तेलंगाना	मैसर्स ए लिमिटेड	मैसर्स ई. लिमिटेड,	2015-16 से 2019-20	2.93	-3.04	5.98

डीसी कार्यालय इसका पता लगाने में विफल रहा और इकाई द्वारा दायर एपीआर को स्वीकार कर लिया। विदेशी मुद्रा में अन्य बहिर्वाहों पर विचार न करने और सेज़ ऑनलाइन पर उपलब्ध आयात डेटा से देखे गए कतिपय आयातों को शामिल न किए जाने के कारण गलत परिकलन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एनएफई की गलत गणना हुई थी। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स नंबर 4.1 - एनएफई की गलत गणना

डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में मैसर्स सी लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान अपने लेखा खातों में रॉयल्टी भुगतान, बाहरी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज, विदेश यात्रा, तकनीकी शुल्क को डेबिट किया था। यदि इन भुगतानों को एनएफई की गणना के लिए माना जाता, तो संचयी एनएफई नकारात्मक होता।

मैसर्स.सी लिमिटेड, मुम्बई के संबंध में डीओसी ने उत्तर दिया कि टिप्पणी (मार्च 2022) किए गए खर्च जो संबंधित वर्ष के खाते में डेबिट किए जाते हैं, लेकिन एनएफई की गणना के लिए डेबिट नहीं किए जाते हैं, ये उनकी घरेलू इकाई से संबंधित खर्च हैं, न कि उनकी एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के लिए। इसलिए, एनएफई की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जा सकता है। मैसर्स डी लिमिटेड लिमिटेड, मुंबई के संबंध में यह कहा गया था कि भारत में भारतीय इकाई को भुगतान किए गए दस्तावेजीकरण और वेयरहाऊस किराए के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय पर विचार करने के बाद भी एनएफई सकारात्मक बना हुआ है। मैसर्स ई लिमिटेड, तेलंगाना के संबंध में, अब लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के साथ, एनएफई की गणना ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए एपीआर पर की जा रही है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हैं।

मैसर्स सी लिमिटेड, मुम्बई के संबंध में, यह स्पष्ट नहीं है कि पी एंड एल खाते में डेबिट किए गए खर्चों जैसे रॉयल्टी, बाहरी वाणिज्यिक उधार पर ब्याज, तकनीकी सेवा शुल्क, विदेशी यात्रा आदि को विशुद्ध रूप से घरेलू इकाई का व्यय कैसे कहा जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त लेखापरीक्षा गणना में विभिन्न इकाइयों द्वारा सृजित राजस्व के अनुपात में आनुपातिक रूप से एनएफई का पुनर्आकलन शामिल है। डीसी सीप्ज मुम्बई ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए इकाई को दिनांक 25.03.2022 को एक अनुस्मारक जारी किया गया है।

मैसर्स डी लिमिटेड, मुम्बई और मैसर्स ई लिमिटेड, तेलंगाना के मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार कर लिया है।

4.9 शुल्क वापसी की अनियमित स्वीकृति के मामले

सेज़ नियम, 2006 के 24(3) के साथ पठित नियम 30(8) के अनुसार, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी शुल्क नियम, 2017 के तहत प्रतिअदायगी या कोई अन्य समान लाभ, माल की आपूर्ति के खिलाफ डीटीए आपूर्तिकर्ता स्वीकार्य होगा जहां आपूर्ति के लिए भुगतान एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किया जाता है।

मैसर्स बी1 सेज़, आंध्र प्रदेश के मामले में, विनिर्दिष्ट अधिकारी (एसओ) ने आयातित वस्तुओं के पुन: निर्यात (सीमा शुल्क प्रतिअदायगी) नियम, 1995 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत एफटीडब्ल्यूजेड को निर्यात के बिलों पर डीटीए एजेंसियों को, चार मामलों में ₹0.82 करोड़ की राशि के प्रतिअदायगी शुल्क को मंजूरी दी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका : 4.2 **(₹ लाख में)**

एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का नाम	डीटीए एजेंसियां	निर्यात बिल सं. और तिथि	स्वीकृत प्रतिअदायगी की राशि
मैसर्स एफ लिमिटेड	मैसर्स जी लिमिटेड	189 दिनांक 29/12/2016	30.76
		190 दिनांक 29/12/16	1.93
		191 दिनांक 29/12/16	2.32
	मैसर्स एच लिमिटेड	98 दिनांक 20/06/17	47.35
		कुल	**82.36**

यह देखा गया कि सेज़ नियम, 2006 के नियम 24(3) के साथ पठित नियम 30(8) का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि निर्यात के बिल्स, डीटीए एजेंसियों की ओर से एफटीडब्ल्यूजेड इकाई द्वारा फाइल किए गए थे और विदेशी मुद्रा खाते से डीटीए एजेंसियों को कोई भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिअदायगी शुल्क की अनियमित स्वीकृति हुई थी।

डीओसी ने उत्तर (मार्च 2022) कि माल को शुरू में भारत (डीटीए) में आयात किया गया था और बाद में एफटीडब्ल्यूजेड इकाई को निर्यात किया गया था और उससे बाद देश से बाहर निर्यात किया गया था। आयात के समय भुगतान किए गए

शुल्कों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 (यानी शुल्क भुगतान की गई वस्तुओं का पुन: निर्यात) के अनुसार भारत से बाहर निर्यात करने और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के बाद स्वीकृत किया गया है। इस मामले में एफटीडब्ल्यूजेड इकाई एक सेवा इकाई है जो केवल विदेशी मुद्रा में सेवा शुल्क एकत्र करती है और विदेशी निर्यातक और खरीदार-आयातक के बीच लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए, एफटीडब्ल्यूजेड सेवा इकाई खाते के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लेन-देन की राशि प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

डीओसी का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज़ नियम, 2006 के नियम 30(8) और 24(3) के अनुसार डीटीए आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति के सापेक्ष प्रतिअदायगी या कोई अन्य समान लाभ केवल तभी स्वीकार्य है जब ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना उचित होगा कि सेज़ अधिनियम, 2005 अथवा सेज़ नियम, 2006 में एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों के ग्राहकों को छूट स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

4.10 मुक्त व्यापार वेअरहाउसिंग क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) का प्रदर्शन

सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार, किसी भी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र या अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में शामिल किए जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिसूचित करते समय और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, निम्नलिखित द्वारा निर्देशित करेगा, अर्थात्:

i) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन
ii) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
iii) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
iv) रोजगार के अवसरों का सृजन
v) अवसंरचना सुविधाओं का विकास

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए फाइल अपने क्यूपीआर / एचपीआर में डेवलपर्स द्वारा प्रदान किए गए निर्यात / निवेश / रोजगार / एनएफई की तुलना और एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों द्वारा डीसी कार्यालयों को उनके निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए एपीआर की तुलना नए एलओए या नवीकरण

के लिए आवेदन करते समय उनके द्वारा किए गए अनुमानों के साथ, निम्नलिखित निष्कर्ष निकला:

4.10.1 अनुमानों की तुलना में निर्यात की कमी

वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान चयनित एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों के एपीआर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 44 नमूना जांच की गई एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से 29 इकाइयों ने अनुमानित निर्यात लक्ष्य हासिल नहीं किया। उपलब्धि की कमी ₹0.12 करोड़ (एक *प्रतिशत*) से ₹346.15 करोड़ (100 *प्रतिशत*) तक है।

29 इकाइयों में से, 22 इकाइयों में अनुमानित निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में 50 *प्रतिशत* से अधिक की कमी थी ***(अनुलग्नक 4.4)*** ।

4.10.2 अनुमानित निवेश की तुलना में वास्तविक निवेश में कमी

यह परिचालन एफटीडब्ल्यूजेड के सभी चयनित डेवलपर्स के संबंध में देखा गया था कि नीचे दिए गए विवरण अनुसार कुल निवेश, अनुमानित निवेश से कम हो गया:

तालिका : 4.3

क्र. सं.	राज्य	डेवलपर का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)			कमी की प्रतिशतता
			अनुमानित	वास्तविक	कमी	
1.	महाराष्ट्र	मैसर्स आई लिमिटेड	1,456	126.73	1,329.27	91.30
2.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स जे लिमिटेड	14.45	8.50	5.95	41.18
3.	तमिलनाडु	मैसर्स के लिमिटेड	1,450	604.85	845.15	58.29
4.	अहमदाबाद	मैसर्स एल लिमिटेड	1.20	0.60	0.60	50

एफटीडब्ल्यूजेड में इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा और उनकी नवीनतम प्रदर्शन रिपोर्टों से पता चला है कि एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से 44 परीक्षणों की जांच की गई, 6 मामलों ***(अनुलग्नक 4.5)*** में, वास्तविक निवेश की राशि अनुमानों से कम हो गई। यह कमी ₹0.21 करोड़ (17.14 *प्रतिशत*) से ₹5.41 करोड़ (100 *प्रतिशत*) तक है।

4.10.3 रोजगार का सृजन

एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स की छमाही और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट वास्तविक रोजगार को दर्ज नहीं करती है, जिसके कारण डीसी कार्यालय डेवलपर के मामले में

अनुमानित रोजगार के प्रति उत्पन्न वास्तविक रोजगार की निगरानी नहीं कर सकते हैं।

तालिका : 4.4

क्रम स.	राज्य	डेवलपर का नाम	रोजगार	
			अनुमानित	वास्तविक
1.	महाराष्ट्र	मैसर्स आई लिमिटेड	36,000	रोजगार के वास्तविक आंकड़े छमाही/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में अंकित नहीं किए गए हैं
2.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स जे लिमिटेड	220	
3.	तमिलनाडु	मैसर्स के लिमिटेड	50	
4.	अहमदाबाद	मैसर्स एल लिमिटेड	3,000	

चयनित एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों के मामले में, लेखापरीक्षा से पता चलाहै कि 44 एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों में से, 22 इकाइयां ***(अनुलग्नक 4.6)*** लक्षित रोजगार सृजन को प्राप्त करने में विफल रही हैं। यह कमी नौ कर्मचारियों (10 *प्रतिशत*) से लेकर 120 कर्मचारियों (100 *प्रतिशत*) तक है।

4.10.4 अनुमानों की तुलना में निवल विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) में कमी

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान ब्लॉक अवधि को पूरा करने वाली 44 चयनित एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों की एपीआर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 24 इकाइयों ***(अनुलग्नक 4.7)*** के संबंध में, ब्लॉक के दौरान अर्जित वास्तविक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) इकाइयों द्वारा किए गए अनुमानों से कम हो गई थी। 24 इकाइयों द्वारा एनएफई की वसूली के संबंध में कमी का *प्रतिशत* ₹0.80 करोड़ (0.94 *प्रतिशत*) से ₹5.85 करोड़ (232.04 *प्रतिशत*) तक था।

डीओसी ने पैरा 4.10.1 से 4.10.4 के उत्तर में कहा (मार्च 2022) कि सेज़ नियम, 2006 के नियम 19 (6 बी) में संशोधन किया गया था (मार्च 2019) जिसने निर्यात प्रदर्शन के मानदंडों और अंतिम ब्लॉक अवधि में रोजगार सृजन पर विचार किया था। सेज़ अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, एलओए के नवीकरण के समय, किए गए प्रयासों और प्राप्त परिणामों या मानदंडों की स्थिति पर यथोचित जोर दिया जाता है, जिसमें निर्यात प्रदर्शन और पिछले ब्लॉक के दौरान सृजित रोजगार शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखना उचित है कि सेज़ कानून में अनुमानित व्यावसायिक योजनाओं की उपलब्धि

न होने के संबंध में कोई दण्डात्मक उपबंध निर्धारित नहीं किये गये है और उक्त स्थिति सेज़ो के बृहत निर्यात सुविधा अधिदेश के अनुरूप है।

तथ्य यह है कि हालांकि अनुमान बाध्यकारी नहीं हैं, वे एक इकाई के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं। यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था कि वर्तमान प्रचालनों को परिचालनों के इच्छित पैमाने के साथ आंका जा रहा था और परिणामस्वरूप कमी के संभावित कारणों को समझने के लिए शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई प्रयास अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे जिससे एफटीडब्ल्यूज़ेड की पूरी क्षमता का आकलन किया जा सके। कमी के संभावित कारणों को दूर करने के लिए किसी भी निगरानी या अध्ययन की अनुपस्थिति "अनुमानित आंकड़ों" को अनावश्यक बनाती है। अत: लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग को एफटीडब्ल्यूज़ेड के प्रदर्शन की निगरानी हेतु ऐसी कमियों के कारणों का विश्लेषण करने और इसमें सुधार करने के लिए संभावित कदम उठाने की आवश्यकता है।

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र

सेज़ अधिनियम, 2005 और सेज़ नियम, 2006 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ईकाई अनुमोदन समिति के माध्यम से सेज़ के अंतर्गत डेवलपर्स और इकाइयों की निगरानी का प्रावधान है। इकाइयों /डेवलपर्स के प्रदर्शन की वार्षिक रूप से निगरानी इकाइयों के मामले में एपीआर के माध्यम से की जा रही है और डेवलपर्स के मामले में एचपीआर/क्यूपीआर के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ऐसी समीक्षा के आधार पर डीसी सेज़ अधिनियम/नियमों के अनुसार चूककर्ता इकाइयों को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। किसी भी उल्लंघन के लिए, डीसी को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें एससीएन जारी करना, जुर्माना लगाना, अनुमति पत्र (एलओपी) को रद्द करना आदि शामिल हैं। इस तरह के उल्लंघनों पर लागू सीमा शुल्क की वसूली विभाग द्वारा की जानी है।

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा, डेटा प्रबंधन की प्रणाली, लेखांकन और आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए

निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जैसे मानदंड का लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किया गया और निम्नलिखित कमियों को पाया गया:

4.11 एफटीडब्ल्यूजेड में लेखापरीक्षा का गैर-संचालन

नियम 79 (अगस्त 2016 से प्रभावी) निर्धारित करता है कि सेज़ अधिनियम 2005 के तहत सभी अधिकृत परिचालन और सेज़ संबंधित लेन-देन तथा सेज़ में इकाइयों की लेखापरीक्षा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार के मुख्य आयुक्त के परामर्श से क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त द्वारा तैयार किए गए पैनल से की जाएगी।

अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुम्बई में स्थित डीसी के कार्यालयों द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि लेखापरीक्षा नियमित रूप से एक इकाई (मेसर्स एसी1 मुम्बई) में की जा रही है। केएसेज़, अहमदाबाद के संबंध में, मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (सीसीओ) कार्यालय ने अभी तक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकारियों को पैनल में शामिल नहीं किया है। सीसेज़, बंगलुरू में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी और हैदराबाद में लेखापरीक्षा विलंब से हुई थी। डीसी सीप्ज, मुम्बई में सेज़ नियम, 2006 के नियम 79 के तहत एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रस्ताव (फरवरी 2021) प्रस्तुत किया गया था और मैसर्स सी1 एफटीडब्ल्यूजेड की लेखापरीक्षा अभी भी चल रही है (अप्रैल 2022) और डीसी कार्यालय द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (लेखापरीक्षा) को इस मामले में तेजी लाने के लिए एक पत्र जारी किया गया था।

नियमों में यथा निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा करने में विफलता एफटीडब्ल्यूजेड डेवलपर्स/इकाइयों द्वारा तथ्यों का अनिर्धारित गलत वर्णन करना जोखिम से भरा है।

सिफारिश 8: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेज के नियम 79 के अनुसार, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेज इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा सभी सेज में आयोजित की जाए।

4.12 वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की समीक्षा

सेज़ नियम, 2006 के नियम 22(3) में यह निर्धारित किया गया है कि इकाइयां विकास आयुक्त को फार्म-I में एपीआर प्रस्तुत करेंगी और विकास आयुक्त इसे अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। अनुलग्नक I के साथ पठित नियम 54 में कहा गया है कि इकाई के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा और अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन यूएसी द्वारा एपीआर के आधार पर किया जाएगा जिसे एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है और इसे अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यूनिट द्वारा प्रस्तुत बीएलयूटी (फॉर्म एच) की शर्त 7 के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां एपीआर निर्धारित फॉर्म में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 180 दिनों के भीतर या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अधिकृत परिचालनों को करने के लिए दी गई अनुमति को वापस लिया जा सकता है और/या डीटीए में आगे के आयात और बिक्री के लिए अनुमति को रोका जा सकता है। प्रदर्शन की निगरानी यूएसी द्वारा एपीआर के आधार पर की जाती है और पहले और दूसरे वर्ष के लिए नकारात्मक एनएफई वाली इकाइयों को निगरानी सूची में रखा जाना होता है। एससीएन को तीसरे वर्ष के अंत में जारी किए जाने की आवश्यकता है और 5 वें वर्ष के अंत में दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जानी है।

इस संबंध में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.12.1 एपीआर फ़ाइल करने में विफलता

डीसी सीप्ज, मुम्बई में, यह पाया गया कि दो इकाइयां निर्धारित समय के भीतर एपीआर फाइल करने में विफल रहीं, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका : 4.5

इकाई का नाम	राज्य	वित्तिय वर्ष जिसमें एपीआर दायर नहीं किया गया	टिप्पणियां
मैसर्स एम लिमिटेड	महाराष्ट्र	2018-19	विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।
मैसर्स एन लिमिटेड	महाराष्ट्र	2015-16	

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि डीसी सीप्ज, मुम्बई ने एपीआर फाइल करने में विफल रहने के लिए संबंधित इकाइयों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है।

4.12.2 एपीआर जमा करने में विलंब

44 परीक्षण जांच इकाइयों (आन्ध्र प्रदेश में तीन इकाइयां, कर्णाटक में तीन इकाइयां और तेलंगाना में एक इकाई) में से सात एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों के मामले में एपीआर फाइल करने में असामान्य विलंब देखा गया था। एपीआर फाइल करने में विलंब पांच दिनों से 1,450 दिनों तक थी ***(अनुलग्नक 4.8)***।

डीसी कार्यालय, तेलंगाना ने उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि एक एससीएन जारी किया गया था और निर्धारित समय के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर को जमा नहीं करने के लिए ₹25,000 का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया था। डीसी कार्यालय, आंध्र प्रदेश ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि अवलोकन को नोट किया गया है और भविष्य में इसका पालन किया जाएगा।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि एससीएन सभी तीन इकाइयों को विलंब हेतु जारी किए गए थे और जुर्माना के साथ फैसला किया गया था। कर्णाटक में तीन इकाइयों के संबंध में जवाब लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित नहीं थे।

4.12.3 गैर-प्रमाणित एपीआर की स्वीकृति का उदाहरण

डीसी सेज़, कर्णाटक में यह पाया गया कि एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए बिना दो एपीआर प्रस्तुत किए गए थे। डीओसी ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि इकाइयों ने अब संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए सीए प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किए हैं।

4.12.4 संशोधित एपीआर प्रस्तुत करना

डीसी सीप्ज, मुम्बई में एक इकाई ने जून 2014 में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एपीआर प्रस्तुत किया, जिसमें ₹0.06 करोड़ का एनएफई दिखाया गया है। हालांकि एपीआर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए फाइल किया गया था, लेकिन वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक एपीआर के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। यूनिट ने दिसंबर 2017 में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एक संशोधित एपीआर प्रस्तुत किया, जिसमें ₹0.49 करोड़ का एक अलग एनएफई दिखाया गया था। हालांकि मौजूदा नियम में संशोधित एपीआर दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन डीसी कार्यालय द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि सेज़ अधिनियम 2005 और सेज़ नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित एपीआर प्रस्तुत करने के लिए इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

सिफारिश 9: विभाग को इकाइयों के संबंध में वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों और डेवलपर्स के संबंध में एचपीआर/क्यूपीआर के 100 *प्रतिशत* डिजिटल प्रस्तुतीकरण को लागू करने और किसी भी मैन्युअल रूप से प्रस्तुति की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और प्रभावी निगरानी विकसित होगी।

4.13 एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करने में विफलता के उदाहरण

नियम 18(2)(ii) में यह प्रावधान है कि पंजीकृत पट्टा विलेख की एक प्रति अनुमोदन पत्र जारी होने के छह महीने के भीतर संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी और ऐसा करने में विफल रहने पर अनुमोदन समिति सुनवाई का अवसर देने के बाद अनुमोदन पत्र को वापस लेने की कार्रवाई कर सकती है।

यह डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में देखा गया था कि जारी किए गए 56 एलओए में से केवल चार पट्टा विलेख पंजीकृत थे।

डीसी सीप्ज के संबंध में डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि पंजीकृत पट्टा विलेख के प्रस्तुतीकरण के लिए सभी यूनिट धारकों को वर्ष 2017 में पत्र जारी किए गए थे और इसे डेवलपर को भी सूचित किया गया था। डेवलपर के अनुसार 30 *प्रतिशत* इकाइयों ने समझौते को निष्पादित किया है और बाकी के लिए, यह कार्यालय इकाइयों और डेवलपर के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

4.14 इकाई लगाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटान में विलंब

नियम 18 (1) के अंतर्गत इकाई अनुमोदन समिति प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुमोदित या संशोधन के साथ अनुमोदित करेगी या अस्वीकार कर देगी।

डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में यह पाया गया कि एफटीडब्ल्यूज़ेड में इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त 62 आवेदनों में से 52 के, निपटान करने में 2 दिनों से 100 दिनों तक का विलंब हुआ था।

डीसी एमईपीजेड तमिलनाडु में यह पाया गया था कि एफटीडब्ल्यूज़ेड में इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त 15 आवेदनों में से 13 के निपटान में एक दिन से लेकर 24 दिनों तक का विलंब हुआ थी। ***(अनुलग्नक 4.9)***।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि प्रस्तावों की प्राप्ति पर, कमियां/विसंगतियां, यदि कोई ज्ञात होती है तो आवेदक को इसकी सूचना दी जाती है। केवल पूर्ण दस्तावेजों और प्रासंगिक अनुमतियों की प्राप्ति पर, विषयगत प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाता है।

तथ्य यह है कि प्राप्त आवेदनों के एक बड़े *प्रतिशत* को निपटान में विलंब देखा गया था।

4.15 बिल ऑफ एंट्री के आकलन में देरी

डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में, सेज़ ऑनलाइन डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान फाइल की गई 328 बीई का या तो मूल्यांकन लंबित था या मूल्यांकन किया गया था, लेकिन अभी तक ऑउट ऑफ चार्ज नहीं की गई थी। विलंब की सीमा 258 दिनों से 1,788 दिनों तक थी ***(अनुलग्नक 4.10)*** ।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि चूंकि सभी बीई 2 से 5 वर्ष पुराने हैं, इसलिए लंबित मामलों को कम करने के लिए संबंधित इकाइयों से बीई की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

4.16 एफटीडब्ल्यूज़ेड से अस्थायी रूप से निकासी किए गए माल की वापसी की निगरानी करने में विफलता

सेज़ नियम, 2006 के नियम 51 में यह निर्धारित किया गया है कि अस्थायी रूप से निकासी किए गए माल को निकासी से 120 दिनों के भीतर या विस्तारित समय के भीतर सेज़ में वापस लाया जाएगा, जहां इस तरह के विस्तार को प्रदान किया गया था। माल को वापस लाने में विफलता इकाइयों को ऐसे माल पर शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाती है।

डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में सेज़ ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष लिकला है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, 11 मामलों के संबंध में ***(अनुलग्नक 4.11)***, हालांकि प्रदर्शन, मरम्मत और अन्य हेतु

माल की एफटीडब्ल्यूजेड से अस्थायी रूप से निकासी की गई थी, ये सामान निकासी की तारीख से 266 दिनों से 1,329 दिनों तक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक एफटीडब्ल्यूजेड में वापस नहीं आए हैं। दिए गए किसी भी विस्तार, या लगाए गए शुल्क का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था। विभाग को अस्थायी रूप से निकासी किए गए माल को वापस लाने की निगरानी और नियंत्रण करना चाहिए चूकिं ये माल बिना शुल्क के भुगतान किए, स्थानीय बाजार में निष्पादित करने का जोखिम है।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि चूंकि सभी टीआर (वस्तुओं का अस्थायी निष्कासन) 1 से 4 साल पुराने हैं, इसलिए लंबित मामलों को बंद करने के लिए संबंधित ईकाइयों से टीआर की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

4.17 भारतीय रूपये (आइएनआर) में व्यापार / सेवा इकाइयों द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण लेन-देन के उदाहरण

सेज़ नियम, 2006 के नियम 18(5) के अधीन परंतुक के अनुसार, एफटीडब्ल्यूजेड में एक इकाई या अन्य सेज़ में स्थापित एफटीडब्ल्यूजेड में इकाई द्वारा किए गए सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे। एमओसीआई भारत सरकार(जीओआई) ने दिनांक 6 जुलाई, 2010 के अनुदेश सं 60[26] में यह भी स्पष्ट किया है कि एफटीडब्ल्यूजेड सेज़ नियम, 2006 के नियम 18(5) में किए गए प्रावधानों को पूरा करने के अध्यधीन विदेशी आपूतिकर्ताओं और खरीदारों तथा डीटीए आपूतिकर्ता व क्रेता की ओर से भी माल का रख-रखाव कर सकता है।

डीसी बी 1 सेज़, आंध्र प्रदेश में दो इकाइयों और डीसी वीसेज़, तेलंगाना में एक इकाई के मामले में, यह वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों की ओर से की गई बिक्री और खरीद (सेज़ ऑनलाइन पर उपलब्ध) से देखा गया था, उन 1,676 बिक्री लेन-देन डीटीए, ईओयू और एसटीपीआई को किए गए थे जिनका धन मूल्य ₹416.08 करोड़ था, वो 'भारतीय रूपये' में था। इसके अलावा, एक इकाई ने ₹0.18 करोड़ के मूल्य के साथ 17 लेनदेनों के संबंध में डीटीए खरीद भी की, जैसा की नीचे दिया गया है:

[26] निर्देश संख्या 60/फा.सं. डी.12/4/2010-सेज़ दिनांक 06.07.2010

तालिका : 4.6

(₹ करोड़ में)

एफटीडब्ल्यूजेड /सेज़ का नाम	इकाई का नाम	'डीटीए ' में किए गए खरीद लेनदेन की स.	मूल्य	'डीटीए ' में विक्रय लेन-देन की स.	मूल्य
बी 1 सेज़ पी . लिमिटेड. आंध्र प्रदेश	एफ लिमिटेड	-	-	1,666	415.68
	ओ लिमिटेड	-	-	1	0.01
मैसर्स ए लिमिटेड	ई लिमिटेड	17	0.18	9	0.38
कुल		**17**	**0.18**	**1,676**	**416.08**

व्यापार /सेवा एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों द्वारा आईएनआर में उपर्युक्त लेन-देन सेज़ नियम, 2006 के नियम 18(5) का उल्लंघन करते थे, जिसमें विशेष रूप से यह निर्धारित किया गया था कि सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होने चाहिए।

बी 1 लिमिटेड के संबंध में डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि ऐसे मामले जहां डीटीए आयातक एक विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए माल का आयात करता है और इसे भारत में किसी अन्य डीटीए खरीदार को बेचता है, ऐसे परिदृश्य में, जबकि विदेशी आपूर्तिकर्ता और डीटीए आयातक के बीच लेन-देन प्राप्ति / भुगतान विदेशी मुद्रा में होगा, डीटीए आयातक और डीटीए खरीदार के बीच लेन-देन रसीद/भुगतान केवल भारतीय रूपये में होगा क्योंकि यह लेनदेन दो डीटीए संस्थाओं के बीच है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उनके ग्राहकों द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड इकाई को भुगतान किए गए सेवा शुल्क, भले ही वे विदेशी ग्राहक या डीटीए ग्राहक हों, केवल विदेशी मुद्रा में ही हैं। मैसर्स ए लिमिटेड के संबंध में, वीसेज़ ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई की है।

बी1 सेज़ पी लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश के संबंध में डीओसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज़ नियम, 2006 के नियम 18(5) में एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों को अपने विदेशी ग्राहकों और डीटीए ग्राहकों के खाते में इस शर्त के अध्यधीन माल रखने की अनुमति मिलती है कि सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे, जैसा कि एमओसीआई के अनुदेश (जुलाई, 2010) में भी दोहराया गया है।

4.18 सेज़ ऑनलाइन पर अधूरी जानकारी

सेज़ नियम, 2006 के नियम 47 में उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिनके अध्यधीन वस्तुओं को सेज़ /एफटीडब्ल्यूजेड से डीटीए में निकासी की जा सकती है। नियम 47(1) में प्रावधान है कि एक इकाई धारा 30 के तहत सीमा शुल्क के भुगतान पर डीटीए में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके संबंध में उत्पन्न रिजेक्ट या अपशिष्ट या स्क्रैप या अवशेष या टूटे हुए हीरे या उप-उत्पादों सहित माल और सेवाओं को बेच सकती है।

डीसी सीप्ज, महाराष्ट्र में, दो इकाइयों[27] के संबंध में, सेज़ ऑनलाइन से सृजित रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, इकाइयों ने शुल्क के भुगतान के बिना 'डीटीए' को कई मंजूरी दी थी। सृजित रिपोर्ट ने देय के रूप में शुल्क इंगित किया; हालांकि, किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि दावा की गई छूट का कॉलम भी खाली था। शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थे।

डीओसी ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि इकाइयों (जून 2021) को पत्र जारी किए गए हैं, जिसके बाद फरवरी/मार्च 2022 के दौरान अनुस्मारक जारी किए गए हैं। यह भी कहा गया था कि सेज़ ऑनलाइन प्रणाली में कतिपय बीई को गलती से 'ड्यूटी फोर्गोन के साथ मूल्यांकन' के बजाय 'ड्यूटी भुगतान के साथ मूल्यांकन' किया गया है, लेकिन प्रणाली में आउट ऑफ चार्ज प्रदान करने से पहले शुल्क का भुगतान किया गया है, जैसा कि मंजूरी के समय समर्थित ड्यूटी चालान द्वारा प्रमाणित होता है। कुछ बीई को यादृच्छिक तरीके से सत्यापित किया गया था और यह पाया गया कि छूट अधिसूचना का उल्लेख यादृच्छिक रूप से चयनित बीई में किया गया था। चूंकि बीई 3 साल से अधिक पुराने हैं और प्रत्येक मामले को ट्रैक करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

4.19 निष्कर्ष

एफटीडब्ल्यूजेड विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2004-2009 के रूप में शुरू की गई सेज़ की एक विशेष श्रेणी है। 14 साल बाद भी, मार्च 2020 तक केवल सात एफटीडब्ल्यूजेड को ही अधिसूचित किया गया है। सात अधिसूचित एफटीडब्ल्यूजेड में से, केवल चार परिचालन में हैं। यह देखा गया कि सेज़ अधिनियम, 2005 और

[27] मैसर्स पी लिमिटेड और मैसर्स एम लिमिटेड

सेज़ नियम, 2006 में, एफटीडब्ल्यूजेड के संबंध में कोई अलग दिशा-निर्देश/नीतियां या कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह निर्धारित करने के लिए इस योजना का कोई मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की है कि क्यों पर्याप्त निजी कंपनियां इस योजना में रुचि नहीं दिखा रही हैं, और तदनुसार, यदि आवश्यक हो, तो अधिक एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने हेतु डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए क्यों कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

सरकार ने जुलाई, 2010 में अनुदेश जारी किए थे, जिसमें एफटीडब्ल्यूजेड इकाइयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के माल को रखने की अनुमति दी गई थी। तथापि, सेज़ नियम, 2006 में कोई संशोधन नहीं किया गया था जिसमें अभी भी यह निर्धारित किया गया है कि एक एफटीडब्ल्यूजेड इकाई केवल एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के माल का रख-रखाव कर सकती है।

लेखापरीक्षा में गलत टैरिफ मूल्य अपनाने के कारण घरेलू स्वीकृति पर शुल्क का कम उद्ग्रहन के उदाहरण; अन्य बहिर्वाह (जैसे रॉयल्टी भुगतान, व्यवसाय सहायता शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क और विदेशी यात्रा व्यय) पर विचार न करने के कारण एनएफई की गलत गणना; प्रतिअदायगी शुल्क की अनियमित मंजूरी के उदाहरण जहां एफटीडब्ल्यूजेड इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान नहीं किया गया था, संबंधी लेखापरीक्षा परिणामों के दृष्टांत पाए गए हैं।

निर्यात/निवेश/रोजगार/एनएफई के अनुमानित लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धियों की तुलना करने से डेवलपर्स और इकाइयों के प्रदर्शन में कमी देखी गई है। विभाग को एफटीडब्ल्यूजेड के प्रदर्शन की निगरानी के अंतर्गत ऐसी कमियों के कारणों का विश्लेषण करने और इसमें सुधार करने के लिए संभावित कदम उठाने की आवश्यकता है।

सेज़ नियम, 2006 के नियम 79 के अंतर्गत सेज़ तथा सेज इकाइयों में सभी प्राधिकृत परिचालनों और संबंधित लेन-देनों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। अहमदाबाद, बंगलुरू, हैदराबाद और मुम्बई में स्थित डीसी कार्यालयों द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

एपीआर की समीक्षा से एपीआर फाइल करने में विफलता, एपीआर प्रस्तुत करने में देरी, गैर-प्रमाणित एपीआर की स्वीकृति और विभिन्न एनएफई को दर्शाते हुए

संशोधित एपीआर प्रस्तुत करने के उदाहरणों का पता चला है, हालांकि संशोधित एपीआर दाखिल करने हेतु मौजूदा नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

नई दिल्ली **(कार्तिकेय माथुर)**

दिनांक: 8 अगस्त 2022 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 8 अगस्त 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1

मुख्य आयुक्तालयवार वेयरहाउसिंग संव्यवहार

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 1.3.1) **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	मुख्य आयुक्तालय का नाम	वर्ष	इंटू बांड बीई की संख्या	इंटू बांड का निर्धारणीय मूल्य	इंटू बांड निर्धारित शुल्क	एक्स-बांड बीई की संख्या	एक्स-बोंड का निर्धारणीय मूल्य	निर्धारित एक्स-बोंड शुल्क
1	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, दिल्ली	2015-16	30528	9714.47	1888.17	69068	3270.37	849.99
		2016-17	27843	7585.58	1813.03	61578	3268.02	965.33
		2017-18	14733	4934.37	1905.26	59626	3578.09	1061.43
		2018-19	12446	5767.74	2651.80	70589	4169.97	1427.62
		2019-20	10204	5334.73	2610.89	82140	3890.25	1461.10
2	मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भोपाल	2015-16	35	29.98	6.45	9	12.86	1.28
		2016-17	53	55.18	12.62	15	30.42	5.75
		2017-18	32	64.35	13.15	22	36.08	6.79
		2018-19	30	55.35	11.52	14	26.47	5.14
		2019-20	18	14.85	3.28	11	18.35	3.38
3	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई ज़ोन-I	2015-16	2779	40893.68	2328.16	12077	40061.63	1516.88
		2016-17	2661	46280.88	2346.68	10645	44825.86	1518.84
		2017-18	2672	50346.26	2624.59	9106	50473.77	1833.92
		2018-19	2577	72561.75	2949.29	9593	71750.27	2335.28
		2019-20	2326	60305.82	2245.85	8353	59182.63	1716.78
4	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), पटना	2015-16	91	32.18	2.33	200	4.52	0.80
		2016-17	129	38.20	2.62	221	5.05	0.78
		2017-18	78	23.83	5.09	342	14.52	2.19
		2018-19	81	21.59	6.13	429	20.09	5.04
		2019-20	91	17.99	7.07	533	17.41	6.13
5	मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद	2015-16	11967	3971.61	179.71	2755	725.52	93.66
		2016-17	8177	1931.32	176.55	8184	475.50	56.45
		2017-18	1863	560.77	189.46	14724	435.63	78.83
		2018-19	1574	474.76	192.30	7879	408.31	83.49
		2019-20	1480	441.05	222.79	4052	328.53	64.14
6	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, मेरठ	2015-16	2315	1636.40	283.93	2401	1249.41	127.33
		2016-17	3152	1965.07	360.80	2814	1532.34	176.61
		2017-18	2158	1885.09	403.35	3174	1365.50	280.63
		2018-19	2001	1963.43	560.99	3262	2235.55	565.21
		2019-20	1637	1410.45	410.06	2899	1336.04	333.07
7	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई ज़ोन-II	2015-16	38432	24503.76	5400.14	55078	14168.64	3163.81
		2016-17	30389	20142.06	5849.38	75379	14628.65	3616.85
		2017-18	27680	21408.83	7266.04	90225	18171.12	4802.27
		2018-19	27581	26476.74	10491.95	86645	23254.08	6003.11
		2019-20	25565	24944.96	9987.30	84098	22286.75	5121.75

क्र. सं.	मुख्य आयुक्तालय का नाम	वर्ष	इंटू बांड बीई की संख्या	इंटू बांड का निर्धारणीय मूल्य	इंटू बांड निर्धारित शुल्क	एक्स-बांड बीई की संख्या	एक्स-बोंड का निर्धारणीय मूल्य	निर्धारित एक्स-बोंड शुल्क
8	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, चेन्नई	2015-16	32084	42069.22	4373.73	43289	32834.07	2887.66
		2016-17	24842	42170.38	4835.04	47908	37665.93	3382.21
		2017-18	21957	45813.59	6390.98	48766	44337.67	4036.04
		2018-19	24170	59420.16	9526.45	54484	57538.09	5235.13
		2019-20	22689	51359.73	7949.68	51812	49719.28	4316.25
9	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद	2015-16	10931	25233.88	6207.86	46280	20442.62	3080.25
		2016-17	10902	27504.67	7260.42	51171	22794.43	2984.99
		2017-18	11066	65063.12	13615.10	44310	61840.19	6266.23
		2018-19	12221	51546.51	20019.17	44894	48540.76	9593.90
		2019-20	13629	50499.97	19599.78	47371	48091.39	8150.12
10	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई ज़ोन-III	2015-16	27312	13339.59	905.76	3976	1886.04	304.56
		2016-17	14151	8915.68	934.71	3346	2351.35	406.64
		2017-18	8522	8976.24	1348.54	4679	5463.25	997.76
		2018-19	11791	8808.68	1459.67	6741	2950.41	595.90
		2019-20	13858	9792.29	1684.64	7911	3079.08	620.16
11	मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, थिरुवनंथापुरम	2015-16	4238	3027.43	600.04	2220	1208.92	236.54
		2016-17	2897	2294.11	519.40	2399	1627.95	224.72
		2017-18	1621	1703.76	498.45	1887	1489.99	259.02
		2018-19	1551	1955.63	578.07	2247	1791.97	328.16
		2019-20	2213	1670.45	523.14	2298	1467.89	265.60
12	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, कोलकाता	2015-16	3105	6787.48	932.86	2657	1576.75	325.72
		2016-17	3263	4817.79	1624.26	2581	3181.13	307.42
		2017-18	1683	3083.53	1040.17	2394	3145.62	501.66
		2018-19	1166	4980.80	1880.01	2499	4635.64	688.49
		2019-20	1402	7837.85	3248.47	2899	7465.78	931.13
13	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलुरु	2015-16	93071	46610.43	1439.63	19432	33620.91	677.26
		2016-17	46152	37666.80	1355.89	112072	31378.81	847.76
		2017-18	14931	37032.79	1688.02	108268	37751.63	1019.09
		2018-19	12440	51706.04	2420.89	64243	50097.95	1225.50
		2019-20	11289	38408.17	2263.29	61914	38755.33	1030.25
14	मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, विशाखापट्टनम	2015-16	4479	32542.52	2722.04	4839	27912.91	944.27
		2016-17	3443	36450.47	3375.58	7517	33937.45	1428.37
		2017-18	3598	39491.16	4941.58	8736	37172.94	1786.45
		2018-19	3322	49445.11	6571.68	9888	48575.91	2295.12
		2019-20	3423	41342.25	6184.69	8741	37677.95	1426.57
15		2015-16	125	42409.33	91.51	130	41797.77	97.32
		2016-17	154	58311.07	125.78	154	57431.82	125.07
		2017-18	149	68596.91	135.04	145	67529.85	133.63

क्र. सं.	मुख्य आयुक्तालय का नाम	वर्ष	इंटू बांड बीई की संख्या	इंटू बांड का निर्धारणीय मूल्य	इंटू बांड निर्धारित शुल्क	एक्स-बांड बीई की संख्या	एक्स-बोंड का निर्धारणीय मूल्य	निर्धारित एक्स-बोंड शुल्क
	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, भुवनेश्वर	2018-19	1	63.14	6.47	8	2855.43	5.31
		2019-20	15	179.50	35.97	14	113.14	20.61
16	मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं सीमा शुल्क, गुवाहाटी	2015-16	0			0		
		2016-17	0			0		
		2017-18	0			0		
		2018-19	0			0		
		2019-20	0			0		
17	मुख्य आयुक्त (निवारक), सीमा शुल्क, तिरुचिरापल्ली.	2015-16	2313	14385.44	2883.77	3847	13235.91	1336.43
		2016-17	2131	14640.33	2973.60	4023	13829.19	1281.46
		2017-18	3005	17811.39	2755.38	4107	12347.38	1196.39
		2018-19	2662	5651.07	1984.48	4480	5164.27	789.56
		2019-20	2318	3850.80	1668.65	4369	3844.08	671.69
18	मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, पुणे	2015-16	1437	1071.70	166.24	3385	588.01	103.01
		2016-17	1236	856.28	164.63	3713	670.61	101.79
		2017-18	894	1265.34	256.58	2475	1170.95	181.42
		2018-19	714	815.21	263.66	2001	901.13	146.36
		2019-20	602	431.84	122.42	1708	464.79	97.01
19	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, (निवारक),दिल्ली	2015-16	248	96.00	17.61	223	41.19	10.22
		2016-17	329	228.98	30.34	321	140.99	19.29
		2017-18	204	94.45	21.64	244	59.01	12.63
		2018-19	169	133.76	46.31	267	110.54	34.40
		2019-20	205	150.12	69.81	558	160.16	63.56
20	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, नागपुर	2015-16	1430	1645.70	319.34	3839	1380.39	226.85
		2016-17	1318	1195.97	254.69	3208	966.58	168.62
		2017-18	786	576.37	152.88	1784	546.27	120.99
		2018-19	374	415.70	111.97	729	371.96	74.47
		2019-20	241	143.29	41.50	573	200.17	42.83

अनुलग्नक 3.1				
व्यक्तिगत वेयरहाउस के अभिलेखों के डिजिटलीकरण की सीमा का निर्धारण				
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.2.1)				
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस की संख्या**	**वेयरहाउस का प्रकार**	**अनियमितता**
1	अहमदाबाद	7	प्राइवेट और स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना और डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त न किया जाना।
2	जोधपुर	2	प्राइवेट और स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना।
3	एनसीएच मंगलुरु	4	पब्लिक और प्राइवेट	रिटर्न मैन्यअल रूप से फाइल किए गए थे।
4	एसीसी, बैंगलोर	20	स्पेशल	रिटर्न मैन्यअल रूप से फाइल किए गए थे।
5	लुधियाना	12	पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना।
6	चेन्नई III	17	पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना, ऑडिट ट्रेल का अभाव और डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त न किया जाना।
7	चेन्नई VII	5	स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना, ऑडिट ट्रेल का अभाव और डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त न किया जाना।
8	कोचीन	1		रिटर्न मैन्यअल रूप से फाइल किए गए थे।
9	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	13	स्पेशल और पब्लिक	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना और अतः ऑडिट ट्रेल का अभाव।
10	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली	4	प्राइवेट	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना और अतः ऑडिट ट्रेल का अभाव।
11	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	15	स्पेशल	फॉर्म ए में स्टॉक अभिलेखों का अनुचित रखरखाव। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त न किया जाना।
12	हैदराबाद	1	स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना।.
13	विजयवाड़ा (निवारक)	2	स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना।.

14	लखनऊ	3	पब्लिक और स्पेशल	अभिलेखों का डिजिटल रूप में न रखा जाना और डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त न किया जाना।
15	एनसीएच, ज़ोन I, मुम्बई	2	पब्लिक और स्पेशल	फॉर्म ए में स्टॉक अभिलेखों का अनुचित रखरखाव।
16	जेएनसीएच, ज़ोन II, मुम्बई	6	पब्लिक	फॉर्म ए में स्टॉक अभिलेखों का अनुचित रखरखाव।
17	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	7	स्पेशल	फॉर्म ए और फॉर्म बी में अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जाना और रिटर्न का मैन्यअल रूप से फाइल किया जाना।
	कुल	**121**		

अनुलग्नक 3.2			
मासिक रिटर्न की प्रस्तुति की निगरानी			
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.2.4)			
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस की संख्या**	**अनियमितता**
1	अहमदाबाद	2	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न प्रस्तुत न किया जाना।
2	जोधपुर	4	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न प्रस्तुत न किया जाना।
3	एसीसी, बैंगलोर	2	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
4	बीसीसी, बैंगलोर	7	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
5	चेन्नई III	18	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
6	हैदराबाद	8	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
7	विशाखापट्टनम	4	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
8	विजयवाड़ा (निवारक)	2	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
9	भुवनेश्वर	2	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना।
10	कोलकाता (पत्तन)	6	सितंबर 2019 के लिए मासिक रिटर्न 5 दिनों के विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया था।
11	लखनऊ	3	फॉर्म ए एवं फॉर्म बी में मासिक रिटर्न प्रस्तुत न किया जाना.
12	लुधियाना	1	9 मामलों में मासिक रिटर्न फाइल करने में 1 से 40 दिनों तक का विलंब।
	कुल	**59**	

अनुलग्नक 3.3			
पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अभाव			
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.3.1)			
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस का नाम**	**अनियमितताएं**
1	बीसीसी, बैंगलोर	3	लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया थी/डीआरआई की प्रतिकूल पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसधारक के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।
2	एनसीएच, बैंगलोर	1	लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया था।
3	लुधियाना	7	जांच एजेंसियों से स्वीकृति नहीं मिली थी और न ही विभाग ने इस मामले को आगे बढ़ाया।
4	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	32	लाइसेंस जारी होने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन में विलंब/पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया।
5	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	4	लाइसेंस जारी होने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन में विलंब/पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया।
6	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली	3	लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया था।
7	हैदराबाद	2	जांच एजेंसियों से स्वीकृति नहीं मिली थी और न ही विभाग ने इस मामले को आगे बढ़ाया।
8	विजयवाड़ा (निवारक)	3	लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया था।
9	कोलकाता (पत्तन)	3	लाइसेंस जारी करने के बाद पूर्ववर्ती सत्यापन नहीं किया गया था/डीआरआई की प्रतिकूल पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसधारक के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।
	कुल	**58**	

अनुलग्नक 3.4				
लाइसेंस के लिए आवेदन में विवरणों को अभिग्रहीत नहीं किया जाना				
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.3.2)				
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस की संख्या**	**वेयरहाउस का प्रकार**	**अनियमितता**
1	एनसीएच, बैंगलोर	1	प्राइवेट	वेयरहाउस का पट्टा करार दिसंबर 2018 से ही समाप्त हो गया था। इस प्रकार, माल को एक ऐसे स्थान पर रखा गया था जहां लाइसेंसधारक के पास भूमि पर कोई कानूनी अधिकार / स्वामित्व नहीं था।
2	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	13	पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल	लाइसेंस आवेदन के भाग ।V को अभिग्रहीत नहीं किया गया था / अपूर्ण था / आवेदन फॉर्म के भाग ।। में संपत्ति धारण अधिकारों की वैधता के सत्यापन के बिना लाइसेंस प्रदान किया गया था।
3	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	14	स्पेशल	लाइसेंस आवेदन के भाग ।V को अभिग्रहीत नहीं किया गया था / अपूर्ण था।
4	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी , दिल्ली	2	प्राइवेट और पब्लिक	लाइसेंस आवेदन के भाग ।V को अभिग्रहीत नहीं किया गया था / अपूर्ण था।
5	पत्तन, कोलकाता	6	पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल	लाइसेंस आवेदन के भाग ।V को अभिग्रहीत नहीं किया गया था / अपूर्ण था।
	कुल	**36**		

अनुलग्नक 3.5			
वेयरहाउसिंग लाइसेंस जारी करने में विलंब			
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.3.4)			
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस की संख्या**	**दिनों में विलंब**
1	अहमदाबाद	7	8 से 260
2	जोधपुर	2	35 से 80
3	एनसीएच, मंगलुरु	1	219
4	बीसीसी, बेंगलुरु	8	12 से 117
5	लुधियाना	3	7 से 76
6	चेन्नई III	1	424
7	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	6	13 से 75
8	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	1	50
9	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली	1	97
10	विजयवाड़ा (निवारक)	5	15 से 87
11	भुवनेश्वर	1	149
12	कोलकाता (पत्तन)	5	30 से 440
	कुल	41	

अनुलग्नक 3.6				
वेयरहाउस में माल की अधिक धारिता				
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.4.2)				
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस का नाम**	**महीना**	**शुल्क सीमा में अधिकता (₹ करोड़ में)**
1	अहमदाबाद	ए1	जुलाई 2016 और जनवरी 2019	1.29 से 2.19
2	हैदराबाद	ए2	जनवरी 2018 से जून 2018	0.61 से 5.14
3	कोलकाता (पत्तन)	ए3	फरवरी 2020	0.04
4	जेएनसीएच, ज़ोन II, मुम्बई	ए4	जुलाई-अगस्त 2015 और जनवरी 2016	अनुपलब्ध
5	जेएनसीएच, ज़ोन II, मुम्बई	ए5	जुलाई 2018 से मार्च 2020	20.61 से 44.07
6	एनसीएच, ज़ोन I, मुम्बई	ए6	सितंबर 2016 से मार्च 2020	0.42 से 68.89
7	एनसीएच, ज़ोन I, मुम्बई	ए7	मई और जून 2019	0.07
8	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ए8	नवंबर 2016 से जनवरी 2019	0.02 से 11.54

अनुलग्नक 3.7				
एमओटी प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाना/अतिरिक्त भुगतान किया जाना				
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.4.3)				
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस का नाम**	**अनियमितता**	**कर प्रभाव (₹ में)**
1	अहमदाबाद	बी1	वेयरहाउस द्वारा भुगतान नहीं किए गए एमओटी प्रभार।	पता नहीं लगाया जा सकता
2	जयपुर	बी2	लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा एमओटी प्रभारों से संबंधित अभिलेखों/रजिस्टरों/फाइलों का रखरखाव नहीं किया गया था।	पता नहीं लगाया जा सकता
3	जयपुर	बी3	लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा एमओटी प्रभारों से संबंधित अभिलेखों/रजिस्टरों/फाइलों का रखरखाव नहीं किया गया था।	पता नहीं लगाया जा सकता
4	चेन्नई VII	बी4	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	5,958
5	चेन्नई VII	बी5	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	19,578
6	चेन्नई VII	बी6	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	19,656
7	चेन्नई VII	बी7	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	22,596
8	चेन्नई VII	बी8	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	6,615
9	चेन्नई VII	बी9	नवंबर 2016 में एमओटी प्रभार का कम भुगतान। इसके अतिरिक्त, एमओटी का भुगतान 2016 से 2020 तक के सभी वर्षों के लिए एक ही दर पर किया गया था।	22,596

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता	कर प्रभाव (₹ में)
10	भुबनेश्वर	बी10	विभाग द्वारा अगस्त 2017 के बाद से लागत वसूली प्रभार / एमओटी प्रभार के लिए कोई मांग नहीं की गई थी।	पता नहीं लगाया जा सकता
11	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	बी11	अप्रैल 2015 से नवंबर 2019 तक एमओटी प्रभार की अतिरिक्त वसूली।	3,61,880
12	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	बी12	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2019 तक एमओटी प्रभार की कम वसूली।	25,380
13	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	बी13	मई 2018 से मार्च 2020 तक एमओटी प्रभार की अतिरिक्त वसूली।	16,200
14	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	बी14	एमओटी प्रभारों की अतिरिक्त वसूली।	30,240

अनुलग्नक 3.8			
अपर्याप्त/अपूर्ण ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र			
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.5.1)			
क्र. सं.	**सीमा शुल्क आयुक्तालय**	**वेयरहाउस का नाम**	**अनियमितता**
1	अहमदाबाद	सी1	लाइसेंसधारक ने अनुसूचित बैंक के स्थान पर एक सनदी लेखांकन फर्म द्वारा जारी किया गया ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
2	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	सी2	ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र की सत्यता को 2018 में लाइसेंस जारी करने के समय सत्यापित नहीं किया गया था और बाद में 2020 में इसे जाली / फैब्रिकेटेड पाया गया था।
3	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	सी3	ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र का सत्यापन दो साल से अधिक समय के बाद किया गया था और बैंक ने सूचित किया था कि वे इस तरह के पुराने ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र की वास्तविकता को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।
4	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	सी4	ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र का सत्यापन तीन साल से अधिक समय के बाद किया गया था और बैंक ने सूचित किया कि वे इस ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र की वास्तविकता को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।
5	हैदराबाद	सी5	₹ 12 करोड़ के बजाय ₹ 10 लाख का शोधक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।
6	भुवनेश्वर	सी6	अनुसूचित बैंक से ₹ 2.00 करोड़ का ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।
7	एसीसी, ज़ोन III, मुम्बई	सी7	लाइसेंसधारक द्वारा ₹ 25 करोड़ का ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र और ₹ 70 करोड़ का सीमा शुल्क बीमा प्रस्तुत किया गया था, तथापि, कुछ महीनों में बंधित वस्तुओं का शुल्क ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र की सीमा से अधिक हो गया था। (अक्टूबर और नवंबर 2017, फरवरी 2019 और मार्च 2020)।

अनुलग्नक 3.9

ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र का वार्षिक नवीकरण

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.5.2)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस की तिथि	क्या प्रतिवर्ष नवीकरण कराया गया है
1	अहमदाबाद	डी1	05.12.2019	नहीं
2	अहमदाबाद	डी2	10.06.2016	नहीं
3	अहमदाबाद	डी3	01.07.2016	नहीं
4	अहमदाबाद	डी4	22.01.2019	नहीं
5	अहमदाबाद	डी5	07.12.2018	नहीं
6	जयपुर	डी6	03.09.2017	नहीं
7	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी7	23.02.2017	नहीं
8	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी8	17.08.2016	नहीं
9	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी9	29.05.2018	नहीं
10	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी10	06.06.2017	नहीं
11	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी11	17.09.2019	नहीं
12	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी12	13.12.2018	नहीं
13	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी13	14.03.2019	नहीं
14	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी14	10.10.2016	नहीं
15	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी15	14.06.2019	नहीं
16	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी16	2017	नहीं
17	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी17	27.01.2016	नहीं
18	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी18	02.07.2018	नहीं
19	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी19	29.12.2016	नहीं
20	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी20	23.05.2018	नहीं
21	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी21	10.07.2017	नहीं
22	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी22	01.10.2016	नहीं
23	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी23	07.05.2018	नहीं
24	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी24	17.10.2016	नहीं
25	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी25	21.11.2016	नहीं
26	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी26	16.04.2018	नहीं
27	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी27	23.02.2017	नहीं
28	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी28	30.08.2016	नहीं
29	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी29	03.10.2016	नहीं
30	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी30	24.08.2016	नहीं
31	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी31	01.03.2018	नहीं
32	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी32	08.08.2016	नहीं
33	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी33	03.07.2017	नहीं

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस की तिथि	क्या प्रतिवर्ष नवीकरण कराया गया है
34	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी34	29.09.2016	नहीं
35	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी35	05.10.2016	नहीं
36	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी36	15.02.2017	नहीं
37	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी37	05.08.2016	नहीं
38	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी38	28.09.2016	नहीं
39	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी39	01.03.2018	नहीं
40	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी40	08.11.2016	नहीं
41	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी41	27.11.2018	नहीं
42	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी42	11.09.2015	नहीं
43	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	डी43	23.08.2016	नहीं
44	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	डी44	05.07.2016	नहीं
45	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली	डी45	22.11.2016	नहीं
46	हैदराबाद	डी46	17.10.2017	नहीं (अक्टूबर 2019 से मार्च 2020)
47	विजयवाड़ा (निवारक)	डी47		नहीं (नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019)
48	विजयवाड़ा (निवारक)	डी48		नहीं (जुलाई 2017 से मार्च 2020)
49	कोलकाता (पत्तन)	डी49	18.08.2016	नहीं (जनवरी 2018 से दिसंबर 2018)
50	कोलकाता (पत्तन)	डी50	11.02.2016	नहीं (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020)
51	कोलकाता (पत्तन)	डी51	20.06.2016	नहीं (अक्टूबर 2016 से जनवरी 2018)
52	कोलकाता (पत्तन)	डी52	20.06.2016	नहीं (मई 2017 से मार्च2019)

अनुलग्नक 3.10

जोखिम बीमा पॉलिसी

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.5.3)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
1	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई1	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
2	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई2	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
3	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई3	जोखिम बीमा पॉलिसी की राशि माल पर लगने वाले शुल्क की राशि से कम थी।
4	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई4	जोखिम बीमा पॉलिसी की राशि माल पर लगने वाले शुल्क की राशि से कम थी।
5	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई5	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना एवं जोखिम बीमा पॉलिसी की राशि माल पर लगने वाले शुल्क की राशि से कम थी।
6	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई6	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना एवं जोखिम बीमा पॉलिसी की राशि माल पर लगने वाले शुल्क की राशि से कम थी।
7	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई7	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
8	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई8	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
9	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई9	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
10	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई10	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
11	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई11	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
12	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई12	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
13	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई13	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
14	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई14	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
15	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई15	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
16	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई16	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
17	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई17	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
18	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई18	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
19	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई19	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
20	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई20	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
21	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई21	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
22	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई22	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
23	विमानपत्तन और सामान्य, नई दिल्ली	ई23	जोखिम बीमा पॉलिसी में अपर्याप्त कवरेज
24	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई24	29.08.2017 से 30.12.2017 तक और 29.12.2018 के बाद की अवधि के लिए कोई बीमा नहीं।
25	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई25	04.09.2017 से 08.05.2018 की अवधि के लिए कोई बीमा नहीं।
26	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई26	20.07.2017 से 23.07.2017 और 23.07.2019 से 01.08.2019 की अवधि के लिए कोई बीमा नहीं।
27	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई27	15.08.2019 से 23.08.2019 (7 दिन) की अवधि के लिए कोई बीमा नहीं।
28	आईसीडी पटपड़गंज एवं अन्य आईसीडी, दिल्ली	ई28	30.08.2017 से 26.04.2018 की अवधि के लिए कोई बीमा नहीं।
29	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई29	लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्रदान किया गया था लेकिन बीमा पॉलिसी दो साल 2016-17 से 2017-18 के लिए लाइसेंसधारक के नाम पर नहीं थी।
30	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	ई30	बीमा पॉलिसी में 2016-17 के लिए बिल्डिंग 1 और 3 को कवर किया गया था, लेकिन बाद की पॉलिसियों में बिल्डिंग संख्या 1 को कवर नहीं किया गया था, जिसका उपयोग माल के वेयरहाउसिंग के लिए भी किया गया था।

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
31	अहमदाबाद	ई31	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
32	अहमदाबाद	ई32	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
33	अहमदाबाद	ई33	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
34	अहमदाबाद	ई34	जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना
35	अहमदाबाद	ई35	14 जून 2018 के बाद अपर्याप्त बीमा कवर।
36	जयपुर	ई36	29-07-2017 से 31-03-2020 की अवधि के लिए जोखिम बीमा पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना।
37	जयपुर	ई37	15.07.2016 से 14.07.2017 की अवधि के लिए अपर्याप्त बीमा कवर और 15-07-2017 से 03-09-2017 की अवधि के लिए पॉलिसी का नवीकरण न किया जाना।
38	कोलकाता (पत्तन)	ई38	बढ़ी हुई शुल्क राशि के लिए जोखिम बीमा पॉलिसी प्रस्तुत न किया जाना।
39	कोलकाता (पत्तन)	ई39	विशेष आकस्मिकता पौलिसी के आधार पर प्रदान किया गया लाइसेंस।
40	कोलकाता (पत्तन)	ई40	इस प्रकार, वर्तमान मामले में विशेष बंधित वेयरहाउस लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकार की गई बीमा पॉलिसियां सभी जोखिम बीमा पॉलिसी के तत्व को बनाए रखने में विफल रही हैं।
41	कोलकाता (पत्तन)	ई41	इस प्रकार, वर्तमान मामले में विशेष बंधित वेयरहाउस लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकार की गई बीमा पॉलिसियां सभी जोखिम बीमा पॉलिसी के तत्व को बनाए रखने में विफल रही हैं।
42	एनसीएच, जोन I, मुम्बई	ई42	09.08.2016 से 08.08.2021 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
43	एनसीएच, जोन I, मुम्बई	ई43	10.08.2016 से 12.08.2021 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
			अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
44	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	ई44	16.08.2019 से 15.08.2020 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
45	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	ई45	12.08.2016 से 11.08.2017 और 09.10.2020 से 08.10.2021 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
46	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	ई46	17.11.2018 से 22.11.2018 और 22.11.2019 से 10.01.2020 की अवधि के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं है।
47	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	ई47	04.11.2017 से 03.11.2018 और 04.11.2018 से 03.11.2019 की अवधि के लिए ₹ 100 करोड़ की बजाय बीमा कवरेज की क्रमशः ₹ 80 करोड़ और ₹ 50 करोड़ था। इसके अलावा, चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में यह ₹ 50 करोड़ की बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* कवर करता है
48	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई48	सितंबर 17 से सितंबर 19 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में सेंधमारी, छुटपुट चोरी, रिसाव और संदूषण, वाणिज्यिक अपराध के कृत्यों के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
49	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई49	19 अगस्त से 20 अगस्त की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में सेंधमारी, छुटपुट चोरी, रिसाव और संदूषण, वाणिज्यिक अपराध के कृत्यों के

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
			कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
50	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई50	वित्त वर्ष जून 19 से मई 20 तक और जून 20 से मई 21 तक की अवधि के लिए ₹ 16.80 लाख की वाणिज्यिक अपराध देयता पॉलिसी से कंप्यूटर धोखाधड़ी/अपराध, जालसाजी, आतंकवाद को बाहर रखा गया है। जून 2016 से मई 20 की अवधि के लिए ₹ 16.80 लाख के लिए सेंधमारी (हाउस ब्रेकिंग) बीमा। लेकिन अस्पष्टीकृत हानि और इन्वेंट्री मिलान के समय पता चली हानि को छोड दिया गया था। संक्रामक रोग-कोविड-19 के कारण हुई कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हानि।
51	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई51	अगस्त 16 से अगस्त 17 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
52	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई52	अगस्त 17 से अगस्त 18 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
53	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई53	अगस्त 17 से अगस्त 18 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
54	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई54	अगस्त 17 से अगस्त 18 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
55	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई55	अगस्त 16 से जुलाई 17 की अवधि के लिए सीमा शुल्क पैकेज पॉलिसी में चोरी, छुटपुट चोरी और वाणिज्यिक अपराध के कारण होने वाली हानि के मामले में बीमित राशि का केवल 25 *प्रतिशत* शामिल था।
56	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई56	मार्च 2018, मार्च 2019, जून 2019 और मार्च 2020 के लिए भंडारित माल का शुल्क ₹ 30 करोड़ के बीमा कवरेज से अधिक था।
57	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई57	18 मामले ऐसे थे जहां भंडारित माल का शुल्क बीमा कवरेज से अधिक था।
58	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई58	6 मामले ऐसे थे जहां भंडारित माल का शुल्क बीमा कवरेज से अधिक था।
59	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई59	8 मामले ऐसे थे जहां भंडारित माल का शुल्क और मूल्य बीमा और सामान्य बांड कवरेज से अधिक था।
60	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई60	₹ 80 लाख के लिए लिया गया सामान्य बांड जनवरी 2019 में भंडारित माल को कवर करने के लिए ₹ 7,949/- तक कम था।
61	एसीसी, जोन III, मुम्बई	ई61	1. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59(2) के अंतर्गत विमान से गंदे लिनेन, कटलरी, क्रॉकरी और कमिसेरी वस्तुओं को नि:शुल्क हटाने और उसी विमान या किसी अन्य विमान में फिर से शिपिंग करने हेतु बांड को निष्पादित किया। यह बांड केवल 14.8.2016 से 13.8.2017 की अवधि के लिए वैध था। यह नवीनीकृत या नया बांड निष्पादित नहीं किया गया था, हालांकि कार्यकलाप उसके बाद जारी रखे जा रहे थे। 2. बंधित सामग्री का समुचित ट्रॉलियों में लदान और उतराई के प्रति सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59(2) के अंतर्गत बांड निष्पादित किया गया, इन सामग्रियों को डबल लॉक करके तथा सीमा शुल्क के पर्यवेक्षण में बंधित क्षेत्र से एयरक्राफ्ट तक लाना व ले जाना था। बांड 13.8.2016 से

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
			17.8.2017 की अवधि के लिए वैध था। बांड का नवीनीकरण या नया बांड निष्पादित नहीं किया गया था, हालांकि इस तरह की गतिविधि उसके बाद भी जारी रही।
62	चेन्नई III	ई62	कोई विवरण नहीं
63	चेन्नई III	ई63	2015-16, 2018-19 और 2019-2020 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
64	चेन्नई III	ई64	कोई विवरण नहीं
65	चेन्नई III	ई65	कोई विवरण नहीं
66	चेन्नई III	ई66	2017-18 और 2019-2020 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
67	चेन्नई III	ई67	कोई विवरण नहीं
68	चेन्नई III	ई68	कोई विवरण नहीं
69	चेन्नई III	ई69	कोई विवरण नहीं
70	चेन्नई III	ई70	2015-16, 2016-17 और 2018-19 के लिए कोई पॉलिसी नहीं है।
71	चेन्नई III	ई71	2015-16 और 2016-17 के लिए कोई पॉलिसी नहीं।
72	चेन्नई III	ई72	2015-16 और 2016-17 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
73	चेन्नई III	ई73	2017-18, 2018-19 2019-2020 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
74	चेन्नई III	ई74	2019-2020 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
75	चेन्नई III	ई75	2019-2020 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
76	चेन्नई III	ई76	2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई पॉलिसी नहीं
77	कोचीन	ई77	1.11.2017 से 31.10.2019 की अवधि के लिए वेयरहाउस के लिए कोई वैध लाइसेंस फ़ाइल में उपलब्ध नहीं था।
78	कोचीन	ई78	01.04.2017 से 31.05.2019 की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि फ़ाइल में उपलब्ध नहीं थी।
79	बीसीसी, बेंगलुरु	ई79	पॉलिसी में मूल्य में और भंडारित वस्तुओं के शुल्क में भिन्नता और बीमा के नवीनीकरण 25.01.2020 से आज तक नहीं किया गया है

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
80	बीसीसी, बेंगलुरु	ई80	पॉलिसी में मूल्य और भंडारित माल के शुल्क के मूल्य में भिन्नता। 2018-19 से आज तक बीमा का नवीनीकरण नहीं हुआ
81	बीसीसी, बेंगलुरु	ई81	पॉलिसी में मूल्य और भंडारित माल के शुल्क के मूल्य में भिन्नता
82	बीसीसी, बेंगलुरु	ई82	2018-19 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
83	बीसीसी, बेंगलुरु	ई83	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
84	बीसीसी, बेंगलुरु	ई84	2016-17 के लिए बीमा नहीं दिया गया
85	बीसीसी, बेंगलुरु	ई85	2016-17 और 2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
86	बीसीसी, बेंगलुरु	ई86	2017-18 से आज तक के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
87	बीसीसी, बेंगलुरु	ई87	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
88	बीसीसी, बेंगलुरु	ई88	2017-18 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
89	बीसीसी, बेंगलुरु	ई89	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
90	बीसीसी, बेंगलुरु	ई90	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
91	बीसीसी, बेंगलुरु	ई91	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
92	बीसीसी, बेंगलुरु	ई92	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
93	बीसीसी, बेंगलुरु	ई93	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
94	बीसीसी, बेंगलुरु	ई94	2019-20 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
95	बीसीसी, बेंगलुरु	ई95	2016-17 और 2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
96	बीसीसी, बेंगलुरु	ई96	2017-18 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
97	बीसीसी, बेंगलुरु	ई97	2017-18 और 2019-20 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
98	बीसीसी, बेंगलुरु	ई98	2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
99	बीसीसी, बेंगलुरु	ई99	22.09.2019 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
100	बीसीसी, बेंगलुरु	ई100	08.09.2018 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
101	बीसीसी, बेंगलुरु	ई101	12.6.2020 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
102	बीसीसी, बेंगलुरु	ई102	15.08.2020 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
103	बीसीसी, बेंगलुरु	ई103	01.01.2017 से 10.09.2018 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
104	बीसीसी, बेंगलुरु	ई104	15.07.2017 से 11.08.2019 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
105	बीसीसी, बेंगलुरु	ई105	27.07.2017 से 18.08.2018 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
106	बीसीसी, बेंगलुरु	ई106	17.06.2017 से 07.10.2017 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
107	बीसीसी, बेंगलुरु	ई107	04.10.2016 से 29.08.2019 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
108	बीसीसी, बेंगलुरु	ई108	17.06.2017 से 07.10.2017 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
109	बीसीसी, बेंगलुरु	ई109	अगस्त 2016 से अगस्त 2018 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
110	बीसीसी, बेंगलुरु	ई110	17 अप्रैल से 18 अगस्त तक बीमा प्रस्तुत नहीं दिया गया
111	बीसीसी, बेंगलुरु	ई111	20.10.2019 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
112	बीसीसी, बेंगलुरु	ई112	27.03.2019 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
113	बीसीसी, बेंगलुरु	ई113	03.08.2017 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
114	बीसीसी, बेंगलुरु	ई114	26.08.2016 से 25.08.2018 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
115	बीसीसी, बेंगलुरु	ई115	01.01.2016 से 31.12.2016 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
116	बीसीसी, बेंगलुरु	ई116	15.07.2016 से 14.07.2017 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
117	बीसीसी, बेंगलुरु	ई117	17.06.2016 से 16.06.2017 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	अनियमितता
118	बीसीसी, बेंगलुरु	ई118	30.06.2016 से 29.06.2017 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
119	बीसीसी, बेंगलुरु	ई119	03.08.2018 से 19.10.2018 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
120	बीसीसी, बेंगलुरु	ई120	27.03.2018 से 26.03.2019 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
121	बीसीसी, बेंगलुरु	ई121	01.10.2016 से 06.08.2017 तक कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
122	बीसीसी, बेंगलुरु	ई122	कोई संपूर्ण जोखिम बीमा नहीं
123	एनसीएच, मंगलुरु	ई123	19.12.2017 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
124	एनसीएच, मंगलुरु	ई124	13.12.2018 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
125	एनसीएच, मंगलुरु	ई125	11.02.2020 से आज तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है
126	एनसीएच, मंगलुरु	ई126	24.11.2018 से 07.01.2019 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
127	एनसीएच, मंगलुरु	ई127	10.8.2017 से 09.8.2019 तक बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया
128	एनसीएच, मंगलुरु	ई128	बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया 01.06.2020 से पहले तक का उपलब्ध नहीं था
129	एनसीएच, मंगलुरु	ई129	आंशिक अवधि के लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया

अनुलग्नक 3.11

समाप्त बांड के माल का निस्तारण न होना

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 3.5.5)

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	बांड/ बीई की संख्या	विस्तार	धारा 72 के अंतर्गत नोटिस (हाँ/नहीं)	विस्तार 31/03/2020 तक वैध	शामिल निर्धारित शुल्क (₹ लाख में)
1	बीसीसी, बेंगलुरु	एफ1	131	नहीं	नहीं	नहीं	356
2	चेन्नई III	एफ2	1	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	नहीं	7.03
3	चेन्नई III	एफ3	2	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	नहीं	170.25
4	चेन्नई VII	एफ4	2	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	नहीं	121.91
5	चेन्नई VII	एफ5	37	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	नहीं	98.3
6	कोचीन	एफ6	1	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	नहीं	0.33
7	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	एफ7	91	हाँ	हाँ	लागू नहीं है	616
8	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	एफ8	29	हाँ	हाँ	नहीं	417
9	आईसीडी पटपड़गंज और अन्य आईसीडी, दिल्ली	एफ9	47	हाँ	ज्ञात नहीं है	नहीं	22.91
10	एसीसी निर्यात, एनसीएच, दिल्ली	एफ10	1	हाँ	नहीं	नहीं	32
11	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ11	3	नहीं	नहीं	नहीं	122.31
12	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ12	1	नहीं	नहीं	नहीं	2.94
13	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ13	1	नहीं	नहीं	नहीं	176
14	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ14	3	नहीं	नहीं	नहीं	20.98
15	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ15	1	नहीं	नहीं	नहीं	29.95
16	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ16	10	नहीं	नहीं	नहीं	1195.77

क्र. सं.	सीमा शुल्क आयुक्तालय	वेयरहाउस का नाम	बांड/ बीई की संख्या	विस्तार	धारा 72 के अंतर्गत नोटिस (हाँ/नहीं)	विस्तार 31/03/2020 तक वैध	शामिल निर्धारित शुल्क (₹ लाख में)
17	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ17	1	नहीं	नहीं	नहीं	11.91
18	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ18	1	नहीं	हाँ (20.10.2016)	लागू नहीं है	53.85
19	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ19	1	नहीं	हाँ (25.09.2018)	लागू नहीं है	590.53
20	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ20	1	नहीं	हाँ (12.06.2018)	लागू नहीं है	7.02
21	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ21	3	नहीं	हाँ (24.10.2019)	लागू नहीं है	774.68
22	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ22	1	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	2.16
23	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ23	1	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	7.79
24	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ24	2	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	7.25
25	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ25	1	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	0.58
26	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ26	2	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	5.09
27	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ27	1	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	0.68
28	कोलकाता (बंदरगाह)	एफ28	1	नहीं	हाँ (31.03.2020)	लागू नहीं है	14.54
29	लुधियाना	एफ29	10	नहीं	नहीं	नहीं	98.67
30	लुधियाना	एफ30	1	नहीं	नहीं	नहीं	11.53
31	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	एफ31	10	नहीं	नहीं	नहीं	63.65
32	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	एफ32	3	नहीं	नहीं	नहीं	24.52
33	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	एफ33	2	नहीं	नहीं	नहीं	21.87
34	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	एफ34	7	नहीं	नहीं	नहीं	51.5
35	जेएनसीएच, जोन II, मुम्बई	एफ35	115	नहीं	नहीं	नहीं	2,437.8
		कुल	**525**				**7,575.3**

अनुलग्नक 4.1

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.7)

एनएसडीएल डेटा/लेखा डेटा की तुलना में एपीआर डेटा के अनुसार निर्यात के मूल्य में अंतर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का नाम	निर्यात का मूल्य		अंतर
			एपीआर के अनुसार	सेज़ ऑनलाइन डेटा/लेखा के अनुसार	
1	महाराष्ट्र	ए1	10,263.48	4,51,188.23	-4,40,924.75
2		ए2	19,637.89	11,072.26	8,565.63
3		ए3	11,380.39	6,2974.05	-51,593.24
4		ए4	1,240.08	165.02	1,075.06
5		ए5	9,72,229.43	9,990.02	9,62,239.58
6		ए6	43,514.11	41,805.45	1,708.66
7		ए7	18,623.4	18,273.44	350.59
8		ए8	3,531.97	2,2861.24	-20,943.06
9		ए9	3,15,273.92	1,05,158.76	2,10,115.16
10		ए10	5,731.32	5,825.35	-94.03
11		ए11	10,666.85	21,4862.37	-2,04,195.52
12	कर्नाटक	ए12	8,608.07	8,551.61	57.06
13		ए13	1,791.5	1,850.01	-58.51
14		ए14	531.05	564.75	-33.7
15		ए15	1,771.02	932.37	838.65

अनुलग्नक 4.2

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.7)

ईडीआई डेटा/लेखा डेटा की तुलना में एपीआर डेटा के अनुसार आयात के मूल्य में अंतर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का नाम	आयात का मूल्य		अंतर
			एपीआर के अनुसार	सेज़ के अनुसार ऑनलाइन डेटा/लेखा	
1	महाराष्ट्र	बी1	0	10,47,271.23	-10,47,271.23
2		बी2	19,473.79	19,000.91	-1,351.8
3		बी3	0	7,72,035.12	-7,72,035.12
4		बी4	1,269.96	1,754.36	-904.69
5		बी5	92,6518.3	9,19,395.74	-3,995.43
6		बी6	28,008.38	34,073.99	-6,065.61
7		बी7	13,754.14	65,921.87	-56,658.48
8		बी8	0	1,25,742	-1,25,742
9		बी9	2,93,768.9	2,93,559.98	-6,091.65
10		बी10	5,744.5	2,542.49	2,590.39
11		बी11	0	10,04,561.64	-10,04,561.64
12	कर्नाटक	बी12	7,612.09	8,140.46	-528.37
13		बी13	27.45	34.89	-7.44
14		बी14	447.64	406.02	41.62
15		बी15	458.82	451.67	7.15
16		बी16	1,278.79	1,237.8	40.55

अनुलग्नक 4.3

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.7)

ईडीआई डेटा/लेखा डेटा की तुलना में एपीआर डेटा के अनुसार डीटीए बिक्री के मूल्य में अंतर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का नाम	डीटीए बिक्री का मूल्य		अंतर
			एपीआर के अनुसार	सेज़ के ऑन-लाइन आंकड़ों के अनुसार	
1	महाराष्ट्र	सी1	0	5,99,819.23	-5,99,819.23
2		सी2	0	9,057.58	-9,057.58
3		सी3	2,622.31	10,95,902.76	-10,93,280.45
4		सी4	1,235.18	2,475.82	-1,240.64
5		सी5	0	12,58,032.36	-12,58,032.36
6		सी6	360.79	482.78	-121.99
7		सी7	195.18	40,734.51	-31,744.7
8		सी8	33.84	1,46,651	-1,46,617.16
9		सी9	0	2,19,251.42	-2,19,251.42
10		सी10	52.26	57.07	-4.81
11		सी11	0	9,64,713.91	-9,64,713.91

अनुलग्नक 4.4

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.10.1)

अनुमानों की तुलना में निर्यात में कमी (₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूज़ेड का नाम	इकाई का नाम	वर्ष/ब्लॉक	अनुमानित निर्यात	वास्तविक निर्यात	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	गुजरात	ए एफटीडब्ल्यूज़ेड	डी1	2018-19	167.82	21.49	146.33	87
2	कर्नाटक	बी सेज़	डी2	उपलब्ध नहीं है	2048	909.82	1138.18	56
3			डी3	उपलब्ध नहीं है	720	531.08	188.92	26
4			डी4	2016-17	2426	813.55	1612.45	66
				2017-18	3100	1390.65	1709.35	55
5			डी5	2016-17	700	648.23	51.77	7
				2017-18	800	498.83	301.17	38
				2018-19	900	377.5	522.5	58
				2019-20	365	149.62	215.38	59
6	तमिलनाडु	सी एफटीडब्ल्यूज़ेड	डी6	2016-17	2600	1093.97	1506.03	58
7			डी7	2018-19	1630	0	1630	100
8	तेलंगाना	डी एफटीडब्ल्यूज़ेड	डी8	2015-20	3670	293.16	3376.84	92
9			डी9	2015-20	2636	745.48	1890.52	72
10	आंध्र प्रदेश	ई सेज़ (बहु उत्पाद)	डी10	2015-16	201.5	46.89	154.61	77
11			डी11	2018-20	6872	6615.17	256.83	4
12	महाराष्ट्र	एफ (एफटीडब्ल्यूज़ेड) पनवेल	डी12	2018-19	829	391.56	437.44	53
				2019-20	5082	4956.13	125.87	2
13			डी13	2019-20	5802.14	168.44	5633.7	97
14			डी14	2016-17	24718.86	289.7	24429.16	99
				2017-18	29254.89	100.98	29153.91	100
				2018-19	34755.46	140.23	34615.23	100
				2019-20	800	0	800	100
15			डी15	2018-19	1100	0	1100	100
				2019-20	3000	1.34	2998.66	100
16			डी16	2015-16	4000	7	3993	100
				2016-17	4000	2190.77	1809.23	45
				2017-18	8820	4074.68	4745.32	54
				2018-19	9261	4393.06	4867.94	53
				2019-20	61240.64	32667.7	28572.94	47
17			डी17	2015-16	67364.71	49811.4	17553.31	26
				2016-17	2511.66	1121.84	1389.82	55
18			डी18	2015-16	3522.72	1182.96	2339.76	66
				2016-17	4040.96	2483.57	1557.39	39

अनुलग्नक 4.4								
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.10.1)								
अनुमानों की तुलना में निर्यात में कमी (₹ लाख में)								
क्र. सं.	**राज्य**	**एफटीडब्ल्यूजेड का नाम**	**इकाई का नाम**	**वर्ष/ब्लॉक**	**अनुमानित निर्यात**	**वास्तविक निर्यात**	**कमी**	**कमी की प्रतिशतता**
				2017-18	4389.46	3371.23	1018.23	23
				2018-19	48300	7992.63	40307.37	83
19			डी19	2016-17	369.05	205.51	163.54	44
20			डी20	2015-16	488.07	370.72	117.35	24
				2017-18	1088	1051.57	36.43	3
21			डी21	2017-18	1337.05	1325.35	11.7	1
				2019-20	73	0	73	100
22	यू.पी	जी एफटीडब्ल्यूजेड	डी22	2018-19	399.89	170.58	229.31	57
				2019-20	459.87	74.31	385.56	84
23			डी23	2015-16	13.71	4.33	9.38	68
				2016-17	26.8	15.05	11.75	44
				2017-18	37.41	3.27	34.14	91
24			डी24	2015-16	948.72	62.95	885.77	93
				2016-17	1091.03	99.44	991.59	91
25			डी25	2018-19	3105	173.79	2931.21	94
				2019-20	3960	167.99	3792.01	96
26			डी26	2017-18	1020	87.71	932.29	91
				2018-19	1122	406.17	715.83	64
				2019-20	1234.02	113.11	1120.91	91
27			डी27	2018-19	1020	0	1020	100
				2019-20	1122	234.29	887.71	79
28			डी28	2015-16	156	95.56	60.44	39
				2016-17	202.8	113.32	89.48	44
29			डी29	2015-16	2921.34	204.57	2716.77	93

अनुलग्नक 4.5							
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.10.2)							
अनुमानों की तुलना में निवेश में कमी							
(₹ लाख में)							
क्र. सं.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	इकाई का नाम	निवेश का मूल्य		कमी	कमी की प्रतिशतता
				अनुमान	वास्तविक		
1	महाराष्ट्र	ए पनवेल	ई1	563.34	123.07	440.27	78.15
2			ई2	541.32	0	541.32	100
3	तमिलनाडु	बी एफटीडब्ल्यूजेड	ई3	57.51	4.97	52.54	91.36
4			ई4	42	30.14	11.86	28.24
5	तेलंगाना	सी एफटीडब्ल्यूजेड	ई5	425.2	308.82	116.38	27.37
6	आंध्र प्रदेश	डी सेज़ (बहु उत्पाद) चित्तूर	ई6	125	103.58	21.42	17.14

अनुलग्नक 4.6								
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.10.3)								
अनुमान की तुलना में रोजगार सृजन में कमी								
क्र. सं.	**राज्य**	**एफटीडब्ल्यूजेड का नाम**	**इकाई का नाम**	**वि.व.**	**अनुमानित रोजगार**	**वास्तविक रोजगार**	**कमी**	**कमी की प्रतिशतता**
1	गुजरात	ए एफटीडब्ल्यूजेड	एफ1		8	5	3	38
2	तमिलनाडु	बी एफटीडब्ल्यूजेड	एफ2		40	4	36	90
3			एफ3		15	4	11	73
4	महाराष्ट्र	सी पनवेल	एफ4	2015-16	120	52	68	57
				2016-17	120	41	79	66
				2017-18	120	41	79	66
				2018-19	120	0	120	100
				2019-20	120	0	120	100
5			एफ5	2015-16	2	0	2	100
				2016-17	2	0	2	100
6			एफ6	2015-16	93	71	22	24
				2016-17	93	28	65	70
				2017-18	93	84	9	10
				2018-19	93	23	70	75
				2019-20	93	26	67	72
7			एफ7	2015-16	2	0	2	100
				2016-17	2	0	2	100
				2017-18	2	0	2	100
				2018-19	2		2	
8			एफ8	2016-17	55	3	52	95
				2017-18	55	15	40	73
				2018-19	55	16	39	71
				2019-20	55	16	39	71
9			एफ9	2015-16	4	2	2	50
				2016-17	4	0	4	100
				2017-18	4	2	2	50
10			एफ10	2017-18	2	0	2	100
				2018-19	2	0	2	100
11			एफ11	2015-16	7	3	4	57
				2016-17	7	4	3	43
				2017-18	7	6	1	14
				2018-19	7	5	2	29
				2019-20	7	6	1	14
12			एफ12	2019-20	2	0	2	100
13	तेलंगाना	डी सेज़	एफ13	2015-16	17	11	6	35
				2016-17	17	8	9	53

				2017-18	17	4	13	76
				2018-19	17	3	14	82
				2019-20	17	3	14	82
14	आंध्र प्रदेश	ई एसईजैड बहु उत्पाद चित्तूर	एफ14	2018-19	10	6	4	40
				2019-20	14	6	8	57
15			एफ15	2017-18	65	50	15	23
16			एफ16	2015-16	20	1	19	95
17	उत्तर प्रदेश	एफ एफटीडब्ल्यूजेड	एफ17	2015-16	12	5	7	58
				2016-17	12	5	7	58
				2017-18	12	5	7	58
				2018-19	12	5	7	58
				2019-20	12	6	6	50
18			एफ18	2015-16	2	1	1	50
				2016-17	2	1	1	50
				2017-18	2	1	1	50
19			एफ19	2018-19	25	3	22	88
				2019-20	25	3	22	88
20			एफ20	2018-19	10	3	7	70
				2019-20	10	4	6	60
21			एफ21	2015-16	2	0	2	100
				2016-17	2	0	2	100
22			एफ22	2015-16	130	8	122	94

अनुलग्नक 4.7

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.10.4)

अनुमानों की तुलना में एनएफई में कमी

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	एफटीडब्ल्यूजेड में इकाई का नाम	वर्ष	एनएफई		कमी यदि कोई हो	कमी का प्रतिशतता
					अनुमानित	वास्तविक		
1	महाराष्ट्र	ए एफटीडब्ल्यूजेड	जी1	2018-19	1100	0	1100	100.00
				2019-20	1300	0	1300	100.00
2			जी2	2015-16	252.12	-332.9	585.02	232.04
				2016-17	327.74	-423.98	751.72	229.36
3			जी3	2015-16	2432.94	710.8	1722.14	70.78
				2016-17	3494.84	1182.96	2311.88	66.15
				2017-18	4040.69	2484	1556.69	38.53
				2018-19	4389.46	3847.93	541.53	12.34
4			जी4	2015-16	151.68	72.37	79.31	52.29
				2017-18	250	111.26	138.74	55.50
5			जी5	2016-17	7245	-3182.68	10427.68	143.93
				2017-18	25200	-19711.45	44911.45	178.22
6			जी6	2015-16	207.00	1.34	205.66	99.35
				2016-17	252.00	7	245	97.22
				2018-19	8,820.00	4,074.68	4745.32	53.80
				2019-20	9,261.00	4,393.06	4867.94	52.56
7			जी7	2016-17	-1277.61	142.03	-1419.64	111.12
				2017-18	5297.75	263.16	5034.59	95.03
				2018-19	8528	71.98	8456.02	99.16
				2019-20	1565.81	128.46	1437.35	91.80
8			जी8	2015-16	8,537.17	8,456.73	80.44	0.94
				2016-17	9,390.89	2,229.04	7161.85	76.26
				2019-20	2762.7	2580.86	181.84	6.58
9			जी9	2019-20	200.56	86.54	114.02	56.85
10	कर्नाटक	बी सेज बेलगाम	जी10	2015-20	528.08	462.2	65.88	12.48
11			जी11	2015-20	93.92	89.33	4.59	4.89
12			जी12	2015-20	487	315.99	171.01	35.11
13	तेलंगाना	सी सेज लिमिटेड, हैदराबाद	जी13	2015-16	332	244.35	87.65	26.40
				2016-17	350	333.28	16.72	4.78
				2017-18	372	57.27	314.73	84.60
				2018-19	375	30.58	344.42	91.85
				2019-20	382	46.048	335.952	87.95
14			जी14	2015-16	198	88.65	109.35	55.23
				2016-17	238	30.36	207.64	87.24
				2017-18	286	85.91	200.09	69.96
				2018-19	337	19.07	317.93	94.34

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	एफटीडब्ल्यूजेड में इकाई का नाम	वर्ष	एनएफई		कमी यदि कोई हो	कमी का प्रतिशतता
					अनुमानित	वास्तविक		
				2019-20	397	69.17	327.83	82.58
15	तमिलनाडु	डी एफटीडब्ल्यूजेड	जी15	2016-17	375.9	276.01	99.89	26.57
16			जी16	2018-19	1579	0	1579	100.00
17	आंध्र प्रदेश	इ सेज (बहु उत्पाद), चित्तूर	जी17	NA	1556	1379.33	176.67	11.35
18			जी18	2015-16	141	41.79	99.21	70.36
19	उत्तर प्रदेश	एफ एफटीडब्ल्यूजेड	जी19	2019-20	78.01	53.69	24.32	31.18
20			जी20	2015-16	17.53	0.34	17.19	98.06
				2016-17	22.07	2.24	19.83	89.85
21			जी21	2015-16	751.47	46.92	704.55	93.76
				2016-17	864.2	64.68	799.52	92.52
22			जी22	2018-19	175	0	175	100.00
23			जी23	2015-16	44.16	14.62	29.54	66.89
				2016-17	54.71	11.62	43.09	78.76
24			जी24	2015-16	446.34	204.57	241.77	54.17

अनुलग्नक 4.8						
(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.12.2)						
एपीआर जमा करने में विलंब						
क्रम स.	**राज्य**	**सेज इकाई का नाम**	**रिटर्न की अवधि**	**नियत तिथि**	**जमा करने की तिथि**	**विलंब से जमा दिनों में**
1	कर्नाटक	एच 1	2015-16	30- सितम्बर -16	29-जून -17	270
			2018-19	30-सितम्बर-19	09-अक्टूबर -20	365
2		एच 2	2015-16	30-सितम्बर-16	15-अप्रैल -19	930
			2016-17	30-सितम्बर-17	15-अप्रैल -19	570
			2017-18	30-सितम्बर-18	03-जुलाई -20	660
3		एच 3	2015-16	30-सितम्बर-16	05-अक्टूबर -18	720
			2016-17	30-सितम्बर-17	05-अक्टूबर -18	365
			2017-18	30-सितम्बर-18	05-अक्टूबर -18	5
			2018-19	30-सितम्बर-19	23-सितम्बर-20	365
4	तेलंगाना	एच 4	2015-16	29-जून -16	18-जून -20	1,450
			2016-17	27-सितम्बर-17	18-जून -20	995
			2017-18	27-सितम्बर-18	18-जून -20	630
			2018-19	27-सितम्बर-19	18-जून -20	265
5	आंध्र प्रदेश	एच 5	2017-18	27-सितम्बर-18	13-मार्च -19	167
			2018-19	27-सितम्बर-19	13-नवंबर -19	47
6		एच 6	2017-18	27-सितम्बर-18	19-फरवरी-19	145
			2018-19	27-सितम्बर-19	04-अक्टूबर -19	7
7		एच 7	2016-17	27-सितम्बर-17	09-जनवरी -18	104
			2018-19	27-सितम्बर-19	04-सितम्बर-20	343

अनुलग्नक 4.9

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.14)

यूनिटों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटान में विलंब

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	आवेदक का नाम	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	यूएसी की बैठक की तिथि	आवेदन के निपटारे की तिथि	लिया गया कुल समय
1	तमिलनाडु	ए **एफटीडब्ल्यूजेड**	जे 1	27-मार्च -15	24-अप्रैल -15	05-मई -15	39
2			जे 2	13-मई -15	29-मई -15	06-मार्च -15	20
3			जे 3	21-अगस्त-16	24-अगस्त-16	09-जून -16	16
4			जे 4	08-जून -16	24-अगस्त-16	09-जुलाई -16	22
5			जे 5	13-अप्रैल -18	27-अप्रैल -18	05-सितम्बर-18	26
6			जे 6	08-जुलाई -18	24-अगस्त-18	09-जून -18	30
7			जे 7	15-नवंबर -18	28-नवंबर -18	13-दिसंबर -18	28
8			जे 8	28-जनवरी -19	27-फरवरी-19	18-मार्च -19	21
9			जे 9	03-नवंबर -19	29-मार्च -19	04-मई -19	25
10			जे 10	05-अक्टूबर -19	27-मई -19	06-अप्रैल -19	25
11			जे 11	01-जुलाई -20	24-जनवरी -20	02-मई -20	29
12			जे 12	01-अप्रैल -20	24-जनवरी -20	02-मई -20	32
13			जे 13	01-फरवरी-20	24-जनवरी -20	02-मई -20	34
14	महाराष्ट्र	बी **एफटीडब्ल्यूजेड**	जे 14	23-अक्टूबर -17	17-जनवरी -18	14-फरवरी-18	115
15			जे 15	26-सितम्बर-17	05-दिसंबर -17	20-दिसंबर -17	86
16			जे 16	09-अक्टूबर -17	05-दिसंबर -17	20-दिसंबर -17	73
17			जे 17	27-फरवरी-18	27-मार्च -18	10-मई -18	73
18			जे 18	26-अगस्त-19	16-सितम्बर-19	09-अक्टूबर -19	70
19			जे 19	11-जून -18	28-जून -18	16-अगस्त-18	67

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	आवेदक का नाम	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	यूएसी की बैठक की तिथि	आवेदन के निपटारे की तिथि	लिया गया कुल समय
20			जे 20	17-अप्रैल -15	05-जून -15	16-जून -15	61
21			जे 21	25-मई -18	28-जून -18	24-जुलाई -18	61
22			जे 22	26-अक्टूबर -15	26-नवंबर -15	23-दिसंबर -15	59
23			जे 23	12-सितम्बर-17		09-नवंबर -17	59
24			जे 24	16-नवंबर -18	27-दिसंबर -18	08-जनवरी -19	54
25			जे 25	14-फरवरी-17	17-मार्च -17	06-अप्रैल -17	52
26			जे 26	17-फरवरी-17	17-मार्च -17	06-अप्रैल -17	49
27			जे 27	25-सितम्बर-17	डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया		46
28			जे 28	20-दिसंबर -16	13-जनवरी -17	02-फरवरी-17	45
29			जे 29	21-मार्च -17	24-अप्रैल -17	03-मई -17	44
30			जे 30	30-जुलाई -18	23-अगस्त-18	11-सितम्बर-18	44
31			जे 31	09-मार्च -16	–	20-अप्रैल -16	43
32			जे 32	07-सितम्बर-16	23-सितम्बर-16	19-अक्टूबर -16	43
33			जे 33	14-दिसंबर -16	13-जनवरी -17	24-जनवरी -17	42
34			जे 34	30-जनवरी -18	22-फरवरी-18	12-मार्च -18	42
35			जे 35	22-अप्रैल -16	20-मई -16	01-जून -16	41
36			जे 36	09-सितम्बर-16	23-सितम्बर-16	19-अक्टूबर -16	41
37			जे 37	12-अप्रैल -18	02-मई -18	21-मई -18	40
38			जे 38	20-दिसंबर -16	13-जनवरी -17	25-जनवरी -17	37
39			जे 39	23-नवंबर -16	05-दिसंबर -16	27-दिसंबर -16	35
40			जे 40	05-मार्च -16	18-मार्च -16	07-अप्रैल -16	34

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	आवेदक का नाम	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	यूएसी की बैठक की तिथि	आवेदन के निपटारे की तिथि	लिया गया कुल समय
41			जे 41	12-मई -17	30-मई -17	14-जून -17	34
42			जे 42	18-अप्रैल -18	02-मई -18	21-मई -18	34
43			जे 43	23-अक्टूबर -17	-	24-नवंबर -17	33
44			जे 44	31-जनवरी -20	27-फरवरी-20	03-मार्च -20	33
45			जे 45	02-जून -16	17-जून -16	01-जुलाई -16	30
46			जे 46	02-जून -16	17-जून -16	01-जुलाई -16	30
47			जे 47	04-जनवरी -17	13-जनवरी -17	01-फरवरी-17	29
48			जे 48	04-जनवरी -17	13-जनवरी -17	01-फरवरी-17	29
49			जे 49	12-सितम्बर-17	-	10-अक्टूबर -17	29
50			जे 50	22-मार्च -18		19-अप्रैल -18	29
51			जे 51	18-नवंबर -19	-	16-दिसंबर -19	29
52			जे 52	16-जून -18	-	13-जुलाई -18	28
53			जे 53	17-जुलाई -18	27-जुलाई -18	13-अगस्त-18	28
54			जे 54	02-जुलाई -16	15-जुलाई -16	28-जुलाई -16	27
55			जे 55	25-अक्टूबर -16	07-नवंबर -16	21-नवंबर -16	27
56			जे 56	12-जुलाई -18		07-अगस्त-18	27
57			जे 57	17-सितम्बर-18	27-सितम्बर-18	12-सितम्बर-18	26
58			जे 58	21-सितम्बर-15	-	14-सितम्बर-15	25
59			जे 59	05-अक्टूबर -19	-	29-अक्टूबर -19	25
60			जे 60	08-जून -16	17-जून -16	01-जुलाई -16	24
61			जे 61	05-जुलाई -16	15-जुलाई -16	28-जुलाई -16	24

क्रम स.	राज्य	एफटीडब्ल्यूजेड का नाम	आवेदक का नाम	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	यूएसी की बैठक की तिथि	आवेदन के निपटारे की तिथि	लिया गया कुल समय
62			जे 62	25-अक्टूबर -16	07-नवंबर -16	18-नवंबर -16	24
63			जे 63	21-नवंबर -18	30-नवंबर -18	12-दिसंबर -18	22
64			जे 64	08-जुलाई -19	-	29-जुलाई -19	21
65			जे 65	21-जनवरी -19	-	06-फरवरी-19	17

अनुलग्नक 4.10

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.15)

आकलन में देरी और ऑउट ऑफ चार्ज बिल ऑफ एंट्री

आरोप मुक्त लेन-देन का रिपोर्ट (जमा किया किंतु आकलित नहीं किया)

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
1	171600206396	के 1	3077	29-जनवरी -16	1,770
2	171601331204	के 2	2806	7-जून -16	1,640
3	171602402915	के 3	4406	12-अक्टूबर -16	1,513
4	171602668996	के 4	5337	7-नवंबर -16	1,487
5	171602669560	के 5	5337	7-नवंबर -16	1,487
6	171602802626	के 6	2735	21-नवंबर -16	1,473
7	171602868673	के 7	1807	30-नवंबर -16	1,417
8	171700184320	के 8	4406	23-जनवरी -17	1,408
9	171700448533	के 9	1807	23-फरवरी-17	1,379
10	171701347532	के 10	2806	3-जून -17	1,279
11	171702067386	के 11	1807	14-अगस्त-17	1,207
12	171702068311	के 12	1807	14-अगस्त-17	1,207
13	171702469842	के 13	5337	23-सितम्बर-17	1,167
14	171702694144	के 14	2783	23-अक्टूबर -17	1,137
15	171702789672	के 15	5827	30-अक्टूबर -17	1,130
16	171703016063	के 16	5827	21-नवंबर -17	1,108
17	171703051925	के 17	5827	24-नवंबर -17	1,105
18	171703318964	के 18	2806	22-दिसंबर -17	1,077
19	171800342033	के 19	3209	12-फरवरी-18	1,025
20	171801162551	के 20	4406	7-मई -18	941
21	171803457545	के 21	3209	27-दिसंबर -18	707
22	171803458772	के 22	3209	27-दिसंबर -18	707

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
23	171900238403	के 23	4406	29-जनवरी -19	674
24	171900680070	के 24	6355	16-मार्च -19	628
25	171900716083	के 25	4406	19-मार्च -19	625
26	171502966375	के 26	4406	11-जनवरी -16	1,788
27	171600008333	के 27	4406	12-जनवरी -16	1,787
28	171600106790	के 28	4406	27-जनवरी -16	1,772
29	171600144111	के 29	2151	20-जनवरी -16	1,772
30	171600144914	के 30	2151	20-जनवरी -16	1,772
31	171600157072	के 31	4406	27-जनवरी -16	1,772
32	171600200321	के 32	4406	2-फरवरी-16	1,766
33	171600261696	के 33	3077	4-फरवरी-16	1,764
34	171600276503	के 34	3075	5-फरवरी-16	1,763
35	171600456230	के 35	1807	29-फरवरी-16	1,665
36	171600526020	के 36	4406	8-मार्च -16	1,731
37	171600565426	के 37	4406	14-मार्च -16	1,724
38	171600646814	के 38	2806	21-मार्च -16	1,718
39	171600690332	के 39	4406	28-मार्च -16	1,711
40	171600746575	के 40	4406	4-अप्रैल -16	1,704
41	171600746656	के 41	4406	1-अप्रैल -16	1,707
42	171600758066	के 42	2151	5-अप्रैल -16	1,596
43	171600771451	के 43	2151	5-अप्रैल -16	1,596
44	171600802144	के 44	2806	18-अप्रैल -16	1,690
45	171600813506	के 45	4406	11-अप्रैल -16	1,697
46	171600834565	के 46	4406	12-अप्रैल -16	1,693
47	171600857400	के 47	4406	18-अप्रैल -16	1,690
48	171600870954	के 48	3077	18-अप्रैल -16	1,690
49	171600878875	के 49	4406	18-अप्रैल -16	1,686
50	171600919641	के 50	3077	22-अप्रैल -16	1,686
51	171601020205	के 51	4406	4-मई -16	1,674
52	171601037053	के 52	3077	5-मई -16	1,673
53	171601057655	के 53	1807	6-मई -16	1,672
54	171601060481	के 54	1807	9-मई -16	1,669

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
55	171601083651	के 55	1807	10-मई -16	1,668
56	171601087954	के 56	1807	11-मई -16	1,667
57	171601102083	के 57	4406	17-मई -16	1,660
58	171601208936	के 58	5337	26-मई -16	1,651
59	171601231804	के 59	4406	27-मई -16	1,648
60	171601243144	के 60	1807	27-मई -16	1,651
61	171601274003	के 61	4406	2-जून -16	1,644
62	171601284750	के 62	4406	6-जून -16	1,641
63	171601297276	के 63	4406	30-जून -16	1,616
64	171601306461	के 64	4406	6-जून -16	1,639
65	171601340116	के 65	4406	11-जून -16	1,634
66	171601356931	के 66	4406	11-जून -16	1,630
67	171601369100	के 67	4406	11-जून -16	1,634
68	171601412511	के 68	2693	16-जून -16	1,626
69	171601446391	के 69	4406	21-जून -16	1,625
70	171601477482	के 70	2806	25-जुलाई -16	1,592
71	171601478495	के 71	2806	25-जुलाई -16	1,592
72	171601478812	के 72	2806	25-जुलाई -16	1,592
73	171601492860	के 73	4406	25-जून -16	1,,622
74	171601596773	के 74	4102	8-जुलाई -16	1,606
75	171601597230	के 75	2806	8-जुलाई -16	1,609
76	171601652316	के 76	2735	14-जुलाई -16	1,603
77	171601979986	के 77	4406	22-अगस्त-16	1,564
78	171601998842	के 78	4406	23-अगस्त-16	1,563
79	171602027446	के 79	3027	25-अगस्त-16	1,560
80	171602029244	के 80	3027	25-अगस्त-16	1,560
81	171602084824	के 81	4406	2-सितम्बर-16	1,553
82	171602111925	के 82	4406	20-सितम्बर-16	1,535
83	171602113863	के 83	4406	7-सितम्बर-16	1,548

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
84	171602139332	के 84	4406	8-सितम्बर-16	1,540
85	171602289305	के 85	2735	24-सितम्बर-16	1,531
86	171602365896	के 86	4406	6-अक्टूबर -16	1,512
87	171602409462	के 87	1807	15-नवंबर -16	1,479
88	171602411746	के 88	1807	21-अक्टूबर -16	1,503
89	171602455415	के 89	4406	14-अक्टूबर -16	1,511
90	171602477863	के 90	4406	17-अक्टूबर -16	1,508
91	171602487560	के 91	5337	20-अक्टूबर -16	1,504
92	171602511334	के 92	5337	25-अक्टूबर -16	1,499
93	171602686603	के 93	4406	17-नवंबर -16	1,477
94	171602733245	के 94	5337	15-नवंबर -16	1,478
95	171602790096	के 95	4406	25-नवंबर -16	1,469
96	171602816910	के 96	2735	22-नवंबर -16	1,471
97	171602852411	के 97	4406	26-नवंबर -16	1,468
98	171602889614	के 98	4406	30-नवंबर -16	1,464
99	171603052073	के 99	2806	31-दिसंबर -16	1,428
100	171700034774	के 100	5337	10-जनवरी -17	1,423
101	171700038090	के 101	5337	10-जनवरी -17	1,423
102	171700038613	के 102	5337	10-जनवरी -17	1,423
103	171700039324	के 103	5337	10-जनवरी -17	1,423
104	171700039663	के 104	5337	10-जनवरी -17	1,423
105	171700039873	के 105	5337	10-जनवरी -17	1,423

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
106	171700050690	के 106	5337	10-जनवरी -17	1,423
107	171700050992	के 107	5337	10-जनवरी -17	1,423
108	171700051515	के 108	5337	10-जनवरी -17	1,423
109	171700051913	के 109	5337	10-जनवरी -17	1,423
110	171700052344	के 110	5337	10-जनवरी -17	1,423
111	171700110186	के 111	2763	27-जनवरी -17	1,406
112	171700259636	के 112	5337	2-फरवरी-17	1,399
113	171700298534	के 113	4406	6-फरवरी-17	1,394
114	171700325602	के 114	4406	9-फरवरी-17	1,393
115	171700326943	के 115	4406	8-फरवरी-17	1,394
116	171700473125	के 116	4406	25-फरवरी-17	1,377
117	171700474341	के 117	4406	24-फरवरी-17	1,378
118	171700487722	के 118	4406	27-फरवरी-17	1,375
119	171700489166	के 119	4406	28-फरवरी-17	1,374
120	171700562191	के 120	4406	7-मार्च -17	1,367
121	171700569670	के 121	4406	21-मार्च -17	1,352
122	171700595301	के 122	4406	10-मार्च -17	1,364
123	171700597541	के 123	4406	10-मार्च -17	1,364
124	171700610406	के 124	4406	14-मार्च -17	1,357
125	171700655350	के 125	5337	17-मार्च -17	1,357
126	171700676991	के 126	4406	18-मार्च -17	1,356
127	171700703064	के 127	4406	22-मार्च -17	1,352
128	171700730644	के 128	4406	23-मार्च -17	1,351
129	171700735500	के 129	2735	24-मार्च -17	1,350
130	171700735511	के 130	2735	24-मार्च -17	1,350
131	171600475771	के 131	3523	17-जुलाई -17	1,234
132	171700879066	के 132	4406	7-अप्रैल -17	1,333
133	171700953830	के 133	4406	17-अप्रैल -17	1,326
134	171701012011	के 134	4406	22-अप्रैल -17	1,321
135	171701022054	के 135	1807	25-अप्रैल -17	1,109
136	171701056914	के 136	5827	2-मई -17	412
137	171701115504	के 137	5337	13-मई -17	1,298

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
138	171701169570	के 138	4406	9-मई -17	1,304
139	171701468470	के 139	4406	9-जून -17	1,273
140	171701526474	के 140	5995	16-जून -17	1,265
141	171701537560	के 141	5337	19-जून -17	1,263
142	171701576351	के 142	5337	23-जून -17	1,258
143	171701610986	के 143	4406	24-जून -17	1,258
144	171701690646	के 144	4406	4-जुलाई -17	1,248
145	171701720901	के 145	2993	6-जुलाई -17	1,245
146	171701739624	के 146	4406	10-जुलाई -17	1,241
147	171701773213	के 147	4406	13-जुलाई -17	958
148	171701789195	के 148	2763	14-जुलाई -17	1,238
149	171701898933	के 149	5995	28-जुलाई -17	1,218
150	171701983456	के 150	4406	2-अगस्त-17	1,219
151	171701997331	के 151	4406	17-अगस्त-17	1,204
152	171702027873	के 152	4406	7-अगस्त-17	1,214
153	171702097906	के 153	2735	16-अगस्त-17	1,205
154	171702172515	के 154	3166	22-अगस्त-17	1,198
155	171702216501	के 155	4406	29-अगस्त-17	1,192
156	171702262513	के 156	4406	2-सितम्बर-17	1,184
157	171702288332	के 157	3209	6-सितम्बर-17	1,184
158	171702315525	के 158	4406	8-सितम्बर-17	1,182
159	171702317743	के 159	4406	8-सितम्बर-17	1,182
160	171702328066	के 160	4406	9-सितम्बर-17	1,179
161	171702331706	के 161	5337	11-सितम्बर-17	1,178
162	171702332292	के 162	5337	11-सितम्बर-17	1,178
163	171702332480	के 163	5337	11-सितम्बर-17	1,178

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
164	171702337424	के 164	2687	11-सितम्बर-17	1,179
165	171702345194	के 165	4406	12-सितम्बर-17	1,178
166	171702400225	के 166	3209	19-सितम्बर-17	1,171
167	171702427105	के 167	5337	20-सितम्बर-17	1,170
168	171702556023	के 168	4406	4-अक्टूबर -17	1,156
169	171702585235	के 169	3209	6-अक्टूबर -17	1,154
170	171702586296	के 170	4406	12-अक्टूबर -17	1,134
171	171702600075	के 171	3209	9-अक्टूबर -17	1,136
172	171702641176	के 172	4406	12-अक्टूबर -17	1,147
173	171702662935	के 173	4406	16-अक्टूबर -17	1,144
174	171702687586	के 174	3209	17-अक्टूबर -17	1,108
175	171702704025	के 175	4406	20-अक्टूबर -17	1,140
176	171702737555	के 176	2783	25-अक्टूबर -17	1,134
177	171702753666	के 177	5337	25-अक्टूबर -17	1,134
178	171702760596	के 178	3209	30-अक्टूबर -17	1,130
179	171702761204	के 179	3209	26-अक्टूबर -17	1,134
180	171702801270	के 180	4406	31-अक्टूबर -17	1,129
181	171702863592	के 181	4406	6-नवंबर -17	1,123
182	171702863636	के 182	5337	6-नवंबर -17	1,122
183	171702871255	के 183	4406	7-नवंबर -17	1,111
184	171702946052	के 184	3209	16-नवंबर -17	1,113
185	171702980142	के 185	1807	17-नवंबर -17	1,112
186	171702985381	के 186	5337	18-नवंबर -17	1,111

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
187	171703032325	के 187	4406	22-नवंबर -17	1,107
188	171703039395	के 188	4406	23-नवंबर -17	1,106
189	171703183621	के 189	4406	8-दिसंबर -17	1,091
190	171703187876	के 190	5827	8-दिसंबर -17	302
191	171703241636	के 191	4406	14-दिसंबर -17	1,085
192	171703241710	के 192	4406	14-दिसंबर -17	1,085
193	171703274783	के 193	3209	18-दिसंबर -17	1,081
194	171703282133	के 194	5337	18-दिसंबर -17	1,081
195	171703311113	के 195	3209	21-दिसंबर -17	1,078
196	171703328263	के 196	4406	22-दिसंबर -17	1,077
197	171703329991	के 197	5337	22-दिसंबर -17	1,077
198	171703391790	के 198	4406	30-दिसंबर -17	1,069
199	171703393046	के 199	4406	30-दिसंबर -17	1,069
200	171800058706	के 200	4406	8-जनवरी -18	1,060
201	171800065360	के 201	5929	9-जनवरी -18	1,059
202	171800119805	के 202	4406	16-जनवरी -18	1,052
203	171800191651	के 203	4406	22-जनवरी -18	1,045
204	171800227196	के 204	4406	25-जनवरी -18	1,041
205	171800304071	के 205	4406	5-फरवरी-18	1,032
206	171800304185	के 206	4406	5-फरवरी-18	1,032
207	171800348790	के 207	4406	20-फरवरी-18	1,017
208	171800369123	के 208	4406	9-फरवरी-18	1,028
209	171800422290	के 209	4406	14-फरवरी-18	1,023
210	171800472620	के 210	4406	5-मार्च -18	1,003
211	171800482711	के 211	4406	22-फरवरी-18	1,015

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
212	171800486686	के 212	4406	21-फरवरी-18	1,016
213	171800582892	के 213	4406	6-मार्च -18	1,002
214	171800678000	के 214	5337	15-मार्च -18	994
215	171800701715	के 215	4406	17-मार्च -18	992
216	171800721411	के 216	5337	20-मार्च -18	989
217	171800722063	के 217	5337	20-मार्च -18	989
218	171800730673	के 218	2806	21-मार्च -18	988
219	171800811803	के 219	4406	29-मार्च -18	976
220	171800843513	के 220	2806	3-अप्रैल -18	975
221	171800919990	के 221	4406	8-मई -18	940
222	171801095981	के 222	3209	3-मई -18	945
223	171801138364	के 223	4406	5-मई -18	943
224	171801195005	के 224	4406	9-मई -18	939
225	171801197444	के 225	4406	16-मई -18	932
226	171801209005	के 226	3209	14-मई -18	934
227	171801232551	के 227	3209	14-मई -18	923
228	171801268940	के 228	4406	16-मई -18	932
229	171801307613	के 229	4406	23-मई -18	925
230	171801388942	के 230	4406	29-मई -18	919
231	171801493065	के 231	3209	11-जून -18	906
232	171801517705	के 232	4406	12-जून -18	905
233	171801538440	के 233	3209	13-जून -18	904
234	171801553280	के 234	4406	15-जून -18	902
235	171801601775	के 235	5337	20-जून -18	897
236	171801701595	के 236	4406	30-जून -18	884
237	171801709973	के 237	3209	29-जून -18	887
238	171801832624	के 238	5337	16-जुलाई -18	871
239	171801832930	के 239	5929	16-जुलाई -18	870
240	171801847512	के 240	4406	17-जुलाई -18	870
241	171801879395	के 241	3166	25-जुलाई -18	861
242	171801982321	के 242	3209	28-जुलाई -18	859
243	171802001055	के 243	5929	2-अगस्त-18	854
244	171802085221	के 244	5337	13-अगस्त-18	843

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
245	171802085556	के 245	5337	13-अगस्त-18	843
246	171802085906	के 246	5337	13-अगस्त-18	843
247	171802092932	के 247	5337	13-अगस्त-18	843
248	171802110303	के 248	5337	13-अगस्त-18	843
249	171802236933	के 249	5337	25-अगस्त-18	831
250	171802237283	के 250	5337	25-अगस्त-18	831
251	171802238576	के 251	5337	25-अगस्त-18	831
252	171802240621	के 252	5337	25-अगस्त-18	831
253	171802279342	के 253	3209	6-सितम्बर-18	818
254	171802507096	के 254	4406	22-सितम्बर-18	803
255	171802579270	के 255	6215	26-सितम्बर-18	799
256	171802579712	के 256	6215	26-सितम्बर-18	799
257	171802775535	के 257	4406	16-अक्टूबर -18	778
258	171802822494	के 258	3209	23-नवंबर -18	740
259	171802822785	के 259	3166	23-अक्टूबर -18	772
260	171802879102	के 260	3209	30-अक्टूबर -18	765
261	171802881972	के 261	4406	12-नवंबर -18	748
262	171802940330	के 262	4406	2-नवंबर -18	762
263	171802965250	के 263	4406	6-नवंबर -18	755
264	171802990634	के 264	2806	12-नवंबर -18	749
265	171803156862	के 265	3209	27-नवंबर -18	737
266	171803157260	के 266	3209	27-नवंबर -18	737
267	171803157912	के 267	3209	27-नवंबर -18	737

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
268	171803158144	के 268	3209	27-नवंबर -18	737
269	171803158354	के 269	3209	27-नवंबर -18	737
270	171803158446	के 270	3209	27-नवंबर -18	737
271	171803158656	के 271	3209	27-नवंबर -18	737
272	171803158726	के 272	3209	27-नवंबर -18	737
273	171803159054	के 273	3209	27-नवंबर -18	737
274	171803159216	के 274	3209	27-नवंबर -18	737
275	171803455294	के 275	3209	26-दिसंबर -18	696
276	171803464313	के 276	4406	21-जनवरी -19	682
277	171900095651	के 277	5337	15-जनवरी -19	688
278	171900118880	के 278	3209	18-जनवरी -19	682
279	171900192030	के 279	4406	24-जनवरी -19	679
280	171900253943	के 280	4406	29-जनवरी -19	674
281	171900335423	के 281	4406	7-फरवरी-19	665
282	171900480146	के 282	4406	25-फरवरी-19	636
283	171900611175	के 283	4406	18-मार्च -19	626
284	171900803594	के 284	5337	2-अप्रैल -19	611
285	171900826580	के 285	4406	1-अप्रैल -19	612
286	171901001790	के 286	5337	18-अप्रैल -19	595
287	171901002335	के 287	5337	18-अप्रैल -19	595
288	171901161810	के 288	3209	8-मई -19	567
289	171901322202	के 289	4406	24-मई -19	559
290	171901373114	के 290	5337	28-मई -19	555
291	171901386635	के 291	3209	3-जून -19	549
292	171901394416	के 292	2687	31-मई -19	552
293	171901464534	के 293	4406	7-जून -19	545
294	171901484510	के 294	2806	11-जून -19	541
295	171901499604	के 295	4406	11-जून -19	540

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
296	171901673786	के 296	4406	29-जून -19	523
297	171901800184	के 297	3209	15-जुलाई -19	507
298	171901800394	के 298	3209	15-जुलाई -19	507
299	171901800604	के 299	3209	15-जुलाई -19	507
300	171901801385	के 300	3209	15-जुलाई -19	507
301	171901801621	के 301	3209	15-जुलाई -19	507
302	171901801816	के 302	3209	15-जुलाई -19	507
303	171901811701	के 303	3209	15-जुलाई -19	507
304	171901880975	के 304	3209	29-जुलाई -19	482
305	171902216172	के 305	5337	27-अगस्त-19	464
306	171902263610	के 306	4406	31-अगस्त-19	457
307	171902301686	के 307	3209	5-सितम्बर-19	451
308	171902307824	के 308	2687	6-सितम्बर-19	453
309	171902316084	के 309	3209	9-सितम्बर-19	451
310	171902494002	के 310	3209	26-सितम्बर-19	363
311	171902582924	के 311	4406	7-अक्टूबर -19	423
312	171902759453	के 312	3209	4-नवंबर -19	395
313	171902761741	के 313	6355	31-अक्टूबर -19	398
314	171902858746	के 314	3209	6-नवंबर -19	381
315	171903105205	के 315	3209	4-दिसंबर -19	359
316	171903130976	के 316	5337	6-दिसंबर -19	363
317	171903221884	के 317	4406	14-दिसंबर -19	353
318	171903303843	के 318	3209	23-दिसंबर -19	345

क्रम स.	अनुरोध आईडी	ईकाई कंपनी का नाम	ईकाई कंपनी आईडी	जमा करने की तिथि	लंबित दिनों की संख्या
319	171903327503	के 319	5827	25-दिसंबर -19	342
320	172000032396	के 320	3209	6-जनवरी -20	332
321	172000505110	के 321	3209	27-फरवरी-20	280
322	172000510651	के 322	3209	7-मार्च -20	271
323	172000565785	के 323	3209	7-मार्च -20	269
324	172000677866	के 324	4406	17-मार्च -20	261
325	172000701460	के 325	5827	18-मार्च -20	259
326	172000708950	के 326	4406	19-मार्च -20	259
327	172000708972	के 327	5337	20-मार्च -20	258
328	172000715703	के 328	4406	20-मार्च -20	258

अनुलग्नक 4.11

(संदर्भ: प्रतिवेदन की पैरा संख्या 4.16)

अस्थायी निष्कासन और उप अनुबंध स्थिति रिपोर्ट 1-अप्रैल -17 से 31-मार्च -20 तक

क्रम स.	अनुरोध आईडी	चालान संख्या	चालान दिनांक	सेज़ नाम	मुद्रा	निष्कासन तिथि	प्राप्ति की नियत तिथि	निष्कासन से अब तक की तिथि	अंतिम स्थिति दिनांक
1	481700196622	9000039	04-अप्रैल -17	एल 1	युएसडी	4-अप्रैल -17	02-अगस्त-17	1,329	6-नवंबर -17
2	481700497714	9000075	23-अगस्त-17	एल 2	यूरो	23-अगस्त-17	21-दिसंबर -17	1,188	23-अगस्त-17
3	481700696374	9000143	28-नवंबर -17	एल 3	यूएसडी	28-नवंबर -17	29-मार्च -18	1,091	11-दिसंबर -17
4	481800523492	9000158	29-अगस्त-18	एल 4	यूएसडी	28-अगस्त-18	29-दिसंबर -18	818	25-अक्टूबर -18
5	481800790413	9000265	14-दिसंबर -18	एल 5	यूरो	14-दिसंबर -18	25-अप्रैल -19	710	9-अप्रैल -19
6	481900205231	9000052	26-मार्च -19	एल 6	यूएसडी	25-मार्च -19	25-जुलाई -19	609	22-अगस्त-19
7	482000055600	9000019	29-जनवरी -20	एल 7	यूरो	28-जनवरी -20	29-मई -20	300	20-जुलाई -20
8	482000060286	9000015	24-जनवरी -20	एल 8	पौंड स्टर्लिंग	24-जनवरी -20	23-मई -20	304	24-जनवरी -20
9	482000073494	9000023	04-फरवरी-20	एल 9	यूरो	29-जनवरी -20	3-जून -20	299	4-फरवरी-20
10	482000086691	9000024	06-फरवरी-20	एल 10	यूरो	5-फरवरी-20	6-जून -20	292	7-फरवरी-20
11	482000164030	9000036	02-मार्च -20	एल 11	यूएसडी	2-मार्च -20	1-जुलाई -20	266	3-मार्च -20

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in